अग्रिमों के प्रबंधन पर मास्टर परिपत्र - शहरी सहकारी बैंक

विषय-वस्तु	
क्रम सं.	**विवरण**
1	प्रस्तावना
2	कार्यशील पूंजी की आवश्यकता
3	बैंक ऋण प्रदान करने के लिए ऋण प्रणाली
4	ऋण प्रशासन
5	ऋण सूचना का आदान प्रदान
6	अग्रिमों की पुनर्रचना से संबन्धित विवेकपूर्ण दिशा निर्देश
7	विशिष्ट ऋण गतिविधियाँ
8	बैंकों द्वारा बिलों की भुनाई / पुनर्भुनाई
9	स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) / संयुक्त देयता समूहों (जेएलजी) हेतु ऋण
10	ब्याज-कर अधिनियम 1974 का पुनरुद्धार
11	प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित क्षेत्र के लिए दिये जाने वाले राहत उपायों पर दिशा निर्देश
अनुबंध - 1 संपत्ति का मूल्यांकन एवं मूल्यांकनकर्ताओं के पैनल पर दिशानिर्देश	
अनुबंध - 2 प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों में बैंकों द्वारा किए जानेवाले राहत उपायों के लिए दिशानिर्देश	
अनुबंध - 3 उधार खातों जिनमें 1 करोड़ रुपये और उससे अधिक के बकाया हो और जिन्हें संदिग्ध, हानि के रूप में वर्गीकृत किया गया हो के संबंध में दायर किए गए मुकदमों का ब्योरा एवं रू.25 लाख और उससे अधिक की राशि के लिए इरादतन चूक संबंधी आंकड़ों की सूचना की रिपोर्टिंग के लिए प्रारूप	
अनुबंध- 4 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) की परिभाषा	
अनुबंध- 5 सुरक्षा उपाय - सोने/चांदी के आभूषणों को गिरवी रखने के बदले में अग्रिम	
अनुबंध- 6 सीआईसी को ऋण सूचना साझा करने के अनुशंसित डेटा प्रारूप के लिए समिति की सिफारिश	
अनुबंध- 7 स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) के सदस्यों के संबंध में क्रेडिट सूचना रिपोर्टिंग	
परिशिष्ट मास्टर परिपत्र में समेकित परिपत्रों की सूची	

1. प्रस्तावना

प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों (यूसीबी) से यह अपेक्षा की गई है कि वे भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी ऋण सीमा संबंधी मानदंडों और विभिन्न अन्य दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखते हुए आर्थिक कार्यकलाप की प्रत्येक बृहत श्रेणी के संबंध में अपने बोर्ड के अनुमोदन द्वारा ऋण वितरण के लिए पारदर्शी नीतियां और दिशानिर्देश निर्धारित करें।

2. कार्यशील पूंजी की आवश्यकता

2.1 सूक्ष्म और लघु उद्यमों से इतर उधारकर्ताओं की, जिन्हें बैंकिंग क्षेत्र से 1 करोड़ रुपये तक निधि आधारित कार्यशील पूंजीगत सीमा की और सूक्ष्म और लघु उद्यमों की जिन्हें 5.00 करोड़ रुपये तक निधि आधारित पूंजीगत सीमा की आवश्यकता है, कार्यशील पूंजी का मूल्यांकन उनके अनुमानित वार्षिक आवर्त (टर्नओवर) के आधार पर किया जाए।

2.2 इन दिशानिर्देशों के अनुसार, कार्यशील पूंजी की आवश्यकताओं का मूल्यांकन अनुमानित आवर्त के 25% के आधार पर किया जाना चाहिए जिसे उधारकर्ता और बैंक के बीच इस तरह बांटा जाना चाहिए कि आवर्त का 5% निवल कार्यशील पूंजी (एनडब्ल्यूसी) के रूप में उधारकर्ता का अंशदान हो तथा बैंक आवर्त का कम से कम 20% वित्तपोषण प्रदान करें। अनुमानित आवर्त की व्याख्या उत्पाद शुल्क सहित "सकल बिक्री" के रूप में करें।

2.3. बैंक अपने विवेक से अनुमानित आवर्त के आधार पर आधारित या पारंपरिक पद्धति से मूल्यांकन कर सकते हैं। यदि पारंपारिक उत्पादन /अभिसंस्करण चक्र पर आधारित ऋण आवश्यकता अनुमानित आवर्त के आधार पर किए गए मूल्यांकन से अधिक हो तो उसे ही स्वीकृत किया जाना चाहिए क्योंकि उधारकर्ता को उनके अनुमानित वार्षिक आवर्त का कम से कम 20 प्रतिशत वित्तपोषण प्रदान किया जाना चाहिए। अनुमानित वार्षिक आवर्त का आकलन वार्षिक लेखा विवरण या बिक्री / राजस्व प्राधिकारियों को प्रस्तुत विवरणियों जैसे अन्य प्रलेखों के आधार पर किया जाए। भुगतान न किए गए शेयरों को घटाने के बाद शहरी सहकारी बैंकों द्वारा निर्धारित आहरण शक्ति के आधार पर वास्तविक आहरण के लिए अनुमति दी जाए।

2.4 ऋण सीमा में से आहरण की अनुमति, तथापि, सामान्य सुरक्षा उपायों के अनुसार होगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उसका उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जा रहा है जिसके लिए ऋण सीमा मंजूर की गई है। बैंकों को मासिक स्टॉक, प्राप्य माल आदि विवरणों का उधारकर्ता द्वारा समय पर प्रस्तुतीकरण और ऐसे विवरणों का वास्तविक स्टॉक की तुलना में आवधिक सत्यापन सुनिश्चित करना होगा।

2.5 सूक्ष्म और लघु उद्यमों से इतर उधारकर्ताओं के संबंध में जिन्हें बैंकिंग प्रणाली से ₹1 करोड़ से अधिक की कार्यशील पूंजी की आवश्यकता है और ऐसी लघु उद्योग इकाइयां जिन्हें निधि आधारित कार्यशील पूंजी सीमा की ₹5 करोड़ से अधिक की आवश्यकता है, शहरी सहकारी बैंक उधारकर्ता की ऋण आवश्यकता के अनुसार कार्यशील पूंजी आवश्यकता निर्धारित करे। शहरी सहकारी बैंक टर्नओवर पद्धति, कैश बजटिंग पद्धति या अन्य कोई पद्धति अपनाए जो आवश्यक है। यद्यपि शहरी सहकरी बैंक यह सुनिश्चित करें कि अंतर्देशीय ऋणगत बिक्री के वित्तपोषण के लिए उधारकर्ताओं को मंजूर की गई सीमा बही ऋण वित्त के 75 प्रतिशत से अधिक न हो। ऋण बिक्री के बकाया 25 प्रतिशत के लिए बिलों के मार्फत वित्तपोषण प्रदान किया जाए ताकि बिक्री के वित्तपोषण के लिए बिलों का अधिकाधिक उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।

3. बैंक ऋण प्रदान करने के लिए ऋण प्रणाली

3.1 बैंकिंग प्रणाली से ₹10 करोड़ रुपये और अधिक ऋण सीमाओं का लाभ उठाने वाले उधारकर्ताओं के मामले में सामान्यत: ऋण घटक का न्यूनतम स्तर 80 प्रतिशत तथा शेष नकद घटक होना चाहिए। शहरी सहकारी बैंक यदि चाहें

तो नकदी ऋण घटक को 20 से बढ़ाकर या ऋण घटक को 80 प्रतिशत से बढ़ाकर, जैसी भी स्थिति हो, कार्यशील पूंजी के गठन में परिवर्तन कर सकते हैं। बैंकों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे अपनी नकदी और नकदी प्रबंधन पर ऐसे निर्णयों के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए कार्यशील पूंजीगत वित्त को दोनों घटकों का समुचित रूप से मूल्यन करें।

3.2 ₹10 करोड़ रुपये से कम कार्यशील पूंजी (निधि आधारित) ऋण सीमा वाले उधारकर्ताओं के मामले में बैंक 'नकदी ऋण घटक' की तुलना में 'ऋण घटक' पर कम ब्याज दर लगाने का प्रोत्साहन देकर उन्हें ऋण प्रणाली के लिए राजी कर सकते हैं। इन मामलों में ऋण घटकों का वास्तविक प्रतिशत बैंक अपने उधारकर्ता ग्राहक के साथ तय कर सकते हैं।

3.3 **तदर्थ ऋण सीमा**: उधारकर्ताओं की अस्थायी जरूरतों को पूरा करने के लिए बैंक तदर्थ/अतिरिक्त ऋण देने पर तभी विचार कर सकते हैं जब उधारकर्ता ने मौजूदा ऋण सीमा का पूरा-पूरा उपयोग कर लिया हो। इस संबंध में बैंकों द्वारा अपनाई जाने वाली प्रथाओं के संबंध में, 21 अगस्त 2020 के परिपत्र डीओएस.केका.पीपीजी.बीसी.1/11.01.005/2020-21 के माध्यम से यह दोहराया गया है कि बैंकों से अपेक्षित है कि वे समग्र विनियामक दिशानिर्देशों के अनुसार क्रेडिट सुविधाओं की समीक्षा/नवीकरण के लिए कार्यप्रणाली और आवधिकता पर एक विस्तृत बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति रखें और इसका सख्ती से पालन करें। इसके अलावा, ऋण सुविधाओं का समय पर एवं व्यापक समीक्षा/नवीकरण, बोर्ड द्वारा अनुमोदित ऋण नीति और ऋण जोखिम प्रबंधन ढांचे का एक अभिन्न अंग होना चाहिए, और बैंकों को बिना उचित कारणों के तदर्थ/लघु समीक्षा/ऋण सुविधाओं के नवीनीकरण के बारंबारता और आवर्ती से बचना चाहिए। बैंकों को यह भी सूचित किया जाता है कि वे अपने कोर बैंकिंग सिस्टम/प्रबंधन सूचना प्रणाली में नियमित और साथ ही तदर्थ/लघु समीक्षा/ऋण सुविधाओं के नवीनीकरण से संबंधित सभी डेटा को कैप्चर करें और जब कभी किसी ऑडिट या लेखा परीक्षकों/आरबीआई द्वारा निरीक्षण करते हुए आवश्यक हो तो प्रस्तुत करें। इसके अलावा, ऋण सुविधाओं की समीक्षा/नवीकरण को नियंत्रित करने वाली प्रक्रियाओं को तत्काल प्रभाव से बैंकों के समवर्ती/आंतरिक लेखा परीक्षा/आंतरिक नियंत्रण तंत्र के दायरे में लाया जाना चाहिए।

3.4 **कार्यशील पूंजी वित्त का बंटवारा:** संघद्वारा प्रत्येक बैंक के अंश का स्तर एकल / उधारकर्ता समूह के लिए स्वीकृत ऋण सीमा संबंधी मानदंडों द्वारा संचालित होगा।

3.5 **ब्याज दर:** 'ऋण घटक' और 'नकदी ऋण घटक' के लिए बैंकों को अलग - अलग उधार दर लगाने की अनुमति दी गई है।

3.6 **ऋण की अवधि**: कार्यशील पूंजी के प्रयोजन के लिए ऋण की न्यूनतम अवधि बैंक उधारकर्ताओं से परामर्श करके तय कर सकते हैं। बैंक उधारकर्ता की जरूरतों के अनुसार प्रत्येक क्षेत्र के लिए भिन्न-भिन्न परिपक्वता के आधार पर ऋण घटक को विभाजित कर सकते हैं और रोलओवर की अनुमति दे सकते हैं।

3.7 **निर्यात ऋण:** निर्यात ऋण सीमा का लाभ उठाने वाले उधारकर्ताओं के मामले में ऋण और नकदी ऋण घटकों में कार्यशील पूंजी सीमा का विभाजन निर्यात ऋण सीमा (पोतलदानपूर्व और पोतलदानोत्तर) को घटाने के बाद किया जाएगा।

3.8बिल सीमा: अंतर्देशीय बिक्री के लिए बिल सीमा "ऋण घटक" में से ही ली जानी चाहिए। बिल सीमा में तीसरे पक्ष के चेकों / बैंक ड्राफ्टों की खरीद सीमा भी शामिल है। बैंक इस बात से आश्वस्त हो लें कि बिल सीमा का दुरुपयोग नहीं किया जाता है। कार्यशील पूंजी की आवधिक समीक्षा के लिए शहरी सहकारी बैंक नीतिगत दिशा निर्देश बनाए तथा इनका कडाई से पालन करें।

4. ऋण प्रशासन

ब्याज दर

4.1 शहरी सहकारी बैंकों को अपनी निधियों की लागत तथा लेनदेन की लागत को ध्यान में रखते हुए अपने निदेशक मंडल के अनुमोदन से उधार दरें तय करने की अनुमति दी गई थी। यद्यपि, बैंकों को यह भी सुनिश्चित करने के लिए कहा गया था कि उनके द्वारा लगाई जाने वाली ब्याज दरें पारदर्शी हों तथा सभी ग्राहकों को ज्ञात हों। बैंकों के लिए यह भी अनिवार्य था कि वे अपनी शाखाओं में अग्रिमों पर ली जाने वाली न्यूनतम और उच्चतम ब्याज दर प्रदर्शित करें। हालांकि ब्याज दरों पर से नियंत्रण हटा लिया गया है फिर भी एक खास सीमा से अधिक ब्याज दरें सूदखोरी जैसी दिखाई दे सकती हैं। इसके अलावा वे न तो कारगर होंगी और न ही सामान्य बैंकिंग प्रथा के अनुरूप। बैंकों के निदेशक मंडल इस सबंध में आंतरिक सिद्धांत तथा क्रियाविधि तय करें। कम मूल्य के ऋणों विशेष रूप से व्यक्तिगत ऋणों तथा इसी प्रकार के अन्य ऋणों के संबंध में सिद्धांत और क्रियाविधि तय करते समय बैंक अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित दिशानिर्देशों को ध्यान में रखें:

(i) ऐसे ऋण स्वीकृत करने के लिए पूर्वानुमोदन की उचित प्रणाली निर्धारित करनी चाहिए जिसमें भावी उधारकर्ता के अन्य पहलुओं के साथ-साथ उसकी ऋण चुकाने की क्षमता को भी ध्यान में रखना चाहिए।

(ii) बैंकों द्वारा लगाई गई ब्याज दरों में अन्य बातों के साथ-साथ उधारकर्ता की आंतरिक रेटिंग के अनुसार यथोचित जोखिम प्रीमियम शामिल करना चाहिए। साथ ही, जोखिम निर्धारित करते समय जमानत होने या न होने तथा उसके मूल्य को ध्यान में रखना चाहिए।

(iii) उधारकर्ता पर पड़ने वाले कुल लागत का भार जिसमें किसी ऋण पर लगाए गया ब्याज और अन्य सभी प्रभार शामिल हैं, को बैंक द्वारा उस ऋण को देने में आई कुल लागत तथा उस आय की सीमा की दृष्टि से औचित्यपूर्ण होनी चाहिए जो जाहिर है कि लेनदेन से सृजित होगी और उसे हिसाब में लिया जाए।

(iv) प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के उधारकर्ताओं को ऋण देने के मामले में 25,000/- रुपये तक के ऋण पर कोई दंडात्मक ब्याज नहीं लिया जाए। ऋण चुकाने में चूक, वित्तीय विवरणों को प्रस्तुत न करने आदि जैसे कारणों के लिए दंडात्मक ब्याज लगाया जाए। तथापि दंडात्मक ब्याज की नीति पारदर्शिता, औचित्य, ऋण चुकाने पर प्रोत्साहन तथा ग्राहकों की वास्तविक समस्याओं को उचित महत्व देने के सर्वस्वीकृत सिद्धांतों पर आधारित होनी चाहिए।

(v) बैंक यह सुनिश्चित करें कि छोटे और सीमांत किसानों को दिए गए अल्पावधि अग्रिमों के संबंध में किसी खाते में नामे (डेबिट) किया गया कुल ब्याज मूलधन से अधिक नहीं होना चाहिए। इस प्रयोजन के लिए 5 एकड़ या उससे कम जमीन रखने वाले छोटे और सीमांत किसानों को भी शामिल किया जाए।

(vi) ऐसे ऋणों पर लगाए जाने वाले प्रोसेसिंग तथा अन्य प्रभारों सहित उनकी ब्याज दर की यथोचित उच्चतम सीमा निर्धारित की जाए जिसे यथासमय सार्वजनिक रूप से प्रचारित भी किया जाए।

(vii) **फोरक्लोजर प्रभार / अवधिपूर्व भुगतान पर अर्थदंड** – 26 जून 2014 से यह निर्णय लिया गया है कि शहरी सहकारी बैंकों को वैयक्तिक उधारकर्ताओं को मंजूर सभी अस्थिर दर वाले मीयादी ऋणों पर फोरक्लोजर प्रभार/ अवधिपूर्व भुगतान पर अर्थदंड लगाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

अनापत्ति प्रमाणपत्र

4.2 शहरी सहकारी बैंकों को मौजूदा वित्तपोषक बैंक से अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त किए बिना ऐसे किसी भी उधारकर्ता को वित्तपोषण प्रदान नहीं करना चाहिए जो पहले से ही किसी अन्य बैंक से ऋण सुविधाएं ले रहा हो।

4.3 **चालू खाते खोलना**

4.3.1 चालू खातों को खोलते समय एनपीए स्तरों में कमी के लिए ऋण अनुशासन के महत्व को ध्यान में रखते हुए बैंकों को चाहिए कि वे:

(i) खाताधारक से इस आशय की घोषणा करने का आग्रह करें कि वह अन्य किसी वाणिज्यिक बैंक से किसी प्रकार की ऋण सुविधा नहीं ले रहा है अथवा उससे एक घोषणा लें जिसमें उसके द्वारा अन्य किसी वाणिज्यिक बैंक / बैंकों से ली गई ऋण सुविधाओं का ब्यौरा दिया गया हो।

(ii) यह पता करें कि क्या वह किसी अन्य सहकारी सोसायटी/बैंक का/की सदस्य है; यदि हां, उसका पूरा ब्यौरा जैसे सोसायटी/बैंक का नाम, धारित शेयरों की संख्या, ऋण सुविधाओं का ब्योरा जैसे प्रकार, मात्रा, बकाया, देयता की तिथियां आदि प्राप्त की जानी चाहिए।

4.3.2 इसके अतिरिक्त यदि वह पहले से ही अन्य किसी वाणिज्यिक बैंक / सहकारी बैंक से किसी प्रकार की ऋण सुविधा ले रहा/रही है तो चालू खाता खोलने वाले बैंक को उधार देने वाले संबंधित बैंक /बैंकों को विधिवत इसकी सूचना देनी चाहिए तथा उनसे विशेष रूप से "अनापत्ति प्रमाणपत्र" प्राप्त करने का आग्रह करना चाहिए। किसी ऐसे संभावित ग्राहक के मामले में जो एक से अधिक बैंकों से ऋण सुविधाएं लेने वाला एक कारपोरेट अथवा बड़ा उधारकर्ता हो तो बैंकों को यदि सहायता संघ के अंतर्गत हो तो सहायता संघ (कन्सोर्टियम) के नेता तथा यदि बहुल बैंकिंग व्यवस्था के अंतर्गत हो तो संबंधित बैंकों को सूचित करना चाहिए। यदि किसी सहकारी बैंक/सोसायटी से कोई सुविधा ली गई है तो बैंक के लिए यह आवश्यक है कि वह सदस्यता तथा उधार के संबंध में संबंधित राज्य सहकारी सोसायटियां अधिनियम/नियमों की अपेक्षाओं का पालन करे।

4.3.3 यदि एक पखवाड़े के न्यूनतम समय के बाद मौजूदा बैंकरों से कोई उत्तर न मिले तो बैंक भावी खाताधारकों के चालू खाते खोल सकते हैं। यदि उत्तर एक पखवाड़े के भीतर प्राप्त हो जाता है तो बैंकों को उस भावी ग्राहक के बारे संबंधित बैंक द्वारा दी गई सूचना के संदर्भ में स्थिति का जायजा लेना चाहिए और तब बैंकों के ग्राहक की सच्ची स्वतंत्रता तथा बैंक द्वारा ग्राहक की आवश्यक समुचित सावधानी के अनुरूप उनके लिए औपचारिक रूप से अनापत्ति प्रमाणपत्र मांगना अनिवार्य नहीं है।

सनदी लेखापालों द्वारा गैर - निगमित उधारकर्ताओं के खातों का प्रमाणन

4.4 सनदी लेखापालों द्वारा गैरकंपनी उधारकर्ताओं के खातों का प्रमाणन आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार कतिपय गैर कंपनीसंस्थाओं के लिए लेखा परीक्षित तुलनपत्र एवं लाभ - हानि लेखा की प्रतियां प्रस्तुत करना अधिदेशात्मक है। ऐसे उधारकर्ता चूंकि सनदी लेखापाल द्वारा उनकी बहियों की लेखा परीक्षा के आधार पर आयकर प्राधिकारियों को लेखा परीक्षा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करते हैं, इसलिए बैंकों को बड़ी ऋण सीमा प्राप्त उधारकर्ताओं से लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण प्रस्तुत करने का आग्रह करना चाहिए।

उधारकर्ताओं द्वारा सांविधिक देनदारियों के भुगतान में चूक

4.5 शहरी सहकारी बैंक यह सुनिश्चित करे कि ऋण सुविधाएं प्राप्त करनेवाले उधारकर्ता द्वारा भविष्य निर्वाह निधि और उसी प्रकार की अन्य देनदारियां तत्परता से चुकाई जाती हैं। सांविधिक देनदारियों का भुगतान न करना किसी भी औद्योगिक इकाई की आरंभिक रूग्णता के लक्षण हैं। अत: ऐसी देनदारियों की चुकौती को उच्च प्राथमिकता देना उधारदाता और उधारकर्ता दोनों के हित में होगा। ऐसी देनदारियों की बकाया राशि की चुकौती के लिए उधारकर्ता से विशिष्ट कार्यक्रम का आग्रह करने के अलावा बैंक निधि के निर्गमन पर यथोचित प्रतिबंध लगाने पर विचार कर सकते हैं। शहरी सहकारी बैंकों को अपने आवेदन फार्म में ऋण सुविधाओं की मंजूरी /नवीकरण / नकदीकरण के लिए एक उचित घोषणा शामिल करनी चाहिए ताकि उसमें सांविधिक देनदारियों के बारे में खुलासा सुनिश्चित किया जा सके। कंपनी उधारकर्ताओं और गैर कंपनी उधारकर्ताओं के संबंध में सांविधिक देनदारियों की राशि सामान्यत: उनके वार्षिक लेखाओं में प्रतिबिंबित होती है। यदि लेखापरीक्षित लेखाओं से सांविधिक देनदारियों की स्थिति स्पष्ट नहीं होती है तो इस प्रयोजन के लिए सनदी लेखापाल के विशिष्ट प्रमाणपत्र प्राप्त कर सकते हैं।

4.6 **अग्रिमों की मंजूरी**

4.6.1 **ऋण की मंजूरी में अनियमितताएं / खामियां**

धोखाधड़ी के अवसरों को कम करने के लिए बैंकों को विवेकपूर्ण शक्तियों से अधिक अग्रिम मंजूर करने और / या यथोचित मूल्यांकन बिना ऋण मंजूर करने जैसी अनियमित प्रथाओं से बचने के लिए पर्याप्त सावधानियां बरतनी चाहिए।

4.6.2 **अधिकारों का प्रत्यायोजन**

(i) अग्रिम और व्यय की मंजूरी के लिए निदेशक मंडल को शाखा प्रबंधकों और प्रधान कार्यालय के स्तर पर अन्य अधिकारियों के साथ-साथ अध्यक्ष को विशिष्ट अधिकार देने चाहिए। यह सुनिश्चित करने के लिए कि शक्तियों का प्रयोग निर्धारित सीमा के भीतर ही किया जाता है एवं किसी भी प्रकार के उल्लंघन की सूचना प्रधान कार्यालय की शीघ्र दी जाती है इसप्रकार की एक प्रणाली विकसित की जानी चाहिए।

(ii) आंतरिक निरीक्षकों को निरीक्षण के दौरान यह पता करना चाहिए कि अधिकारों का प्रयोग उचित ढंग से किया गया है और अधिकारों के अनधिकृत प्रयोग की सूचना प्रधान कार्यालय को दी गई है। उसी प्रकार, प्रधान कार्यालय में अध्यक्ष, मुख्य कार्यपालक अधिकारी और अन्य कार्यपालकों द्वारा विवेकपूर्ण शक्तियों से परे मंजूरी के मामलों की सूचना निदेशक मंडल को दी गई है।

मौखिक मंजूरी

4.6.3 विभिन्न स्तरों के उच्च अधिकारियों को अग्रिमों की मंजूरी मौखिक रूप से या टेलीफोन द्वारा देने की अनुचित प्रथा से बचना चाहिए।

4.6.4 विचलन का उचित रिकार्ड रखना

(i) अत्यावश्यक होने पर ही, जहां टेलीफोन पर स्वीकृति देना /उच्चाधिकारियों द्वारा मौखिक अनुदेश देने या विवेकपूर्ण शक्तियों से परे स्वीकृति अपरीहार्य हो वहां निम्नलिखित का पालन किया जाना चाहिए।

(क) मंजूरीकर्ता / वितरणकर्ता अधिकारियों को ऐसी स्वीकृति दिए जाने की परिस्थितियों को स्पष्ट करते हुए अनुदेशों / मंजूरी का रेकार्ड रखना चाहिए।

(ख) वितरणकर्ता अधिकार को एक सप्ताह / पक्ष के अंदर सक्षम मंजूरकर्ता अधिकारी की लिखित पुष्टि प्राप्त कर लेनी चाहिए।

(ग) विवेकपूर्ण शक्तियों के अंदर दी गई मंजूरी की भी सूचना निर्धारित समय में प्रधान कार्यालय को देनी चाहिए और प्रधान कार्यालय को ऐसी विवरणी की प्राप्ति का सावधानीपूर्वक अनुवर्तन करना चाहिए।

(घ) प्रधान कार्यालय को विवरणों /विवरणियों की बारीकी से संवीक्षा करनी चाहिए तथा गलती करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध, यदि वे अनधिकृत रूप से मंजूरी देने के दोषी पाए जाएं तो, कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए।

(ii) अधिकारियों को दी गई शक्तियों का यथोचित प्रयोग करना चाहिए और ऋण एवं अग्रिम मंजूर करने के लिए अपनी विवेकपूर्ण शक्तियों का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। इस संबंध में किसी भी प्रकार के उल्लंघन पर गंभीरतापूर्वक विचार किया जाना चाहिए और दोषियों को समुचित रूप से दंडित किया जाना चाहिए।

4.7 ऋण खातों में निगरानी कार्य

4.7.1 स्वीकृति-पश्चात निगरानी

(i) बैंक की यह प्राथमिक जिम्मेदारी है कि वह सतर्क रहे और बैंक निधि का अंतिम उपयोग सुनिश्चित करे / निधि प्रवाह की निगरानी करे। अत: बैंक के लिए यह आवश्यक है कि वह सुनिश्चित करने की व्यवस्था करे कि नकदी ऋण / ओवरड्राफ्ट खातों से किया गया आहरण उसी प्रयोजन के लिए इस्तेमाल किया जाता है जिसके लिए ऋण सीमा मंजूर की गई है।

(ii) ऋणों और अग्रिमों का स्वीकृति पश्चात अनुवर्तन कारगर होना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि बंधक, गिरवी आदि के रूप में उधारकर्ता से प्राप्त की गई जमानत से छेड़छाड़ न की जाए और वह पर्याप्त हो।

(iii) **जहां खाते अनर्जक आस्तियां बनने के लक्षण दिखाई देते है** – यदि खाते अनर्जक आस्तियों में परिवर्तित होने के लक्षण दिखाने लगे हों, ऐसे मामलों में बैंक सुरक्षा के और कड़े उपाय करें। इस प्रकार के मामलों में बैंक उधारकर्ताओं के गोदामों के सतत निरीक्षणों के जरिए अपनी निगरानी प्रणाली को मजबूत करें और यह सुनिश्चित करें कि बिक्री प्राप्तियां बैंक में उधारकर्ता के खातों के माध्यम से की जाती हैं तथा दृष्टिबंधक के स्थान पर स्टॉक के रूप में गिरवी के लिए आग्रह किया जाता है।

(iv) समाशोधन के लिए भेजे गए चेकों की जमानत पर आहरण की मंजूरी केवल प्रथम श्रेणी के ग्राहकों को दी जानी चाहिए और ऐसे मामलों में भी सीमा की मात्रा और उसकी आवश्यकता की पूर्ण संवीक्षा और आवधिक संवीक्षा की जानी चाहिए। बैंकों को समाशोधन के लिए भेजे गए लिखतों की जमानत पर बैंकर/चेक /भुगतान आदेश / मांग ड्राफ्ट तब तक जारी नहीं करने चाहिए (जब तक कि उनकी राशि नहीं वसूली जाती और पार्टी के खातों में जमा नहीं कर दी जाती) या उधारकर्ता जिनके खाते जो पहले से ही अतिआहरित हैं या ऐसे लिखतों के जारी करने से जिनके अतिआहरित होने की संभावना है।

(v) समाशोधन के लिए भेजे गए लिखतों की जमानत पर आहरणों को सामान्यत: बैंक ड्राफ्ट और सरकारी चेकों तक और तीसरे पक्षकार के चेकों को सीमित मात्रा तक मर्यादित रखना चाहिए।

(vi) जिन चेकों की जमानत पर आहरण की अनुमति दी गई है उनसे वास्तविक व्यापार लेनदेन प्रतिबिंबित होना चाहिए और चेकों, बिलों आदि के निभाव पर कड़ी सतर्कता बरती जानी चाहिए।

4.7.2 उत्तरदायित्व

(i) निधियों के दुरुपयोग को रोकने की प्राथमिक जिम्मेदारी बैंक के प्रबंध तंत्र की है। अत: शहरी सहकारी बैंकों को चाहिए कि वे अपने आंतरिक प्रबंधन की समीक्षा करें और उसे चुस्त दुरूस्त बनाएं ताकि निधियों के दुरुपयोग / विशाखन और अनाचार को दूर किया जा सके।

(ii) बैंकों को स्टाफ सदस्यों द्वारा किए गए शक्ति के दुरुपयोग, भ्रष्टाचार और अन्य अनाचारी कृत्यों को गंभीरता से लेना चाहिए और ऐसे कृत्य करनेवाले स्टाफ को अनियमितता की गंभीरता के अनुरूप दंडित किया जाना चाहिए। ऐसे सभी मामलों में बैंक द्वारा जांच को शीघ्र निपटाना और कठोर दंड देना आवश्यक होगा।

अग्रिमों की वार्षिक समीक्षा

4.8 अग्रिमों की कारगर निगरानी के लिए बैंकों के लिए यह आवश्यक है कि वे अग्रिमों की समीक्षा नियमित आधार पर करते रहें। परिचालक की गुणवत्ता, निधियों की सुरक्षा आदि का मूल्यांकन करने के समीक्षा के उद्देश्य के अलावा समीक्षा में उपलब्ध अद्यतन डाटा के आधार पर उधारकर्ता की कार्यशील पूंजीगत आवश्यकताओं के मूल्यांकन का विशिष्ट प्रयास किया जाना चाहिए कि क्या ऋण सीमा जरूरत आधारित आवश्यकताओं के अंदर है और बैंक के निर्धारित उधार संबंधी मानदंडों के अनुसार है।

संपत्ति का मूल्यन - मूल्यनकर्ताओं का पैनल

4.9 बैंकों द्वारा स्वाधिकृत निर्धारित आस्तियों तथा अपने अग्रिम संविभाग के एक बड़े हिस्से के लिए संपार्श्विक के रूप में स्वीकृत आस्तियों के सही और वास्तविक मूल्यन का मुद्दा बैंकों की पूंजी पर्याप्तता की स्थिति की सही गणना पर उसके प्रभावों के मद्देनजर महत्वपूर्ण हो गया है। अत: शहरी सहकारी बैंकों को सूचित किया जाता है कि अनुबंध I में दिए गए अनुसार निर्धारित आस्तियों के वास्तविक मूल्यन के लिए तथा मूल्यनकर्ताओं का पैनल बनाने के लिए एक प्रणाली /प्रक्रिया स्थापित करें।

निधियों का अन्यत्र प्रयोग

4.10 शहरी सहकारी बैंकों के पास निधियों के अंत्य उपयोग की निगरानी करने की एक व्यवस्था होनी चाहिए। जब कभी उन्हें निधियों के अन्यत्र इस्तेमाल का पता चले तो बैंक के हितों की रक्षा के लिए विशाखित राशि वापस लेना, मंजूर ऋण में कटौती, दंडात्मक ब्याज लगाना आदि आवश्यक कदम उठाना चाहिए। इसके अलावा, बैंक विशाखित राशि पर दंडात्मक ब्याज भी लगा सकता है। बैंकों को अपने ग्राहकों के बड़ी राशि के आहरणों के अनुरोधों पर उचित सतर्कता बरतनी चाहिए। नकदी ऋण तथा अन्य ऋण खातों में दृष्टिबंधक के अंतर्गत जब कभी यह पाया जाए कि स्टॉक बिक गया है लेकिन उससे हुई प्राप्तियां ऋण खाते में जमा नहीं की गई हैं तो इस प्रकार की कार्रवाई को सामान्य तौर पर धोखाधड़ी माना जाना चाहिए। ऐसे मामलों में बैंक शेष स्टॉक को सुरक्षित करने के लिए तात्कालिक कदम उठाएं तथा अन्य अनिवार्य कार्रवाई भी करें ताकि उपलब्ध प्रतिभूति के मूल्य में आगे और गिरावट को रोका जा सके।

4.11 निम्नलिखित में से किसी एक के होने को निधियों का अन्यत्र उपयोग माना जाएगा:

(क) अल्पावधि कार्यशील पूंजीगत निधियों को दीर्घावधि प्रयोजनों के लिए इस तरह इस्तेमाल करना जो मंजूरी की शर्तों के अनुसार न हों;

(ख) उधार ली गई निधियों को उन प्रयोजनों / गतिविधियों के लिए या उन आस्तियों के निर्माण में इस्तेमाल नहीं करना जिनके लिए ऋण मंजूर किया गया था।

(ग) सहयोगी संस्थाओं / ग्रुप कंपनियों या अन्य कंपनियों को निधियां अंतरित करना

(घ) उधारदाता के अनुमोदन के बिना उधारदाता बैंक या संघ सदस्य से इतर किसी बैंक के मार्फत निधियां भेजना

(च) उधारदाता के अनुमोदन के बिना इक्विटियां / ऋण लिखत प्राप्ति के जरिए दूसरी कंपनियों में निवेश करना।

(छ) वितरित / आहरित राशि की तुलना में अभिनियोजित निधियों में कमी, के बीच के अंतर को हिसाब में नहीं लिया जाना

4.12 निधियों की साइफनिंग तब हुआ माना जाएगा जब उधार ली गई राशि का उपयोग उस प्रयोजन के लिए किया गया हो जो उधारकर्ता के परिचालन से संबंधित न हो, जो संस्था या उधारदाता के वित्तीय स्वास्थ्य के विरुद्ध हो। कोई कृत्य निधियों की साइफनिंग है या नहीं इसका निर्णय मामले के वस्तुपरक तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर उधारदाता के निर्णय द्वारा तय किया जाएगा।

निधियों का अंतिम उपयोग

4.13 परियोजना वित्तपोषण के मामलों में बैंकों को निधियों का अंतिम उपयोग सुनिश्चित करने के लिए अन्य बातों के साथ - साथ, सनदी लेखापाल से इस आशय का प्रमाणपत्र प्राप्त करना चाहिए अल्पावधि कंपनी / निर्बाध ऋणों के मामले में इस प्रकार के दृष्टिकोण के समर्थनार्थ उधारकर्ता को स्वयं अतिनिष्ठापूर्वक ध्यान देना चाहिए और जहां तक संभव हो, ऐसे ऋणों को उन्ही उधारकर्ताओं तक सीमित रखना चाहिए जिनकी निष्ठा और विश्वसनीयता सिद्ध हो चुकी हो। शहरी सहकारी बैंकों को सनदी लेखापाल द्वारा जारी प्रमाणपत्र पर पूर्णत: आश्रित नहीं रहना चाहिए बल्कि अपने ऋण संविभाग की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए अपने आंतरिक नियंत्रणों और जोखिम प्रबंध प्रणाली को मजबूत बनाना चाहिए। कहने की आवश्यकता नहीं है कि बैंकों द्वारा निधियों के अंतिम अपयोग को सुनिश्चित करना उनके ऋण संबंध नीतिगत प्रलेख का एक भाग है जिसके लिए उचित उपाय किए जाने चाहिए।

4.14 निधियों की निगरानी और उनके अंतिम उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए उधारदाता द्वारा किए जाने वाले कुछ उदाहरणात्मक उपाय नीचे प्रस्तुत हैं;

(क) उधारकर्ता की तिमाही प्रगति रिपोर्ट / परिचालनगत विवरण / तुलनपत्र की अर्थपूर्ण संवीक्षा

(ख) उधारदाता पर प्रभारित उधारकर्ता की आस्तियों का नियमित निरीक्षण

(ग) उधारकर्ता की लेखा बहियों और अन्य बैंकों में रखे नॉन-लियन खातों की आवधिक संवीक्षा

(घ) सहायताप्रदत्त इकाइयों का आवधिक दौरा

(च) कार्यशील पूंजीगत वित्तपोषण के मामले में आवधिक स्टाफ ऑडिट प्रणाली

(छ) उधारकर्ता के 'ऋण' कार्यपद्धति की आवधिक व्यापक प्रबंधन लेखापरीक्षा करना ताकि ऋण प्रबंधन की प्रणालीगत कमजोरियों का पता लगाया जा सके।

5. साख सूचना का आदान प्रदान

5.1 साख सूचना कंपनियों (सीआईसी) की सदस्यता

5.1.1 29 जनवरी 2015 से सभी यूसीबी को सभी सीआईसी के सदस्य/सदस्य बनने के लिए अनिवार्य करने और सदस्यता और वार्षिक शुल्क को उचित रूप से मॉडरेट करने का निर्णय लिया गया है। इस संबंध में, यूसीबी को सूचित किया गया कि वे 15 जनवरी 2015 के निर्देश डीबीआर.सं.सीआईडी.बीसी.59/20.16.056/2014-15 का अनुपालन करें और सभी सीआईसी के सदस्य बनें और उन्हें डेटा (ऐतिहासिक डेटा सहित) प्रस्तुत करें।

5.1.2 ऋण सूचना कंपनियों को डेटा फार्मेट में क्रेडिट संबंधी सूचना देना और अन्य विनियामकीय उपाय

यह निर्णय लिया गया है कि समिति द्वारा की गई कतिपय सिफिारिशों में संशोधित करते हुए ऋण सूचना कंपनियों को क्रेडिट सूचना (अध्यक्ष : श्री आदित्य पुरी) प्रस्तुत करने हेतु डेटा फार्मेट जिसे अनुबंध-6 में दिया गया है। इसके अलावा, कोविड-19 संबंधित तनाव के लिए समाधान ढांचे को ध्यान में रखते हुए, उपभोक्ता ब्यूरो और वाणिज्यिक ब्यूरो के लिए समान क्रेडिट रिपोर्टिंग प्रारूप, जैसा कि परिशिष्ट-ए (अनुबंध -6) में निहित है, को दिनांक 12 मार्च 2021 को विवि.एफआईएन.आरईसी.46/20.16.056/2020-21 के माध्यम से निम्नानुसार संशोधित किया गया है:

(i) उपभोक्ता ब्यूरो: क्षेत्र के लेबल 'अपलिखित और व्यवस्थित स्थिति' को 'क्रेडिट सुविधा स्थिति' के रूप में संशोधित किया गया है और इसका एक नया कैटलॉग मूल्य भी होगा, जैसे 'कोविड-19 के कारण पुनर्गठित'

(ii) वाणिज्यिक ब्यूरो: मौजूदा क्षेत्र 'पुनर्गठन के प्रमुख कारण' का एक नया कैटलॉग मूल्य होगा, अर्थात ' कोविड -19 के कारण पुनर्गठित'।

5.1.3 स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) के सदस्यों के संबंध में क्रेडिट सूचना रिपोर्टिंग

शहरी सहकारी बैंक इस मामले में 26 मई 2016 के परिपत्र डीसीबीआर.बीपीडी.परि.सं.17/16.74.000/2015-16 में निहित निर्देशों द्वारा निर्देशित होंगे। निर्देश तत्काल संदर्भ के लिए इस परिपत्र के अनुबंध-7 में दिए गए हैं।

5.2 सूचना का आदान प्रदान - सहायता संघीय व्यवस्था / बहु बैंकिंग व्यवस्था के अंतर्गत ऋण देना

5.2.1 शहरी सहकारी बैंकों को एक से अधिक बैंकों से ऋण सुविधा पानेवाले उधारकर्ताओं के संबंध में अपने सूचना आधार को मजबूत बनाना चाहिए।

(i) नयी ऋण सुविधा मंजूर करते समय बैंक उधारकर्ताओं से अन्य बैंकों से पहले से ही मिल रही ऋण सुविधाओं के संबंध में घोषणा प्राप्त करें।विद्यमान उधारकर्ताओं के मामले में, सभी बैंकों को अपने ऐसे उधारकर्ताओं से घोषणा प्राप्त करनी चाहिए जो 5.00 करोड़ रुपये और उससे अधिक की स्वीकृत सीमा का उपभोग कर रहे हैं या बैंकों को यह पता है कि उनके उधारकर्ता अन्य बैंकों से ऋण सुविधा प्राप्त कर रहे हैं। जैसा कि ऊपर निर्दिष्ट किया गया है, बैंकों को अन्य बैंकों के साथ सूचना के आदान-प्रदान की प्रणाली आरंभ करनी चाहिए।

(ii) तत्पश्चात, बैंकों को अन्य बैंकों के साथ उधारकर्ताओं के खातों के परिचालन के संबंध में कम-से-कम तिमाही अंतराल पर सूचना का आदान-प्रदान करना चाहिए।

(iii) किसी प्रोफेशनल से, अधिमानतः किसी कंपनी सेक्रेटरी / लागत लेखाकार / सनदी लेखाकार से प्रचलित विभिन्न सांविधिक अपेक्षाओं के अनुपालन के संबंध में नियमित प्रमाणन प्राप्त करें।

(iv) क्रेडिट सूचना कंपनियों से प्राप्त क्रेडिट रिपोर्टों का अधिक उपयोग करें (सीआईबीआईएल, मे. एक्सपीरियन क्रेडिट इन्फोर्मेशन कंपनी ऑफ इंडिया प्रा. लि.,इक्विफैक्स क्रेडिट इन्फोर्मेशन सर्विसेस प्रा. लि., तथा हाई मार्क क्रेडिट इन्फोर्मेशन सर्विसेस प्रा. लि.)

(v) बैंकों को चाहिए कि वे भविष्य में (वर्तमान सुविधाओं के मामले में अगले नवीकरण के समय) ऋण करारों में ऋण सूचना के आदान-प्रदान के संबंध में उपयुक्त खंड शामिल करें ताकि गोपनीयता संबंधी मुद्दों का समाधान हो सके।

5.2.2 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्रचना एवं प्रतिभूति हित का प्रवर्तन (सरफेसी) अधिनियम 2002 के अंतर्गत केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक रजिस्ट्री की स्थापना

भारत सरकार ने सरफेसी अधिनियम 2002 के प्रावधानों के अंतर्गत एक ही अचल संपत्ति पर विभिन्न बैंकों से ऋण लेने के मामलों में धोखाधडी होने से रोकने के उद्देश्य भारतीय प्रतिभूतिकरण परिसंपत्ति पुनर्निर्माण और प्रतिभूति स्वत्व की केंद्रीय रजिस्ट्री की स्थापना की है। यूसीबी को 14 दिसंबर 2012 के परिपत्र यूबीडी.बीपीडी.(पीसीबी)परिसं. 27/13.04.002/2012-13 द्वारा सृजित इक्विटेबल मॉरगेज के रिकार्डों को अपने हित में स्वेच्छा से सरसई में दर्ज करा सकते हैं।

इसके अनुसरण में, सरकार ने सरसई पोर्टल पर निम्नलिखित प्रकार के सुरक्षा हित दाखिल करने के लिए 22 जनवरी 2016 को एक राजपत्र अधिसूचना जारी की:

i. स्वत्व विलेखों के जमा द्वारा बंधक के अलावा अन्य बंधक द्वारा अचल संपत्ति में सुरक्षा हित के सृजन, संशोधन या संतुष्टि का विवरण।
ii. संयंत्र और मशीनरी, स्टॉक, ऋण सहित बही ऋण या प्राप्य, चाहे मौजूदा हो या भविष्य, के दृष्टिबंधक में सुरक्षा हित के सृजन, संशोधन या संतुष्टि का विवरण।
iii. अमूर्त संपत्ति में सुरक्षा हित के निर्माण, संशोधन या संतुष्टि का विवरण, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, लाइसेंस, फ्रैंचाइज़ी या कोई अन्य व्यवसाय या समान प्रकृति का वाणिज्यिक अधिकार।
iv. किसी भी 'निर्माणाधीन' आवासीय या वाणिज्यिक या उसके एक हिस्से में बंधक के अलावा किसी समझौते या साधन द्वारा सुरक्षा हित के निर्माण, संशोधन या संतुष्टि का विवरण।

इस संबंध में, सरसई में अचल (साम्यिक बंधक के अलावा), चल और अमूर्त आस्तियों से संबंधित सुरक्षा ब्याज दाखिल करने के निर्देश 27 दिसंबर 2018 के परिपत्र डीबीआर.लेग.सं.बीसी.15/09.08.020/2018-19 के माध्यम से जारी किए गए जो शहरी सहकारी बैंकों पर लागू कर दिया गया है। तदनुसार, शहरी सहकारी बैंकों को 31 मार्च 2019 तक सरसई के साथ मौजूदा लेनदेन से संबंधित रिकार्ड दाखिल करने की सूचना दी गई थी। यह भी सूचित किया गया है कि सरसई के साथ सभी मौजूदा लेनदेन से संबंधित रिकार्ड निरंतर आधार पर दर्ज करें।

5.3 जानकारी का प्रकटन तथा चूक उधारकर्ताओं की निगरानी

5.3.1 अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों से यह अपेक्षित है कि वे प्रत्येक वर्ष सितंबर और मार्च के अंत में अनुबंध 3 में दिए गए प्रारूप के अनुसार उन उधार खातों की जानकारी दें जिन्हे संदिग्ध, हानि और वाद-दाखिल श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है और जिनकी सकल बकाया राशि (निधिक और गैर-निधिक सीमा) एक करोड़ रुपये और उससे अधिक है।

5.3.2 भारतीय रिज़र्व बैंक बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को चूककर्ताओं (अर्थात् संदिग्ध और हानिवाले के रूप में वर्गीकृत अग्रिम) की जानकारी परिचालित कर रहा है। बैंक और वित्तीय संस्थाएं इस जानकारी का उपयोग मौजूदा और नए ग्राहकों की नई और अतिरिक्त ऋण सीमा के अनुरोधों पर विचार करते समय कर सकते हैं।

5.3.3 शहरी सहकारी बैंक संदिग्ध अथवा हानि के रुप में वर्गीकृत 1 करोड़ रुपये तथा उससे अधिक राशि के बाद दायर खातों की तिमाही सूची क्रेडिट इंफार्मेशन ब्यूरो (इंडिया) लि को तथा /अन्य किसी ऋण आसूचना कंपनी को प्रस्तुत करनी चाहिए जिसे भारतीय रिज़र्व बैंक से पंजीकरण प्रमाण पत्र प्राप्त हो गया है और आपका बैंक उसका सदस्य है।

5.3.4 सभी शहरी सहकारी बैंकों को 25 लाख रुपये तथा उससे अधिक राशि के इरादतन चूककर्ताओं के बाद दायर खातों की सूची प्रति वर्ष मार्च, जून, सितंबर तथा दिसंबर के अंत में क्रेडिट इंफार्मेशन ब्यूरो (इंडिया) लि. तथा /अथवा अन्य किसी ऋण आसूचना कंपनी को प्रस्तूत करनी चाहिए जिसे भारतीय रिज़र्व बैंक से पंजीकरण प्रमाण प्राप्त हो गया है और आपका बैंक उसका सदस्य है।

5.3.5 उन उधार खातों से संबंधित आंकड़े जिनके विरुद्ध अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों तथा वित्तीय संस्थानों द्वारा प्रदान की गई सूचनाओं के आधार पर अग्रिम की वसूली (कुल बकाया राशि ₹1.00 करोड़ और अधिक) के लिए वाद-दाखिल किए गए हैं तथा 25 लाख रुपये एवं उससे अधिक की बकाया राशि वाले इरादतन चूककर्ताओं के वादकृत खातों से संबंधित आंकड़े www.cibil.com पर उपलब्ध हैं।

5.3.6 बैंक यह सुनिश्चित करने के लिए सूची का सत्यापन कर सकते हैं कि चूककर्ता उधारकर्ता इकाई और वाद-दाखिल सूची में नामबध्द मालिकों / साझेदारों / निदेशकों को उनके नाम से और अन्य इकाइयों के नाम से जिनसे वे संबद्ध हैं और ऋण सुविधाएं प्रदान नहीं की जाती हैं।

5.3.7 चूककर्ता बैंक यदि चाहें तो चूककर्ता के बारे में बैंक/वित्तीय संस्था से पूछताछ, कर सकते हैं।

5.4 25 लाख और अधिक रुपये के इरादतन चूकों के मामलों की जानकारी एकत्रित करना और उसका प्रसार

5.4.1 अनुसूचित प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों के लिए तिमाही आधार पर 31 मार्च 1999 के बाद हुए या पता लगे **इरादतन** चूकवाले सभी मामलों को अनुबंध 3 में दिए गए प्रारूप में रिपोर्ट करना आवश्यक है। सभी अनर्जक उधार खाते (निधिक और गैरनिधिक सुविधाएं) जिन्हें निधिक सुविधाओं में शामिल कर लिया है, शामिल होंगे जिनकी बकाया राशि 25.00 लाख और अधिक रुपये होगी।

5.4.2 इरादतन चूक करना तब माना जाएगा जब:

(क) इकाई में अपने दायित्वों को सकारने की क्षमता होते हुए भी उधारदाता को भुगतान/पुनर्भुगतान संबंधी दायित्वों के निर्वाह में चूक की हो।

(ख) इकाई ने उधारदाता को भुगतान / पुनर्भुगतान करने संबंधी दायित्वों के निर्वाह में चूक की हो और उधारदाता से प्राप्त वित्त को उस विशिष्ट प्रयोजनके लिए इस्तेमाल नहीं किया हो जिसके लिए वित्त मंजूर किया गया था और उसने वित्त को अन्य प्रयोजन के लिए इस्तेमाल किया हो।

(ग) इकाई ने उधारदाता को भुगतान / पुनर्भुगतान करने संबंधी दायित्वों के निर्वाह में चूक की हो उसने निधियों को खाते से निकाल लिया हो ताकि निधियों का उस विशिष्ट प्रयोजन के लिए प्रयोग न हो सके जिसके लिए वित्त लिया गया था, और इकाई के पास निधियां अन्य आस्तियों के रूप में भी उपलब्ध न हों।

(घ) इकाई ने उधारदाता को भुगतान / पुनर्भुगतान करने संबंधी दायित्वों के निर्वाह में चूक की हो तथा उसने मीयादी ऋण के लिए जमानत की तौर पर रखी चल संपत्ति या अचल संपत्ति का बैंक या उधारदाता की जानकारी के बिना निपटान किया हो।

5.4.3 कट-ऑफ सीमा

यद्यपि दंडात्मक उपायों की ओर **इरादतन** चूक करने वालों के रूप में पता लगाए गए उधारकर्ताओं और निधियों के विशाखन / साइफनिंग में शामिल प्रवर्तकों का ध्यान अधिक जाता है, अनुसूचित बैंकों द्वारा **इरादतन** चूक करनेवालों की सूचना रिज़र्व बैंक को देने के लिए केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा निर्धारित की गई 25.00 लाख रुपये की ऋण सीमा को ध्यान में रखते हुए 25.00 लाख और उससे अधिक रुपये की बकाया राशि वाले इरादतन चूक करने वाले किसी भी चूककर्ता पर नीचे पैरा 6.6 में निर्धारित दंडात्मक उपाय लागू होंगे। 25.00 लाख रुपये की सीमा निधियों के साइफनिंग /विशाखन का संज्ञान लेने के लिए भी लागू होगी।

दंडात्मक उपाय

5.4.4 **इरादतन** चूक करनेवालों को पूंजी बाजार में जाने से रोकने के लिए रिज़र्व बैंक **इरादतन** चूक**कर्ताओं** की सूची सेबी को भी प्रस्तुत करता है। यह भी निश्चय किया गया है कि इरादतन चूक करनेवालों के लिए अनुसूचित प्राथमिक सहकारी बैंकों द्वारा निम्नलिखित उपाय किए जाने चाहिए।

(क) **इरादतन** चूक करनेवालों को कोई अतिरिक्त सुविधा न दी जाए। इसके अलावा, उन उद्यमियों /प्रवर्तकों की कंपनियों में जहां बैंक को निधियों की साइफनिंग / विशाखन, मिथ्यारूपण, जालसाजी और कपटपूर्ण लेनदेनों का पता चला है उन्हें भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा इरादतन चूक करने वालों की सूची में नाम प्रकाशित किए जाने की तारीख से 5 वर्ष की अवधि के लिए नए उद्योग शुरू करने हेतु संस्थागत वित्तपोषण से वंचित कर दिया जाना चाहिए।

(ख) जहां आवश्यक हो, उधारकर्ताओं/गारंटरों और ऋण के मोचन निषेध के विरुद्ध शीघ्र कानूनी कार्रवाई शुरू कर देनी चाहिए। उधारदाता इरादतन चूक करनेवालों के विरुद्ध जहां आवश्यक हो आपराधिक मामला भी दर्ज कर सकता है।

(ग) जहां संभव हो, बैंकों को इरादतन चूक करनेवाली उधारकर्ता इकाई के प्रबंधतंत्र में परिवर्तन के लिए अनुकूल दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। बैंकों के लिए यह आवश्यक होगा कि वे संपूर्ण प्रक्रिया के लिए पारदर्शी व्यवस्था स्थापित करें ताकि दंडात्मक उपबंधों का दुरुपयोग न हो और विवेकपूर्ण शक्तियों के उपयोग को न्यूनतम रखा जा सके। यह सुनिश्चित किया जाए कि किसी अकेले और एकमात्र अवसर को दंडात्मक उपायों का आधार नहीं बनाना चाहिए।

5.4.5 समूह के मामले में : किसी ग्रुप में **इरादतन** चूक करने वाली किसी अकेली कंपनी पर विचार करते समय बैंकों को उधारदाता को उसके चुकौती करने के संदर्भ में उसके पिछले रेकार्ड पर ध्यान देना चाहिए। तथापि, उन मामलों में जहां **इरादतन** चूक करनेवाली इकाइयों की ओर से कंपनियों के समूह द्वारा दिया गया लेटर ऑफ कंफर्ट और /या गारंटियां अनुसूचित बैंकों द्वारा आह्वान किए जाने पर सकारी नहीं जाती हैं तो ऐसी कंपनियों के समूह को भी / इरादतन चूककर्ता माना जाएगा।

5.4.6 लेखापरीक्षकों की भूमिका : यदि बैंकों को उधारकर्ता के खातों में कोई हेरा-फेरी नजर आए और यह पता चले कि लेखापरीक्षक लेखापरीक्षा करने में लापरवाह और अक्षम रहे थे तो बैंक उधारकर्ता के लेखा परीक्षकों के विरुद्ध भारतीय सनदी लेखापाल संस्थान (आईसीएआई) में एक औपचारिक शिकायत दर्ज करा सकते हैं ताकि आइसीएआई जांच-पड़ताल करके लेखापरीक्षकों की जवाबदेही तय कर सकें।

निधियों के अंतिम उपयोग पर निगरानी रखने के लिए यदि उधारदाता उधारकर्ता द्वारा निधियों के साइफनिंग / विशाखन किए जाने के बारे में उधारकर्ता के लेखापरीक्षक से विशिष्ट प्रमाणपत्र चाहता है तो उधारदाता को इस प्रयोजन के लिए लेखापरीक्षकों को एक अलग अधिदेश देना चाहिए। लेखापरीक्षकों को ऐसा प्रमाणपत्र देने में सुविधा हो, इसलिए अनुसूचित बैंकों को भी यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ऋण करार में यथोचित प्रतिज्ञापत्र शामिल किया जाए ताकि उधारदाता द्वारा उधारकर्ताओं / लेखापरीक्षकों को अधिदेश दिया जा सके।

5.4.7 इरादतन चूक कर्तासे बकाया राशि वसूली के लिए मुकदमा दाखिल करना

अनुसूचित बैंको को जानबूझकर चूक के 1.00 करोड़ और अधिक रुपये वाले सभी मामलों की जांच करनी चाहिए और ऐसे मामलों में, यदि पहले न किया हो तो, मामला दर्ज करना चाहिए। बैंकों को यह भी देखना चाहिए कि ऐसे मामलों में धोखेबाजी/ धोखाधड़ी तो नहीं हुई है और यदि हुई हो तो उन्हें ऐसे उधारकर्ताओं के विरुद्ध आपराधिक मामला दर्ज करना चाहिए। 1.00 करोड़ रुपये से कम के मामलों में बैंकों को चूककर्ता उधारकर्ताओं के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई सहित यथोचित कार्रवाई करनी चाहिए।

6. अग्रिमों की पुनर्रचना से संबन्धित विवेकपूर्ण दिशा निर्देश

6.1. सामान्य सिद्धांत पुनर्रचना का मूल उद्देश्य इकाइयों के आर्थिक मूल्य को संरक्षित करना है न कि समस्या खातों को एवर्ग्रिन करना। यह बैंकों और उधारकर्ताओं द्वारा व्यवहार्यता के सावधानीपूर्वक मूल्यांकन, खातों में कमजोरियों का त्वरित पता लगाने और पुनर्गठन पैकेजों के समयबद्ध कार्यान्वयन द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। विवेकपूर्ण दिशानिर्देश प्राकृतिक आपदाओं के कारण पुनर्रचित ऋण पुनर्रचना के अलावा अन्य सभी श्रेणियों के ऋण पुनर्गठन पर लागू होंगे, जो मौजूदा दिशानिर्देशों द्वारा अभिशासित होते रहेंगे। निर्धारित किए गए सिद्धांत और विवेकपूर्ण मानदंड सभी अग्रिमों पर लागू होते हैं, जिनमें उधारकर्ता भी शामिल हैं जो आस्ति वर्गीकरण के लिए विशेष विनियामकीय उपचार के लिए पात्र हैं, जैसा कि 1 अप्रैल 2021 के मास्टर परिपत्र- आय मान्यता, आस्ति वर्गीकरण, प्रावधानीकरण और अन्य संबंधित मामले- यूसीबी-, समय-समय पर संशोधित के पैरा 2.2.7 में अग्रिमों के पुनर्गठन पर विवेकपूर्ण दिशानिर्देश में वर्णित है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की संशोधित परिभाषा अनुबंध4[1] में दी गई है।

[1] भारत सरकार, राजपत्र अधिसूचना का.आ. 2119 (ई) दिनांक 26 जून, 2020 और आरबीआई परिपत्र.MSME और NFS.BC.No.3/06.02.31/2020-21 दिनांक 2 जुलाई, 2020 का संदर्भ लें।

6.2. अग्रिमों की पुनर्रचना के लिए पात्रता मानदंड

6.2.1. बैंक 'मानक', 'अवमानक' और 'संदिग्ध' श्रेणियों के अंतर्गत वर्गीकृत खातों की पुनर्रचना कर सकते हैं।

6.2.2 बैंक पूर्वव्यापी प्रभाव से उधार खातों का पुनर्निर्धारण/ पुनर्रचना /पुनर्परक्रामण नहीं कर सकते हैं। जबकि एक पुनर्गठन प्रस्ताव विचाराधीन है, सामान्य आस्ति वर्गीकरण मानदंड लागू होते रहेंगे। किसी आस्ति के पुनर्वर्गीकरण की प्रक्रिया केवल इसलिए नहीं रुकनी चाहिए क्योंकि पुनर्रचना प्रस्ताव विचाराधीन है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा पुनर्रचित पैकेज के अनुमोदन की तारीख को आस्ति वर्गीकरण स्थिति पुनर्रचना /पुनर्निर्धारण/ पुनर्परक्रामण के बाद खाते की आस्ति वर्गीकरण स्थिति तय करने के लिए प्रासंगिक होगी। यदि पुनर्गठन पैकेज स्वीकृत करने में अनुचित विलंब होता है और इस बीच खाते की आस्ति वर्गीकरण स्थिति में गिरावट आती है, तो यह पर्यवेक्षी चिंता का विषय होगा।

6.2.3 आम तौर पर, पुनर्गठन तब तक नहीं हो सकती जब तक कि मूल ऋण समझौते में परिवर्तन/परिवर्तन देनदार की औपचारिक सहमति/आवेदन के साथ नहीं किया जाता है। हालांकि, योग्य मामलों में बैंक द्वारा पुनर्रचना की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है, बशर्ते ग्राहक नियम और शर्तों से सहमत हों।

6.2.4 जब तक वित्तीय व्यवहार्यता स्थापित नहीं हो जाती है और पुनर्रचना पैकेज की शर्तों के अनुसार उधारकर्ता से पुनर्भुगतान की उचित निश्चितता नहीं है, तब तक बैंकों द्वारा पुनर्रचना के लिए कोई खाता नहीं लिया जाएगा। बैंकों द्वारा व्यवहार्यता का निर्धारण उनके द्वारा निर्धारित स्वीकार्य व्यवहार्यता बेंचमार्क के आधार पर किया जाना चाहिए, जिसे प्रत्येक मामले की योग्यता के आधार पर मामला-दर-मामला आधार पर लागू किया जा सकता है। उदाहरण के तौर पर, पैरामीटर में नियोजित पूंजी पर प्रतिलाभ, ऋण सेवा कवरेज अनुपात, प्रतिफल की आंतरिक दर और निधियों की लागत के बीच अंतर और पुनर्रचित अग्रिम के उचित मूल्य में कमी के एवज में आवश्यक प्रावधान की राशि शामिल हो सकती है। व्यवहार्य नहीं माने जाने वाले खातों का पुनर्गठन नहीं किया जाना चाहिए और बैंकों को ऐसे खातों के संबंध में वसूली के उपायों में तेजी लानी चाहिए। उधारकर्ता के नकदी प्रवाह को देखे बिना और बैंकों द्वारा वित्तपोषित परियोजनाओं/गतिविधि की व्यवहार्यता का आकलन किए बिना किए गए किसी भी पुनर्गठन को एक कमजोर ऋण सुविधा को हमेशा के लिए हरा-भरा करने के प्रयास के रूप में माना जाएगा और पर्यवेक्षी चिंताओं/कार्रवाई को आमंत्रित करेगा।

6.2.5 धोखाधड़ी और कदाचार में लिप्त उधारकर्ता पुनर्रचना के लिए अपात्र बने रहेंगे।

7. विशिष्ट उधार गतिविधियाँ

7.1 ब्रिज ऋण (अंतरिम ऋण) / अंतरिम वित्त

7.1.1 शहरी सहकारी बैंकों द्वारा किसी भी कंपनी (वित्त कंपनियों सहित) को ब्रिज लोन/अंतरिम वित्त प्रदान करना पूरी तरह से प्रतिबंधित है।

7.1.2 यूरो इश्यू के संबंध में भी ब्रिज ऋण /अंतरिम वित्त की मंजूरी पर प्रतिबंध लागू है।

7.1.3 बैंकों को गैर जमानती परक्राम्य नोट, फ्लोटिंग रेट ब्याज बांड, आदि के साथ-साथ अल्पकालिक ऋण जैसे एक अलग नामकरण के तहत क्रेडिट की मंजूरी के उद्देश्य से और / या इरादे से इन निर्देशों को दरकिनार नहीं करना चाहिए जिसका पुनर्भुगतान बाहरी/अन्य स्रोतों से जुटाई जाने वाली या संभावित निधि से किया जाना प्रस्तावित/अपेक्षित है, न कि आस्ति (संपत्तियों) के उपयोग से उत्पन्न अधिशेष से।

7.1.4 यदि किसी बैंक ने कोई ब्रिज ऋण/अंतरिम वित्त स्वीकृत और संवितरित किया है, तो उसे शहरी बैंक विभाग के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को पूरे विवरण के साथ रिपोर्ट करना चाहिए और प्रमाणित करना चाहिए कि ऋण का उपयोग सख्ती से उसी उद्देश्य के लिए किया जाता है, जिसके लिए पब्लिक इश्यू और / या बाजार उधारी का किया गया था। तत्पश्चात, संबंधित बैंकों को ऐसे पहले से स्वीकृत और संवितरित ब्रिज ऋणों/ अंतरिम वित्त की समय पर चुकौती सुनिश्चित करने के लिए तत्काल कदम उठाने चाहिए और किसी भी परिस्थिति में, बैंकों को मौजूदा ब्रिज ऋणों/अंतरिम वित्त के पुनर्भुगतान के लिए समय बढ़ाने की अनुमति नहीं देनी चाहिए।

7.1.5 ये निर्देश भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 21 और 35ए द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किए गए हैं।

रियल एस्टेट और वाणिज्यिक रियल एस्टेट क्षेत्र के लिए अग्रिम

7.2 शहरी सहकारी बैंकों को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखते हुए अचल संपत्ति ऋण की कुल राशि, ऐसे ऋणों के लिए एकल/कुल जोखिम सीमा, मार्जिन, सुरक्षा, पुनर्भुगतान अनुसूची और पूरक वित्त की उपलब्धता से संबंधित व्यापक विवेकपूर्ण मानदंड तैयार करने चाहिए और यह नीति बैंक के बोर्ड द्वारा अनुमोदित किए जाने चाहिए। वाणिज्यिक अचल संपत्ति के लिए बिल्डरों और ठेकेदारों के एक्सपोजर में वाणिज्यिक अचल संपत्ति (कार्यालय भवन, खुदरा स्थान, बहुउद्देश्यीय वाणिज्यिक परिसर, बहु-परिवार आवासीय भवन, बहु-किरायेदार वाणिज्यिक परिसर, औद्योगिक या गोदाम स्थान, होटल आदि) पर बंधक द्वारा सुरक्षित निधि आधारित और गैर-निधि आधारित एक्सपोजर शामिल होंगे। इसके अलावा, नीति तैयार करते समय, बैंक भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) द्वारा तैयार किए गए राष्ट्रीय भवन कोड को शामिल करने पर भी विचार कर सकते हैं। विस्तृत जानकारी के लिए भारतीय मानक ब्यूरो की वेबसाइट (www.bis.gov.in) देखी जा सकती है।

7.3 लीजिंग/किराया खरीद कंपनियों का वित्तपोषण

7.3.1 सदस्यों के रूप में वित्तीय कंपनियों का नामांकन

(i) शहरी सहकारी बैंकों से आम तौर पर निवेश और वित्तीय कंपनियों जैसे गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थानों को अपने सदस्यों के रूप में नामांकित करने की अपेक्षा नहीं की जाती है, क्योंकि यह संबंधित राज्य सहकारी समिति अधिनियम का उल्लंघन होगा और सभी बैंकों द्वारा अपनाने के लिए अनुशंसित मॉडल उप-नियम सं.9 के प्रावधानों के अनुरूप भी नहीं होगा।

(ii) इसलिए, शहरी सहकारी बैंकों को किराया खरीद/पट्टे पर लेने वाली कंपनियों के अलावा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) को वित्तपोषित करने की अनुमति नहीं है।

7.3.2 वित्तपोषण के लिए मानदंड

(i) जैसा कि वित्त और निवेश कंपनियों के मामले में होता है, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का, जो सदस्यों के रूप में केवल पट्टे/किराया खरीद व्यवसाय में संलग्न नहीं हैं, संबंधित राज्य सहकारी समिति अधिनियम और ऊपर उल्लिखित मॉडल उप-नियम संख्या 9 में निहित प्रावधानों के विपरीत हो सकता है। इसलिए, बैंकों के लिए यह आवश्यक होगा कि उन्हें सदस्य के रूप में स्वीकार करने से पहले संबंधित सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार का पूर्वानुमोदन प्राप्त करें।

(ii) यहां तक कि शहरी सहकारी बैंकों द्वारा लीजिंग और किराया खरीद कारोबार में शामिल कंपनियों को बड़े पैमाने पर वित्तपोषित करना भी भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमतित नहीं है क्योंकि बैंकों को मूल रूप से साधारण लोगों की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने की आवश्यकता होती है।

(iii) वर्तमान में केवल रु.25 करोड़ और उससे अधिक की कार्यशील पूंजी निधि रखनेवाले बैंकों को लीजिंग और किराया खरीद व्यवसाय में शामिल कंपनियों के वित्तपोषण की अनुमति है और वह भी केवल अन्य अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के साथ संघ में। ऐसी कंपनियों को वित्तपोषित करते समय बैंकों को निम्नलिखित मानदंडों का पालन करना चाहिए:

(क) लीजिंग और किराया खरीद व्यवसाय में शामिल कंपनियों के लिए वित्त का स्तर कंपनियों के निवल स्वामित्व वाली निधियों पर निर्भर करता है, जो उनके स्वामित्व वाली निधियों के दस गुना तक के उनके उधार पर समग्र सीमा के अधीन है।

(ख) उपकरण पट्टे और किराया खरीद में लगी कंपनियों को बैंक ऋण (अर्थात, संपत्ति का कम से कम 75 प्रतिशत उपकरण पट्टे / किराया खरीद में है और उनकी अंतिम लेखा परीक्षित तुलन-पत्र के अनुसार उनकी सकल आय का 75 प्रतिशत इन दो प्रकार की गतिविधियों से प्राप्त हुआ है) को निवल स्वामित्व वाली निधियों के तीन गुना की सीमा के भीतर उनके उधार की समग्र सीमा के भीतर निवल स्वामित्व वाली निधियों के दस गुना तक बढ़ाया जा सकता है।

(ग) अन्य उपकरण लीजिंग/किराया खरीद कंपनियों के मामले में (अर्थात ऐसी कंपनियां जिनकी उपकरण लीजिंग/किराया खरीद व्यवसाय में संपत्ति 75 प्रतिशत से कम है और जिनकी पिछले लेखापरीक्षित बैलेंस शीट के अनुसार इन दो प्रकार की गतिविधियों से प्राप्त सकल आय उसके सकाल आय की 75% से कम है) क्रेडिट सीमा उनके शुद्ध स्वामित्व वाले फंड के चार गुना के वर्तमान स्तर से दो गुना के भीतर होनी चाहिए।

7.4 सूचना प्रौद्योगिकी और सॉफ्टवेयर उद्योग के लिए कार्यशील पूंजी वित्त

7.4.1 दृष्टिकोण में एकरूपता लाने के लिए, भारतीय रिज़र्व बैंक ने ऋण के स्वतंत्र प्रवाह को सुसाध्य बनाने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी और सॉफ्टवेयर उद्योग को उधार देने के विभिन्न पहलुओं पर बैंकों की जानकारी के लिए दिशानिर्देश तैयार किए हैं। ये अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों को संबोधित दिनांक 5 अक्टूबर 1998 के हमारे परिपत्र डीएस.एसयूबी.सं.4/13.05.00/98-99 के साथ संलग्न थे। तथापि, बैंक अपने स्वयं के अनुभव के आधार पर दिशा-निर्देशों को भारतीय रिज़र्व बैंक को सूचित किए बिना संशोधित करने के लिए स्वतंत्र हैं ताकि दिशानिर्देशों के उद्देश्य को अक्षरश: प्राप्त किया जा सके।

7.4.2 ये दिशानिर्देश सॉफ्टवेयर उद्योग को ऋण विस्तार के तौर-तरीकों का अध्ययन करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा नियुक्त अध्ययन समूह द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर और उद्योग संघों द्वारा दिए गए सुझावों को ध्यान में रखते हुए तैयार किए गए हैं।

7.4.3 शहरी सहकारी बैंक इस कार्य क्षेत्र में परियोजना मूल्यांकन में कर्मचारियों को प्रशिक्षण देकर इस क्षेत्र में विशेषज्ञता विकसित करने के लिए पर्याप्त कदम उठा सकते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी और सॉफ्टवेयर उद्योगों को कार्यशील पूंजी वित्त विस्तारित करने से पहले यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि संबंधित कर्मचारी उद्योग की आवश्यकताओं के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं और नवीनतम विकास के साथ तालमेल बिठाते हैं ताकि परियोजना मूल्यांकन के उच्च मानकों को बनाए रखा जा सके।

7.5 सोने/चांदी के आभूषणों को गिरवी रखने पर अग्रिम

7.5.1 सोने/चांदी के गहनों पर ऋण और अग्रिमों की मंजूरी से जुड़े अंतर्निहित जोखिमों को कम करने के लिए, शहरी सहकारी बैंकों को सलाह दी जाती है कि वे अनुबंध 5 में वर्णित सुरक्षा उपायों का पालन करें।

7.5.2 **बुलेट चुकौती:** 30 अक्टूबर 2014 से बुलेट पुनर्भुगतान योजना के तहत उनके बैंक के बोर्ड के अनुमोदन से दिए जा सकने वाले स्वर्ण आभूषणों पर ऋण की मात्रा को निम्नलिखित दिशानिर्देशों के अधीन रु.1.00 लाख से बढ़ाकर रु.2.00 लाख कर दिया गया है:

(i) स्वीकृत ऋण की राशि किसी भी समय रु.2.00 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(ii) ऋण की अवधि मंजूरी की तारीख से 12 महीने से अधिक नहीं होगी।

(iii) मासिक अंतराल पर खाते में ब्याज लगाया जाएगा लेकिन मूलधन के साथ भुगतान मंजूरी की तारीख से 12 महीने के अंत में ही देय होगा।

(iv) बैंकों को निरंतर आधार पर ब्याज सहित ऋण की बकाया राशि पर 75% का मूल्य के प्रति ऋण (एलटीवी) अनुपात बनाए रखना चाहिए, ऐसा न करने पर ऋण को गैर-निष्पादित आस्ति (एनपीए) के रूप में माना जाएगा।

(v) इस तरह के ऋण मौजूदा आय पहचान, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधान मानदंडों द्वारा शासित होंगे जो मूलधन और ब्याज के अतिदेय हो जाने पर लागू होंगे।

7.5.3 स्वर्ण आभूषणों की संपार्श्विक प्रतिभूति पर स्वीकृत फसल ऋण ऐसे ऋणों के लिए मौजूदा आय पहचान, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधान मानदंडों द्वारा नियंत्रित होते रहेंगे।

7.5.4 सोने के आभूषणों की हॉलमार्किंग, कैरेटेज, सुंदरता और शुद्धता के रूप में आभूषणों में इस्तेमाल होने वाले सोने की गुणवत्ता सुनिश्चित करती है। बैंक ऐसे हॉलमार्क वाले आभूषणों की जमानत पर अग्रिम देना सुरक्षित और आसान पाएंगे। हॉलमार्क वाले आभूषणों के तरजीही व्यवहार से हॉलमार्किंग की प्रथा को बढ़ावा मिलने की संभावना है जो उपभोक्ताओं, उधारदाताओं और उद्योग के दीर्घकालिक हित में होगी। इसलिए, बैंक आभूषणों पर अग्रिम देने पर विचार करते समय हॉलमार्क वाले आभूषणों के लाभों को ध्यान में रखें और मार्जिन और उस पर ब्याज दरों पर निर्णय लें।

7.5.5 हाल के वर्षों में सोने के आयात में उल्लेखनीय वृद्धि से उत्पन्न चिंताओं के मद्देनजर, शहरी सहकारी बैंकों को सलाह दी गई थी कि वे प्राथमिक सोना, स्वर्ण बुलियन, सोने के आभूषण, सोने के सिक्के, गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ईटीएफ़) की इकाइयों और गोल्ड म्यूचुअल फंड की इकाइयाँ सहित किसी भी रूप में सोने की खरीद के लिए कोई अग्रिम न दें।

7.5.6 एक विवेकपूर्ण उपाय के रूप में, यह निर्णय लिया गया है कि शहरी सहकारी बैंकों द्वारा स्वर्ण आभूषणों के प्रति ऋण (सोने के आभूषणों को गिरवी रखकर बुलेट पुनर्भुगतान ऋण सहित) देने के लिए मूल्य के प्रति ऋण (एलटीवी) अनुपात 75 प्रतिशत से अधिक न हो। इसके अलावा, मूल्यांकन को मानकीकृत करने और इसे उधारकर्ता के लिए और अधिक पारदर्शी बनाने के लिए, यह निर्णय लिया गया है कि प्रतिभूति/संपार्श्विक के रूप में स्वीकार किए गए सोने के आभूषणों का मूल्यांकन पिछले 30 दिनों के लिए 22 कैरेट सोने के समापन मूल्य जैसा कि इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन लिमिटेड [पूर्व में बॉम्बे बुलियन एसोसिएशन लिमिटेड (बीबीए)] के नाम से जाना जाता था] द्वारा उद्धृत किया गया है, के औसत पर किया जाएगा। दिनांक 15 अक्टूबर 2015 के परिपत्र डीसीबीआर.बीपीडी.

(पीसीबी/आरसीबी).परिपत्र. सं. 3/13.05.001/2015-16 के अनुसार, शहरी सहकारी बैंक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा विनियमित कमोडिटी एक्सचेंज द्वारा सार्वजनिक रूप से प्रसारित पिछले 30 दिनों के ऐतिहासिक स्पॉट सोने के मूल्य डेटा का भी उपयोग कर सकते हैं। यदि सोना 22 कैरेट से कम शुद्धता का है, तो बैंक को संपार्श्विक को 22 कैरेट में अनुवाद (गणना) करना चाहिए और संपार्श्विक के सटीक ग्राम का मूल्यांकन करना चाहिए। दूसरे शब्दों में, सोने की कम शुद्धता वाले आभूषणों का मूल्यांकन आनुपातिक रूप से किया जाएगा।

किसान विकास पत्र (केवीपी) सहित लघु बचत लिखतों के अधिग्रहण/निवेश के लिए ऋण प्रदान करना:

7.6 केवीपी में अधिग्रहण/निवेश के लिए ऋण देने से नई बचत को बढ़ावा नहीं मिलता है, बल्कि मौजूदा बचत को बैंक जमा के रूप में लघु बचत साधनों में स्थानांतरित कर दिया जाता है और इस तरह ऐसी योजनाओं के उद्देश्य को विफल कर दिया जाता है। अत: बैंक यह सुनिश्चित करें कि केवीपी सहित लघु बचत लिखतों के अधिग्रहण/निवेश के लिए कोई ऋण मंजूर नहीं किया गया है।

7.7 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को उधार

शहरी सहकारी बैंकों को, सिद्धांत के रूप में, सलाह दी जाती है कि वे आम तौर पर सार्वजनिक क्षेत्र/सरकारी उपक्रमों को बड़े मूल्य के ऋण न दें।

8. बैंकों द्वारा बिलों की भुनाई / पुनर्भुनाई

शहरी सहकारी बैंक वास्तविक वाणिज्यिक/व्यापार बिलों की खरीद/छूट/ मोल-भाव /पुन: भुनाई करते समय निम्नलिखित दिशानिर्देशों का पालन करें:

8.1 चूंकि बैंकों को पहले से ही उधारकर्ताओं की कार्यशील पूंजी सीमा का आकलन/मंजूरी देने के लिए अपने स्वयं के दिशानिर्देश तय करने की स्वतंत्रता दी गई है, वे उधारकर्ताओं को उनकी ऋण आवश्यकताओं के उचित मूल्यांकन के बाद और उनके निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित ऋण नीति के अनुसार कार्यशील पूंजी सीमा के साथ-साथ बिल सीमा भी स्वीकृत कर सकते हैं।

8.2 बैंकों को स्पष्ट रूप से अपने निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित बिल डिस्काउंटिंग नीति निर्धारित करनी चाहिए, जो कार्यशील पूंजी सीमा की मंजूरी की उनकी नीति के अनुरूप होनी चाहिए। इस मामले में, बोर्ड के अनुमोदन की प्रक्रिया में बिलों के प्रस्तुत होने से लेकर इनकी वसूली तक बैंकों की मुख्य परिचालन प्रक्रिया शामिल होनी चाहिए। बैंक बिलों के वित्तपोषण के संबंध में अपनी मुख्य परिचालन प्रक्रियाओं की समीक्षा कर सकते हैं और प्रक्रिया को सरल बना सकते हैं। बिलों की वसूली में देरी की समस्या का समाधान करने के लिए, बैंक संरचित वित्तीय संदेश प्रणाली (एसएफएमएस), जहां कहीं भी उपलब्ध हों, जैसे बेहतर कंप्यूटर/संचार नेटवर्क का लाभ उठा सकते हैं और अपने ग्राहकों के खातों के 'वैल्यू डेटिंग' की प्रणाली को अपना सकते हैं।

8.3 बैंकों को साख-पत्र खोलना चाहिए और बैंकों द्वारा नियमित ऋण सुविधाएं मंजूर किए गए अपने उधारकर्ताओं के वास्तविक वाणिज्यिक और व्यापार लेनदेनों के संबंध में बिलों की खरीद / छूट / मोल-भाव केवल एलसी के तहत ही किया जाना चाहिए। अत: बैंकों को निधि आधारित (बिलों के वित्तपोषण सहित) या गैर-निधि आधारित सुविधाएं जैसे साख-पत्र खोलना, गैर-घटक उधारकर्ता या/और संघ/बहु बैंकिंग व्यवस्था के गैर-घटक सदस्य को गारंटी और स्वीकृति प्रदान नहीं करनी चाहिए।

8.4 30 मार्च 2012 से, साख पत्र के तहत आहरित बिल किसी विशेष शहरी सहकारी बैंक तक सीमित होने के मामले में, और साखपत्र का लाभार्थी उस शहरी सहकारी बैंक द्वारा नियमित ऋण सुविधा प्रदान किए गए उधारकर्ता नहीं है, संबंधित शहरी सहकारी बैंक अपने विवेकाधिकार और एलसी जारी करने वाले बैंक की क्रेडिट योग्यता के बारे में उनकी धारणा के आधार पर, ऐसी एलसी के संबंध में इस शर्त पर मोला-भाव करें कि आय एलसी के लाभार्थी के नियमित बैंकर को प्रेषित की जाएगी। तथापि, नियमित ऋण सुविधाएं स्वीकृत नहीं किए गए उधारकर्ताओं के लिए अप्रतिबंधित साख-पत्रों की मोला-भाव के संबंध में प्रतिबंध लागू रहेगा।

प्रतिबंधित साख-पत्रों के तहत उपर्युक्त के अनुसार बिलों पर मोला-भाव करने वाले शहरी सहकारी बैंकों को, उधार लेने के लिए शेयर लिंकिंग और सदस्यता पर सहकारी समिति अधिनियम के प्रावधानों के संबंध में रिज़र्व बैंक/आरसीएस या सीआरसीएस के निर्देशों का पालन करना होगा।

8.5 क्रेडिट एक्सपोजर के प्रयोजन के लिए, एलसी के तहत खरीदे गए/छूट/ मोला-भाव किए गए बिल (जहां लाभार्थी को भुगतान 'रिज़र्व के तहत' नहीं किया गया है) को एलसी जारी करने वाले बैंक पर एक्सपोजर के रूप में माना जाएगा, न कि उधारकर्ता पर। जैसा कि ऊपर बताया गया है, सभी स्वच्छ मोल-भावों को जोखिम भार सौंपा जाएगा जैसा कि पूंजी पर्याप्तता उद्देश्यों के लिए अंतर-बैंक एक्सपोजर पर सामान्य रूप से लागू होता है। 'रिज़र्व के तहत' आनेवाले मोल-भावों के मामले में एक्सपोजर को उधारकर्ता के ऊपर माना जाना चाहिए और तदनुसार जोखिम भार निर्धारित करना चाहिए।

8.6 एलसी के तहत या अन्यथा बिलों की खरीद / छूट / मोला-भाव करते समय, बैंकों को अंतर्निहित लेनदेन / दस्तावेजों की वास्तविकता स्थापित करनी चाहिए।

8.7 बैंकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जैसे खाली चेक, मांग-पत्र आदि जैसे सुरक्षा मदों के मामले में किया जाता है, खाली एलसी फ़ार्मों को सुरक्षित अभिरक्षा में रखा गया है और दैनिक आधार पर सत्यापित / संतुलित की गई है।

8.8 'विथआउट रिकोर्स' के रूप में खंडित विनिमय के बिलों को आहारित करने और 'विथआउट रिकोर्स' की किंवदंती वाले साख पत्र जारी करने की प्रथा को हतोत्साहित किया जाना चाहिए क्योंकि इस तरह की सूचनाएं मोला-भाव करने वाले बैंक को परक्राम्य लिखत अधिनियम के तहत आहरणकर्ता के विरुद्ध सहारा के अधिकार से वंचित करती हैं। इसलिए, बैंकों को बिना सहारा' खंड वाले एलसी नहीं खोलना चाहिए और बिलों की खरीद/छूट/ मोल-भाव नहीं करना चाहिए।

8.9 आवास बिलों को बैंकों द्वारा खरीदा / भुनाया / मोल-भाव नहीं किया जाना चाहिए।

8.10 समूह की अन्य कंपनियों पर बड़े औद्योगिक समूहों द्वारा स्थापित अग्रिम वित्त कंपनियों द्वारा आहरित बिलों में छूट देते समय बैंकों को सतर्क रहना चाहिए।

8.11 बिलों की पुनर्भुनाई अन्य बैंकों द्वारा रखे गए मीयादी बिलों तक ही सीमित होनी चाहिए। हल्के वाणिज्यिक वाहनों और दो/तीन पहिया वाहनों की बिक्री से उत्पन्न होने वाले बिलों को छोड़कर बैंकों को एनबीएफसी द्वारा पहले भुनाए गए बिलों को फिर से भुनाना नहीं चाहिए।

8.12 बैंक सेवा क्षेत्र के बिलों की छूट में अपने वाणिज्यिक निर्णय का प्रयोग कर सकते हैं। हालांकि, ऐसे बिलों में छूट देते समय, बैंकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वास्तविक सेवाएं प्रदान की जाती हैं, और आवास बिलों में छूट नहीं दी गई है। सेवा क्षेत्र के बिल पुनर्भुनाई के लिए पात्र नहीं होने चाहिए। इसके अलावा, सेवा क्षेत्र के बिलों की छूट के विरुद्ध

वित्त प्रदान करना अप्रतिभूतिगत अग्रिम माना जा सकता है और इसलिए, असुरक्षित अग्रिमों की मंजूरी के लिए शहरी बैंक विभाग द्वारा निर्धारित सीमा के भीतर होना चाहिए।

8.13 भुगतान अनुशासन को बढ़ावा देने के लिए, जो एक निश्चित सीमा तक बिलों की स्वीकृति को प्रोत्साहित करेगा, बैंक के निदेशक मंडल द्वारा निर्धारित सीमा स्तर से अधिक पण्यावर्तवाले सभी कॉर्पोरेट और अन्य घटक उधारकर्ताओं को बैंकों को प्रस्तुत की जानेवाली उनकी आवधिक विवरणियों में अपने अतिदेय देय राशियों के 'एजिंग (परिपक्वन) अनुसूची' का खुलासा करने के लिए अनिवार्य किया जाना चाहिए।

8.14 बैंकों को संपार्श्विक के रूप में भुनाए गए / पुनर्भुनाए गए बिलों का उपयोग करके रेपो लेनदेन में प्रवेश नहीं करना चाहिए।

इन निर्देशों के किसी भी तरह के उल्लंघन को गंभीरता से लिया जाएगा और भारतीय रिज़र्व बैंक से दंडात्मक कार्रवाई का पात्र बनेगा।

9. स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) / संयुक्त देयता समूहों (जेएलजी) को ऋण

शहरी सहकारी बैंक एसएचजी और जेएलजी को इस संबंध में उनकी बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार और नीचे निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार उधार दे सकते हैं:

9.1 **उधार नीति:** एसएचजी/जेएलजी को उधार देना बैंक की सामान्य व्यावसायिक गतिविधि माना जाएगा। शहरी सहकारी बैंकों को अपने बोर्ड के अनुमोदन से एसएचजी/जेएलजी को उधार देने के संबंध में एक व्यापक नीति तैयार करनी होगी। ऋण की अधिकतम राशि, ऋणों पर प्रभार्य ब्याज दर आदि सहित यह नीति बैंक की समग्र ऋण नीति का हिस्सा होनी चाहिए।

9.2 **उधार देने की विधि:** शहरी सहकारी बैंक एसएचजी/जेएलजी को सीधे उधार देने के तरीके का अनुसरण करें। बिचौलियों के माध्यम से उधार देने की अनुमति नहीं होगी।

9.3 **सदस्य के रूप में एसएचजी/जेएलजी का नामांकन:** एसएचजी सदस्यों के बीच बचत की आदत को बढ़ावा देने वाले व्यक्तियों के छोटे समूह हैं जो औपचारिक/अनौपचारिक हो सकते हैं। इन बचतों को बाद में समूह द्वारा आय उत्पन्न करने के उद्देश्यों के लिए सदस्यों को उधार दिया जाता है। दूसरी ओर, जेएलजी व्यक्तियों का एक अनौपचारिक समूह है जो समान प्रकार की आर्थिक गतिविधियों में संलग्न होने के लिए या तो अकेले या समूह तंत्र के माध्यम से पारस्परिक गारंटी के प्रति बैंक ऋण प्राप्त करने के उद्देश्य से एक साथ आता है।

एसएचजी में आम तौर पर 10 से 20 सदस्य होते हैं जबकि एक जेएलजी में आमतौर पर 4 से 10 सदस्य होते हैं। सदस्यता के मामले बैंक द्वारा अपनाए गए उप नियमों और संबंधित राज्य सहकारी समिति अधिनियमों या बहु राज्य सहकारी समिति अधिनियम, 2002 के प्रावधानों द्वारा शासित होते हैं। इसलिए, शहरी सहकारी बैंकों को संबंधित अधिनियम में निहित प्रावधानों द्वारा निर्देशित होना चाहिए और ऐसे सदस्यों का नामांकन करते समय और एसएचजी/जेएलजी को ऋण प्रदान करते समय, जहां कहीं आवश्यक हो, आरसीएस/सीआरसीएस का पूर्वानुमोदन लेना होगा। शहरी सहकारी बैंकों के उप-नियमों में भी इस प्रकार के ऋण प्रदान करने की आवश्यकता है।

9.4 **शेयर लिंकिंग मानदंड:** उधार के साथ शेयर लिंकिंग पर मौजूदा निर्देश एसएचजी/जेएलजी को उधार देने के लिए लागू होंगे।

9.5 **ऋण का स्वरूप – प्रतिभूति और गैर-प्रतिभूति:** गैर-प्रतिभूति ऋण और अग्रिम प्रदान करने संबंधी मौजूदा सीमाएं (व्यक्तिगत और कुल) स्वयं सहायता समूहों को दिए गए ऋणों पर लागू नहीं होंगी। तथापि, शहरी सहकारी बैंकों द्वारा जेएलजी को दिए गए ऋण, उस सीमा तक जो मूर्त सुरक्षा द्वारा समर्थित नहीं हैं, गैर-जमानती माने जाएंगे और गैर-जमानती ऋणों और अग्रिमों पर मौजूदा सीमाओं के अधीन होंगे।

9.6 **एक्सपोजर का स्वरूप** - व्यक्तिगत या समूह: एसएचजी/जेएलजी को दिए गए ऋण व्यक्तिगत एक्सपोजर सीमाओं पर मौजूदा दिशानिर्देशों द्वारा शासित होंगे।

9.7 **ऋण की राशि :** एसएचजी को ऋण की अधिकतम राशि समूह की बचत के चार गुना से अधिक नहीं होनी चाहिए। अच्छी तरह से प्रबंधित एसएचजी के मामले में समूह की बचत के दस गुना की सीमा के अधीन सीमा को पार किया जा सकता है। समूहों का मूल्यांकन कुछ वस्तुनिष्ठ मापदंडों के आधार पर किया जा सकता है जैसे कि सिद्ध (प्रमाणित) ट्रैक रिकॉर्ड, बचत पैटर्न, वसूली दर, हाउसकीपिंग आदि। जेएलजी बैंक के पास जमा रखने के लिए बाध्य नहीं हैं और इसलिए जेएलजी को दिए गए ऋण की राशि जेएलजी की ऋण आवश्यकताओं और ऋण आवश्यकता संबंधी बैंक के आकलन पर आधारित होगी।

9.8 **ऋण के लिए मार्जिन और प्रतिभूति:** मार्जिन/प्रतिभूति आवश्यकता संबंधित शहरी सहकारी बैंक की बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार होगी।

9.9 **प्रलेखन:** यूसीबी ऋण के उद्देश्य और उधारकर्ता की स्थिति को ध्यान में रखते हुए एसएचजी/जेएलजी को दिए जाने वाले ऋणों के लिए सरल दस्तावेज निर्धारित करें।

9.10 **प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र:** कृषि और संबद्ध गतिविधियों के लिए एसएचजी/जेएलजी को दिए गए ऋण को प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र अग्रिम माना जाएगा। इसके अलावा, एसएचजी/जेएलजी को **₹**50,000 तक के अन्य ऋणों को माइक्रो क्रेडिट के रूप में माना जाएगा और इसलिए उन्हें प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अग्रिमों के रूप में माना जाएगा। एसएचजी को उधार, जो प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को ऋण के रूप में अर्हता प्राप्त करते हैं, को भी कमजोर वर्गों को ऋण देने के हिस्से के रूप में माना जाएगा।

9.11 **बचत बैंक खाता खोलना:** एसएचजी/जेएलजी शहरी सहकारी बैंकों में बचत बैंक खाता खोलने के पात्र होंगे।

9.12 **केवाईसी मानदंड:** एसएचजी का बचत बैंक खाता खोलते समय एसएचजी के सभी सदस्यों का केवाईसी सत्यापन करने की आवश्यकता नहीं है और सभी पदाधिकारियों का केवाईसी सत्यापन पर्याप्त होगा। एसएचजी के क्रेडिट लिंकिंग के समय केवाईसी सत्यापन के संबंध में, चूंकि पहले ही बचत बैंक खाता खोलते समय केवाईसी सत्यापित हो चुका होगा और खाता चालू है और क्रेडिट लिंकेज के लिए उपयोग किया जाना है, सदस्यों या पदाधिकारियों का कोई अलग केवाईसी सत्यापन की आवश्यकता नहीं है।

ब्याज कर अधिनियम 1974 का पुनरुद्धार - उधारकर्ताओं से समाहरण

10. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 16 अप्रैल 2004 के अपने निर्णय में आदेश दिया है कि लागू ब्याज दर को पूर्णांकित करके बैंकों द्वारा उधारकर्ताओं से वसूल किया गया अधिक ब्याज बैंकों से वसूल किया जाना चाहिए और वंचित लोगों के लाभ के लिए बनाए गए ट्रस्ट में जमा किया जाना चाहिए। माननीय न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया था कि प्रत्येक संबंधित बैंक उक्त निधि में रु.50 लाख की सीमा तक अंशदान करेगा। तदनुसार, शहरी सहकारी बैंकों को सूचित किया जाता है कि पूर्णांकन के माध्यम से अपने उधारकर्ताओं से ब्याज कर के रूप में वसूल की गई अतिरिक्त राशि, यदि कोई

हो, को उपर्युक्त संदर्भित ट्रस्ट फंड में जमा करें। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने ट्रस्ट के नाम पर स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, शास्त्री भवन शाखा, नई दिल्ली के साथ एसबी खाता संख्या 65012067356 खोला है। शहरी सहकारी बैंक, जिन्होंने उधारकर्ताओं से अगले उच्चतर 0.25% को पूर्णांकित करते हुए ब्याज कर के प्रति अधिक राशि वसूल की है, उक्त राशि को ट्रस्ट फंड में जमा करने के लिए उत्तरदायी हैं। जहां तक ट्रस्ट फंड में रु.50 लाख रुपये की राशि के अंशदान किए जाने का सवाल है, यह संबंधित शहरी सहकारी बैंक जिन्होंने अतिरिक्त राशि जुटाई है, पर निर्भर करता है कि वे इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए निर्णय लें। वर्ष 2005 की रिट याचिका (सिविल) सं.301 के संबंध में दिनांक 21 फरवरी 2014 के उच्चतम न्यायालय के आदेश से यह पता चला है कि ऐसी ऋण संस्थाओं जो अक्तूबर 1991 और मार्च 1997 के बीच अस्तित्व में थीं परंतु जिनका दिनांक अप्रैल 2004 के उच्चतम न्यायालय के आदेश के पहले या उसके बाद किसी अन्य बैंक / वित्तीय संस्था के साथ विलय हो गया था, के मामले में प्रत्येक अंतरिती बैंक रु.50 लाख रुपये तक न्यास निधि में अंशदान करने के लिए जिम्मेदार होगा। साथ ही, प्रत्येक अंतरिती बैंक, अंतरणकर्ता बैंकों द्वारा ऋण एवं अग्रिम पर प्राप्त ब्याज जन्य आय संबंधी ब्याज कर को पूर्णांकित करके संगृहीत की गई अतिरिक्त राशि को भी उक्त निधि में जमा करने हेतु जिम्मेदार होगा। दिनांक 21 फरवरी 2014 के उच्चतम न्यायालय के आदेश के परिप्रेक्ष्य में सभी शहरी सहकारी बैंकों को सूचित की गई थी कि वे उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुसार उचित कार्रवाई करें तथा आरबीआई के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को मामले की स्थिति से अवगत कराएं।

11. प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों में बैंकों द्वारा दिए जाने वाले राहत उपायों पर दिशानिर्देश

11.1 शहरी सहकारी बैंकों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने संचालन के क्षेत्र में सूखे, बाढ़, चक्रवात आदि जैसी प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित लोगों को राहत और पुनर्वास सहायता प्रदान करें। इन दिशा निर्देशों को अनुबंध 2 में दिया गया हैं।

11.2 प्राकृतिक आपदाओं के होने पर राहत उपायों में होनेवाले विलंब को टालने के लिए बैंकों को अपने निदेशक मंडलों के अनुमोदन से यथोचित नीतिगत फ्रेमवर्क तैयार करने चाहिए। उपायों में लचीलापन होना चाहिए ताकि उन्हें स्थिति के अनुरूप यथोचित रूप से ढाला जा सके।

11.3 बैंकों को संविदा अधिनियम और परिसीमन अधिनियम के संबंधित उपबंधों पर विचार करते समय अपने विधि विभाग से परामर्श करके आशोधित दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रलेखण का निपटान कर लेना चाहिए और वे इन दिशानिर्देशों से नियंत्रित मामलों से संबंधित प्रलेखण के बारे में अपने कार्यालयों को उचित अनुदेश दे सकते हैं।

अनुबंध – 1

संपत्ति का मूल्यांकन

मूल्यांकनकर्ताओं का पैनल (पैरा 4.9)

संपत्तियों के मूल्यांकन और मूल्यांकनकर्ताओं की नियुक्ति पर नीति बनाते समय बैंकों द्वारा निम्नलिखित पहलुओं को ध्यान में रखा जाए:

क) संपत्तियों के मूल्यांकन के लिए नीति

i) बैंकों के पास उनके एक्सपोजर के लिए स्वीकृत संपार्श्विक सहित संपत्तियों के मूल्यांकन के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति होनी चाहिए।

ii) मूल्यांकन पेशेवर रूप से योग्य स्वतंत्र (व्यक्ति अतवा फर्म) द्वारा किया जाना चाहिए अर्थात मूल्यांकनकर्ता का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हित नहीं होना चाहिए।

iii) बैंकों को रु. 50 करोड़ या उससे अधिक मूल्य की संपत्तियों के लिए न्यूनतम दो स्वतंत्र मूल्यांकन रिपोर्ट प्राप्त करनी चाहिए।

अचल संपत्तियों की पुनर्मूल्यांकन नीति में, अन्य बातों के साथ-साथ, पुनर्मूल्यांकन के लिए आस्तियों की पहचान के लिए प्रक्रिया, ऐसी आस्तियों के लिए अलग-अलग रिकॉर्ड का रखरखाव, पुनर्मूल्यांकन की आवृत्ति, ऐसी आस्तियों के लिए मूल्यह्रास नीति, ऐसी पुनर्मूल्यांकन संपत्ति की बिक्री के लिए नीति आदि शामिल होनी चाहिए। पॉलिसी में पुनर्मूल्यांकन के विवरण के संबंध में 'लेख पर नोट्स' में किए जाने के लिए आवश्यक प्रकटीकरण भी शामिल होना चाहिए जैसे अचल संपत्तियों की मूल लागत। यह मूल्यह्रास / मूल्यह्रास आदि के लिए पुनर्मूल्यांकन और लेखांकन उपचार के अधीन होना चाहिए। चूंकि पुनर्मूल्यांकन अचल संपत्ति के उचित मूल्य में परिवर्तन को प्रतिबिंबित करना चाहिए, पुनर्मूल्यांकन की आवृत्ति अतीत में संपत्ति की कीमतों में देखी गई अस्थिरता के आधार पर निर्धारित की जानी चाहिए। इसके अलावा, मूल्यह्रास की पद्धति में किसी भी परिवर्तन को संपत्ति के भविष्य के आर्थिक लाभों के उपभोग के अपेक्षित पैटर्न में परिवर्तन को प्रतिबिंबित करना चाहिए। बैंकों को किसी विशेष वर्ग की संपत्ति के लिए पुनर्मूल्यांकन की आवृत्ति / मूल्यह्रास की पद्धति को बदलते समय इन सिद्धांतों का सावधानीपूर्वक पालन करना चाहिए और इस संबंध में उचित प्रकटीकरण करना चाहिए।

ख) स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ताओं का पैनल बनाने की नीति

i) बैंकों के पास पेशेवर मूल्यांकनकर्ताओं को सूचीबद्ध करने की प्रक्रिया होनी चाहिए और 'मूल्यांकनकर्ताओं की अनुमोदित सूची' का एक रजिस्टर बनाए रखना चाहिए।

ii) मूल्यांकनकर्ताओं के पैनल में शामिल होने के लिए बैंक न्यूनतम योग्यता निर्धारित करें। संपत्ति के विभिन्न वर्गों (जैसे भूमि और भवन, संयंत्र और मशीनरी, कृषि भूमि, आदि) के लिए अलग-अलग योग्यताएं निर्धारित करें। योग्यता निर्धारित करते समय, बैंक संपत्ति कर अधिनियम, 1957 की धारा 34एबी (नियम 8ए) के तहत निर्धारित योग्यताओं को ध्यान में रखें।

2. बैंक भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी संबंधित लेखाकरण मानक के दिशानिर्देशों का भी पालन करें।

अनुबंध - 2

प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों में बैंकों द्वारा किए जानेवाले राहत उपायों के लिए दिशानिर्देश
[पैरा 11.1 के तहत]

1. सूखा, बाढ़, चक्रवात और ज्वार-भाटा और प्राकृतिक आपदाओं के आवधिक लेकिन बार- बार आने से देश के किसी न किसी क्षेत्र में जान और माल दोनों की काफी हानि होती है। ऐसी प्राकृतिक आपदाओं के कारण हुई तबाही से लोगों के पुनर्वास के लिए सभी एजेंसियों को काफी प्रयास करने पड़ते हैं। राज्य और स्थानीय प्रधिकारी प्रभावित लोगों के आर्थिक पुनर्वास के लिए कार्यक्रम तैयार करते हैं। वाणिज्यिक बैंकों और सहकारी बैंकों को दी गई विकासात्मक भूमिका में आर्थिक कार्यकलापों के पुनरूत्थान में इनका सक्रिया समर्थन आवश्यक है।

2. चूंकि प्राकृतिक आपदाओं का क्षेत्र, समय और उसकी गहनता का पूर्वानुमान नहीं लगाया ना सकता है, इसलिए बैंकों के लिए यह आवश्यक है कि उनके पास ऐसी दुर्घटनाओं के समय की जानेवाली कार्रवाई की ब्लू प्रिंट हो ताकि अपेक्षित राहत और सहायता तेजी से और बिना समय गंवाए प्रदान की जा सके। इससे यह पूर्व अपेक्षित है कि वाणिज्यिक बैंकों की सभी शाखाओं, ओर क्षेत्रीय ओर आंचलिक कार्यालयों के पास स्थायी अनुदेशों का एक सेट हो जिसमें जिला/राज्य प्राधिकारियों द्वारा आवश्यक घोषणा के बाद अपदाओं से प्रभावित इलाकों में शाखाओं द्वारा की जानेवाली कार्रवाई बताई गई हो। यह आवश्यक हैं कि यह जानकारी राज्य सरकार के अधिकारियों और सभी जिला कलेक्टरों के पास उपलब्ध हो ताकि बैंक की शाखाओं द्वारा की जानेवाली कार्रवाई के प्रति सभी संबंधितों का दृष्टिकोन बिलकुल साफ हो।

3. वाणिज्यिक बैंकों द्वारा ऋण सहायता के प्रावधान के संबंध में सटीक विवरण, स्थिति की आवश्यकताओं, उनकी अपनी परिचालन क्षमताओं और उधारकर्ताओं की वास्तविक जरूरतों पर निर्भर करेगा। इसका निश्चय वे जिला अधिकारियों के परामर्श से कर सकते हैं।

4. फिर भी, बैंकों को एक समान और ठोस कार्रवाई करने में सक्षम बनाने के लिए, विशेष रूप से कृषकों, लघु उद्योग इकाइयों, कारीगरों, छोटे व्यवसायों और प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित व्यापारिक प्रतिष्ठानों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए, निम्नलिखित दिशानिर्देशों की सराहना की जाती है।

5. वित्तीय संस्थाओं द्वारा समन्वित और शीघ्र कार्रवाई को सुगम बनाने के लिए प्रभावित जिले की जिला परामर्शदात्री समिति (डीसीसी) के संयोजकों को प्राकृतिक आपदाओं की घटना के तुरंत बाद एक बैठक बुलानी चाहिए। प्राकृतिक आपदाओं के कारण यदि राज्य का बड़ा हिस्सा प्रभावित हुआ हो तो राज्य /जिला प्राधिकारियों के सहयोग से समन्वित कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (एसएलबीसी) की तुरंत एक बैठक बुलानी चाहिए। प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित व्यक्ति द्वारा अपेक्षित सहायता की मात्रा तय करते समय बैंक व्यक्ति द्वारा राज्य सरकार और / या अन्य एजेंसियों से प्राप्त सहायता / सब्सिडी को हिसाब में ले सकते हैं।

6. क्षेत्रीय/आंचलिक प्रमुखों को कतिपय विवेकपूर्ण शक्तियां प्रदान की जानी चाहिए ताकि जिला / राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति द्वारा की जानेवाली कार्रवाई की सहमति हो जाने पर उन्हें अपने केंद्रीय कार्यालय का नए सिरे से अनुमोदन न लेना पड़े। उदाहरण के लिए, उधारकर्ता की कुल देयताओं (अर्थात् पुराने ऋण से उत्पन्न जहाँ वित्तपोषित आस्तियां प्राकृतिक आपदाओं के कारण खो गई हों या क्षतिग्रस्त हो गई हों और ऐसी आस्तियों के सृजन/ मरम्मत के लिए नए ऋण, मार्जिन, जमानत आदि) को देखते हुए वित्त की मात्रा तय करने, ऋण अवधि का विस्तार करने, नया ऋण मंजूर करने के लिए ऐसी विवेकपूर्ण शक्तियां आवश्यक होंगी।

7. लाभार्थियों की पहचान

बैंक शाखाओं को उनके परिचालन क्षेत्र में प्रभावित गांवों की सूची संबंधित सरकारी प्राधिकारियों से प्राप्त करनी चाहिए। पता लगाए गए व्यक्तियों में से बैंकों के मौजूदा ग्राहकों को हुई हानि का मूल्यांकन आसानी से किया जा सकता है। तथापि, नए उधारकर्ताओं के मामले में इस संबंध में गहन पूछताछ की जानी चाहिए और उनकी आवश्यकताओं की वास्तविकता का पता लगाने के लिए जहां कही उपलब्ध हो, सरकारी प्राधिकारीयों की सहायता ली जानी चाहिए। फसल ऋणों के संबंध में संपरिवर्तन की सुविधा प्रदान करने के लिए जहां यह सुविधा प्रदान की जानी है उस क्षेत्र का पता लगाने की क्रियाविधि नीचे पैराग्राफ 12 में बताई गई है।

8. विस्तार

प्रत्येक शाखा न केवल अपने मौजूदा उधारकर्ताओं को बल्कि अपने कमांड क्षेत्र के अन्य पात्र व्यक्तियों को भी ऋण सहायता प्रदान करेगी, बशर्ते कि वे किसी अन्य वित्तीय एजेंसी द्वारा कवर न किए गए हों।

9. प्राथमिकताएँ

खड़ी फसलों/बागों/वृक्षारोपण आदि के संरक्षण और कायाकल्प के लिए वित्त सहित तत्काल सहायता की आवश्यकता होगी। समान रूप से महत्वपूर्ण पशुधन शेड, अनाज और चारा भंडारण / संरचनाओं की मरम्मत और संरक्षण, जल निकासी, पंपिंग, और पंप-सेट, मोटर, इंजन और अन्य आवश्यक उपकरणों की मरम्मत के लिए अन्य उपाय और संचालन होंगे। मौसमी आवश्यकताओं के अधीन, अगली फसल का वित्तपोषण किया जाएगा।

10. कृषि ऋण

i) कृषि के संबंध में बैंक सहायता की आवश्यकता फसल उगाने के उद्देश्य से अल्पकालिक ऋण के रूप में और दुधारू पशुओं की खरीद, मौजूदा नलकूपों और पंप-सेटों की मरम्मत, नई ट्यूब -कुओं की खुदाई और नए पंप-सेट की स्थापना, भूमि सुधार, गाद / रेत हटाना, खड़ी फसलों / बागों / वृक्षारोपण आदि का संरक्षण और कायाकल्प, पशुधन शेड, अनाज और चारा भंडारण संरचनाओं की मरम्मत और संरक्षण, आदि के लिए सावधि ऋण के रूप में होगी।

ii) **फसल ऋण :** सूखा, बाढ़ आदि जैसी प्राकृतिक आपदाओं के मामले में सरकारी प्राधिकारियों ने जिस हद तक फसलों को क्षति हुई है उसके लिए आनेवारी घोषित की होगी। तथापि, जहां ऐसी घोषणा नही की गई है, वहां बैंकों को संपरिवर्तन सुविधाएं प्रदान करने में विलंब नहीं करना चहिए, ओर डीसीसी के विचारों के समर्थन में जिला कलेक्टर का यह प्रमाणपत्र कि फसल की पैदावार सामान्य पैदावार से 50 प्रतिशत कम है (जिसके लिए विशेष बैठक बुलाई जानी होगी) राहत व्यवस्था शीघ्र करने के लिए पर्याप्त होगा। कलेक्टर का प्रमाणपत्र खाद्यान्नों सहित सभी फसलों को शामिल करते हुए फसलवार जारी किया जाना चाहिए। नकदी फसलों के बारे में इस प्रकार के प्रमाणपत्र का जारी किया जाना कलेक्टर के विवेकाधिकार पर छोड़ दिया गया है।

iii) कारगर होने के लिए किसानों को सहायता शीघ्रातिशीघ्र दी जानी चाहिए। इस प्रयोजन के लिए अग्रणी बैंक और संबंधित जिला अधिकारियों को एक ऐसी क्रियाविधि अपनानी चाहिए जिससे उधारकर्ता का चुनाव, सरकार / सहकारी सोसायटियों / बैंकों की देय राशि, आवेदक की जमीन का स्वत्वाधिकारी संबंधी प्रमाण आदि एक साथ प्राप्त किया जा सकें।

iv) जहां ऋण शिबिर आयोजित किए जा रहे हों वहाँ जिला अधिकारियों के परामर्श से ऐसे शिबिरों के आयोजन की संभावनाओं का पता लगाया जाना चाहिए जिसमें खंड विकास अधिकारी और राजस्व अधिकारी, सहकारी निरीक्षक, पंचायत प्रधान आदि वहीं के वहीं आवेदनों को अंतिम रूप देने पर विचार करने में मदद कर सकें। राज्य सरकार कलेक्टर के साथ निम्नलिखित अधिकारियों या उनके प्रतिनिधियों के लिए उन संबंधित कार्यों के निर्वाह के लिए एक्जीक्यूटिव आदेश जारी करेगी जो ऐसे ऋण शिबिर कार्यक्रम के कार्यान्वयन के अंतर्गत निर्धारित हैं:

- खंड विकास अधिकारी
- सहकारी निरीक्षक
- राजस्व अधिकारी / ग्राम राजस्व सहायक
- क्षेत्र में परिचालन बैंक के अधिकारी
- पैक्स, लैंप्स / एफएसएस
- ग्राम पंचायत प्रधान

विलंब से बचने के लिए, जिस फार्म में सरकारी अधिकारी को ऋण शिबिरों में प्रमाण पत्र देना होता है, जिला मेजिस्ट्रेट को उसकी पर्याप्त प्रतियां छपवा लेनी चाहिए।

v) आगामी फसली मौसम के लिए ऋण आवेदन पर विचार करते समय आवेदक की राज्य सरकार को देय राशि को नजर अंदाज कर देना चाहिए बशर्ते राज्य सरकार प्राकृतिक आपदा होने की तारीख को सरकारी को देय सभी राशियों पर लंबी अवधि के लिए स्थगनादेश घोषित कर देती हो।

11. उपभोक्ता ऋण

विद्यमान अनुदेशों के अनुसार सामान्य उपभोक्ता प्रयोजनों के लिए वर्तमान उधारकर्ताओं को रु 250/- तक ऋण मंजूर कर सकते है तथा जिन राज्यों में राज्य सरकार ने ऐसे ऋणों के लिए जोखिम निधि गठित की हुई है। ऋण की सीमा रु 1000/- तक बढाई जा सकती है। वर्तमान सीमा को बिना किसी जमानत के 5000/- रूपये तक बढ़ाया जा सकता है तथा जोखिम निधि गठित न करने की स्थिति मे भी इस प्रकार के ऋण उपलब्ध कराएं जाए।

12. नए ऋण

उत्पादक गतिविधियाँ आरंभ करने के लिए समय पर नई वित्तीय सहायता न केवल वर्तमान उधारकर्ताओं को, बल्कि अन्य पात्र उधारकर्ताओं को भी उपलब्ध कराई जाए। वर्तमान खातों की स्थिति के बावजूद उधारकर्ताओं को दिए गए नए ऋण चालू देय माने जाएंगे।

13. वर्तमान ऋणों का पुनर्निर्धारण

क. चूंकि प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित लोगों की चुकौती क्षमता आर्थिक व्यवसाय की क्षति और आर्थिक आस्तियों की हानि के कारण बुरी तरह प्रभावित हो जाती है, अतः प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों में यह आवश्यक हो जाता है कि ऋणों की चुकौती में राहत दी जाए। अतः वर्तमान ऋणों का पुनर्निर्धारण आवश्यक होगा। फसल ऋणों में बकाया मूलधन राशि तथा कृषि मीयादी ऋणों के साथ-साथ उस पर अर्जित ब्याज को मीयादी ऋणों में परिवर्तित कर दिया जाए।

ख. मीयादी ऋणों की पुनर्निर्धारित चुकौती अवधि आपदा की गंभीरता और उसकी पुनरावृत्ति, आर्थिक आस्तियों की हानि की सीमा और विपत्ति के आधार पर अलग-अलग हो सकती है। सामान्यतया, चुकौती के लिए पुनर्निर्धारित अवधि 3 से 5 वर्ष हो सकती है। तथापि, जहाँ आपदा से हुई क्षति बहुत अधिक है तो बैंक अपने विवेक के आधार पर चुकौती की

अवधि 7 वर्ष तथा अत्यधिक मुसीबत में चुकौती अवधि अधिकतम 10 वर्ष तक कर सकते हैं। पुनर्निर्धारण के सभी मामलों में अधिस्थगन अवधि कम से कम एक वर्ष होनी चाहिए। साथ ही, बैंकों को ऐसे पुनर्निर्धारित ऋणों पर अतिरिक्त संपार्श्विक की मांग नहीं करनी चाहिए। पुनर्निर्धारित मीयादी ऋण और अन्य देय राशियों की आस्ति वर्गीकरण स्थिति निम्नानुसार होगी:

ग. पुनर्निर्धारित फसल ऋण चालू देय के रुप में माने जाएँ तथा उन्हें अनर्जक आस्तियों के रुप में वर्गीकृत करने की आवश्यकता नहीं है। पुनर्निर्धारित मीयादी ऋणों का आस्ति वर्गीकरण इसके बाद संशोधित शर्तों से शासित होगा तथा अल्पावधि फसलों के लिए दो फसल मौसम तथा लम्बी अवधि की फसलों के लिए एक फसल मौसम के लिए मूलधन का ब्याज तथा / अथवा किस्त अतिदेय रहने पर उन्हें अनर्जक आस्ति माना जाएगा। कृषकों द्वारा उगाई गई फसलों की अवधि के आधार पर उपर्युक्त मानदण्ड पुनर्निर्धारित कृषि मीयादी ऋणों पर लागू होंगे।

घ. उपर्युक्त मानदंड, अग्रिम से संबंधित आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण, और प्रावधानीकरण पर विवेकपूर्ण मानदंडों पर 4 जुलाई 2007 के मास्टर परिपत्र सं. यूबीडी.पीसीबी.एमसी.सं.10/09.14.000/2007-08 के अनुबंध I में सूचीबद्ध सभी प्रत्यक्ष कृषि अग्रिमों पर लागू होंगे।

च. अतिरिक्त वित्त, यदि कोई हो तो "मानक आस्तियों" के रुप में माना जाएगा और भविष्य में उनका आस्ति वर्गीकरण उसकी स्वीकृति की शर्तों और स्थिति से शासित होगा।

छ. यदि ऋणों को पुनर्व्यवस्थित करने का कार्य प्राकृतिक आपदा की तारीख से तीन महीने के भीतर पूरा कर लिया जाता है तो प्राकृतिक आपदा की तारीख की स्थिति के अनुसार आस्ति वर्गीकरण जारी रहेगा। अन्यथा पुनर्व्यवस्थित उधार खाते 09 मार्च 2006 के परिपत्र शबैंवि.बीपीडी.सं.30/09.09.001/05-06 के उपबंधों से नियंत्रित होंगे। इसके अतिरिक्त अवमानक खातों पर लागू दिशानिर्देश संदिग्ध खातों पर आवश्यक परिवर्तन के साथ लागू होंगे।

ज. खुदरा अथवा उपभोग ऋणों के खण्ड में बैंक ऋणों का पुनर्निर्धारण प्रत्येक मामले के आधार पर इस प्रकार किया जाए कि वह उधारकर्ताओं के लिए उपयुक्त हो।

14. वित्त की मात्रा

किसी जिले में विभिन्न फसलों के लिए वित्तपोषण की मात्रा एक समान होगी। वित्त की मात्रा विभिन्न उधारदात्री संस्थाओं द्वारा मौजूदा स्थितियों को ध्यान में रखते हुए वर्तमान में अपनाए गए मानदंडों के आधार पर तय की जाएगी। मात्रा तय करते समय उधारकर्ता की न्यूनतम उपभोक्ता जरूरतों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। संबंधित जिला मेजिस्ट्रेट और जिले में कार्यरत बैंक की शाखाओं को तय की गई मात्रा का पालन करने के लिए सूचित किया जाएगा।

15. विकास ऋण - निवेश लागत

मौजूदा मीयादी ऋण की किस्तों को उधारकर्ता की चुकौती क्षमता और नीचे दिए गए प्राकृतिक आपदा को ध्यान में रख कर पुनर्निधारित / आस्थगत करना होगा।

क) सूखा, बाढ़ और चक्रवात आदि जहां केवल उस वर्ष की फसल को नुकसान हुआ हो और उत्पादक आस्तियों को नुकसान न हुआ हो।

ख) बाढ़ और चक्रवात जहां उत्पादक आस्तियां आंशिक रूप से या पूर्णतया क्षतिग्रस्त हो गई हैं और उधारकर्ता को नए ऋण आवश्यकता है।

ii) श्रेणी (क) के अंतर्गत प्राकृतिक आपदा के संबंध में बैंक प्राकृतिक आपदा के वर्ष के दौरान किस्त के भुगतान को आस्थगित कर सकते हैं और ऋण की अवधि को बढ़ा सकते हैं (निम्नलिखित अपवादों के अधीन)-

क) वे किसान जिन्होंने विकासकार्य/निवेश, जिसके लिए ऋण लिया था, वह नहीं किया अथवा ऋण से खरीदे गए उपकरणों/ मशीनों को बेच दिया है।

ख) वे जो आयकरदाता हैं।

ग) सूखा पड़ने के मामले में वे किसान जिनके पास, नहरों से पानी की आपूर्ति को छोड़कर सिंचाई के बारह मासी स्रोत उपलब्ध हैं या अन्य बारहमासी स्रोतों से सिंचाई की सुविधा उपलब्ध नहीं है।

घ) ट्रैक्टर के मालिक, उन वास्तविक मामलों को छोड़कर जहां आय में घाटा हुआ हो और उसके फलवरूप उनकी चुकौती क्षमता में ह्रास हुआ हो।

iii) इस व्यवस्था के अंतर्गत पूर्व वर्षों में जानबूझकर किस्तों में हुई चूक पूनर्निर्धारण के लिए पात्र नहीं होगी। बैंकों को उधारकर्ताओं द्वारा दिए जानेवाले ब्याज के भुगतान को आस्थगित करना होगा। विस्तार अवधि तय करते समय ब्याज के प्रति प्रतिबध्दता को भी ध्यान में रखना होगा।

iv) उपर्युक्त श्रेणी (i)(बी) के संबंध में अर्थात् जहां उधारकर्ताओं की आस्तियां पूर्णत: क्षतिग्रस्त हो गई हों, वहां ऋण अवधि को बढ़ाकर ऋण चुकौती का पुनर्निर्धारण, अल्पावधि ऋणों और नए फसल ऋणों की चुकौती को आस्थगित कर देने के कारण पुराने मीयादी ऋणों और संपरिवर्तन ऋण (मध्यावधि ऋण) की चुकौती के प्रति उधारकर्ता की वचनबध्दता सहित उनकी सकल चुकौती क्षमता के आधार पर तय किया जानी चाहिए। ऐसे मामलों में सरकारी एजेंसियों से प्राप्त आर्थिक सहायता, बीमा योजनाओं आदि के अंतर्गत उपलब्ध क्षतिपूर्ति, को घटाकर कुल ऋण की चुकौती अवधि का निर्धारण उन मामलों को छोड़कर जहां ऋण भूमि को समतल करने, गाद हटाने और भूमि उध्दार के लिए हो, निवेश के प्रकार के साथ - साथ वित्तपोषित आस्ति की आर्थिक (उपयोग) जीवन के आधार पर 15 वर्ष की अधिकतम अवधि के अधीन उधारकर्ता की चुकौती क्षमता को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए। इस प्रकार कृषि मशीनरी अर्थात् पंप सेट, और टैक्टर के लिए ऋण के मामलों में यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि ऋण की कुल अवधि अग्रिम की तारीख से सामान्यत: 9 वर्षों से अधिक न हो।

16. मौजूदा मीयादी ऋणों के पुनर्निर्धारण के अलावा बैंक प्रभावित किसानों को निम्नलिखित विकासात्मक प्रयोजनों के लिए विविध प्रकार के मीयादी ऋण प्रदान करेंगे जैसे कि:

i) लघु सिंचाई

कुओं, पंपसेटों आदि की मरम्मत के लिए मीयादी ऋण जिनकी मात्रा क्षति की प्रमात्रा और मरम्मत की अनुमानित लागत के मूल्यांकन के बाद तय की जा सकती है।

ii) बैल

जहां हल / गाड़ी खीचने वाले पशु खत्म हो गए हैं वहां बैंलों / भैसों की नई जोड़ी खरीदने के लिए नए ऋण देने पर विचार किया जा सकता है। जहां ऋण नए पशु खरीदने के लिए दिया गया है या जहां किसान ने दुधारू पशु खरीदे हैं वहां पशुचारा या खाद्य खरीदने के लिए पर्याप्त ऋण दिया जा सकता है।

iii) दुधारू पशु

दुधारू पशु खरीदने के लिए मीयादी ऋण पर पशु की नस्ल, दूध उत्पाद आदि को ध्यान में रखकर विचार किया जाएगा। ऋण राशि में छाजन की मरम्मत, उपकरणों की खरीद और पशुखाद्य शामिल होंगे।

iv) बीमा

चक्रवात और अन्य प्राकृतिक आपदाओं के प्रति क्षेत्र की प्रवणता को ध्यान में रखते हुए इसी प्रयोजन के लिए सुरक्षित क्षेत्रों की तरह जोखिम व नश्वरता निधि खड़ी करने के बजाए पशुओं का बीमा करवा लेना चाहिए। दुधारू पशुओं / हल / गाड़ी खीचने वाले पशुओं की पहचान के लिए और लाभार्थियों द्वारा उन्हें दोबारा बेचे जाने के प्रति सुरक्षा उपाय के रूप में उन्हें ब्रांडेड किया जाना चाहिए।

v) मुर्गीपालन और सूअर पालन

मुर्गीपालन, सुअर पालन और बकरी पालन के लिए ऋण पर अलग - अलग बैंकों के मानदंडों के अनुसार विचार किया जाएगा।

(i) **मत्स्यपालन**

जिन उधारकर्ताओं की नाव, जाल और अन्य उपकरण नष्ट हो गये है उनके बारे में मौजूदा ऋण की चुकौती को गुण-दोषों के आधार पर पुनर्निर्धारित किया जाए। उन्हें 3/4 वर्ष की परिपक्वता अवधि वाले नए ऋण मंजूर किए जा सकते हैं। मौजूदा उधारकर्ता की नाव की मरम्मत के लिए भी ऋण देने पर विचार किया जा सकता है। जिन मामलों में सबसीडी उपलब्ध है वहां ऋण की मात्रा उस सीमा तक कम कर देनी चाहिए। उन राज्यों में जहां नाव जाल आदि की लागत के प्रति पर्याप्त मात्रा में सबसीडी मिलने की संभावना हो वहां राज्य के संबंधित विभागों के साथ यथोचित समन्वय सुनिश्चित किया जाना चाहिए। अग्रिम प्रदान करने से संबंधित सभी मानदंडों और शर्तों का पालन करने के अलावा, मत्स्यपालन विभाग से भी संपर्क किया जाना चाहिए जिससे यह अपेक्षित है कि वह इस प्रयोजन के लिए वित्तपोषण प्रदान करने में बैंक की सहायता करेगा। जहां तक संभव हो, प्राकृतिक आपदाओं सहित सभी जोखिमों के प्रति नाव का व्यापक बीमा किया जाना चाहिए।

17. भूमि-उधार

(i) यह संभव है कि बालू आच्छादित जमीन के सुधार के लिए वित्तीय सहायता आवश्यक होगी। सामान्यतया, 3 इंच तक जमा बालू/ गाद को जुताई द्वारा मिट्टी में ही मिला दिया जाता है या किसान द्वारा वित्तीय सहायता के बिना हटा दिया जाता है। जहां तत्काल बुआई संभव है और भूमि उध्दार (बालू को हटाना) आवश्यक है वहां ऋण आवेदनों पर विचार किया जाना चाहिए। जहां लवणयुक्त भूमि के उध्दार की आवश्यकता हो वहां भूमि उध्दार की लागत जो फसल ऋण के 25% से अधिक नहीं होनी चाहिए, फसल ऋण के साथ दी जा सकती है।

(ii) रेशम, उत्पादन, बागबानी, फुलोद्यान, पान आदि जैसी गतिविधियों के लिए बैंक अपनी मौजूदा योजनाओं के अंतर्गत निवेश और कार्यशील पूंजी ऋण प्रदान करेंगे और उनके द्वारा निर्धारित सामान्य क्रियाविधि अपनाएंगे।

कार्यशील पूंजी वित्त उस अवधि तक के लिए प्रदान किया जाएगा जब तक कि बागान से हाने वाली आय ऐसे खर्चों के लिए पर्याप्त नहीं हो जाती।

(iii) तथापि, यदि आवश्यक हो तो व्यक्तिगत निर्धारण पर खड़ी फसल/फलोद्यान के पुनर्जीवन / नवीकरण के लिए जरूरत के मुताबिक अतिरिक्त फसल ऋण दिया जा सकता है।

(iv) पर्याप्त मात्रा में बीजों और विभिन्न प्रकार के उर्वरकों के अभिग्रहण और उचित आपूर्ति की व्यवस्था के प्रश्न पर राज्य सरकार और प्रत्येक जिले में जिला प्रशासन के साथ चर्चा की जानी चाहिए। उसी प्रकार पर्याप्त सिंचाई सुविधाएं सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए बाढ़ और अन्य प्राकृतिक आपदाओं के कारण क्षतिग्रस्त हुए सरकार के स्वामित्ववाले छिछले और गहरे नलाकूपों और नदी उत्थापक (लिफ्ट) सिंचाई प्रणाली की मरम्मत सरकार द्वारा की जाएगी। मछलीपालन के लिए राज्य सरकार का मछलीपालन विभाग फिंगरलिंग्स प्राप्त करने की व्यवस्था करेगा / और उन व्यक्तियों को आपूर्ति करेगा जो बैंक वित्त की सहायता से तालाब में मछली पालन को पुनर्जीवित करना चाहता हैं।

(v) राज्य सरकार को ऐसी योजनाएं बनाने पर विचार करना होगा जिनसे वाणिज्यिक बैंकों को इस प्रयोजन के लिए दी गई राशि के लिए नाबार्ड की दर से पुनर्वित्त प्राप्त हो सके।

18. **कारीगर और स्व-नियोजित व्यक्ति**

(i) हथकरधा बुनकरों सहित सभी श्रेणी के ग्रामीण कारीगरों और स्व-नियोजित व्यक्तियों के लिए ऋण की आवश्यकता शेडों की मरम्मत, उपकरणों को बदलने, कच्चा माल खरीदने और भंडारण के लिए होगी। ऋण मंजूर करते समय संबंधित राज्य सरकार से उपलब्ध सबसीडी/ सहायता के प्रति यथोचित ध्यान दिया जाएगा।

(ii) कई कारीगर, व्यापारी, और स्वनियोजित व्यक्ति ऐसे होंगे जिनके पास किसी भी बैंक के साथ कोई बैंकिंग व्यवस्था या सुविधा नहीं होगी लेकिन उन्हें अब पुनर्वास के लिए वित्तीय सहायता की आवश्यकता होगी। ऐसी श्रेणी के व्यक्ति उन बैंक शाखाओं से वित्तीय सहायता पाने के पात्र होंगे जिनके कमांड एरिया में वे रहते हैं या अपना व्यवसाय/कारोबार चला रहे हैं। जहां कोई व्यक्ति / पार्टी एक से अधिक बैंकों के कमांड एरिया में आता हो वहां संबंधित बैंक मिलकर उसकी समस्या का समाधान करेंगे।

19. **लघु और अतिलघु उद्योग**

(i) ग्राम और कुटीर उद्योग क्षेत्र, के अंतर्गत किसी इकाई, लघु औद्योगिक इकाई के पुनर्वास और क्षतिग्रस्त हुई मझौले औद्योगिक क्षेत्र की इकाई की ओर भी ध्यान देने की आवश्यकता होगी। फैक्टरी भवनों / शेडों और मशीनरी की मरम्मत / नवीकरण करने, और क्षतिग्रस्त पुर्जो को बदलने, कच्चा माल खरीदने के लिए कार्यशील पूंजी और भंडारण के लिए तुरंत मीयादी ऋण देना होगा।

(ii) जहां कच्चा माल या तैयार माल बह गया है या नष्ट हो गया है या क्षतिग्रस्त हो गया हो वहां बैंक को दी गई जमानत का भी स्वाभाविक रूप से क्षय हुआ होगा और कार्यशील पूंजी खाता (नकदी ऋण या ऋण) अनियमित

हो जाएगा। ऐसे मामलों में बैंक प्रतिभूति के मूल्य से अधिक आहरण की राशि को मीयादी ऋण में सपरिवर्तित करेंगे और उधारकर्ताओं को आगे और कार्यशील पूंजी प्रदान करेंगे।

(iii) सही गई क्षति और पुनर्वास के लिए जरूरी समय और उत्पादन पुन: शुरू होने और उसकी बिक्री के आधार पर एवं इकाई की आय उत्पन्न करने की क्षमता को ध्यान में रखते हुए मीयादी ऋण की किस्तों का यथोचित रूप से पुनर्निधारित करना होगा। मार्जिन में कमी को माफ करना होगा, यहां तक कि छोड़ देना होगा और उधारकर्ता को अपने भावी नकदी उत्पत्ती से धीरे-धीरे मार्जिन राशि जुटाने की अनुमति देनी होगी। जहां राज्य सरकार या किसी एजेंसी ने ग्रांट/सबसीडी/सीडमनी देने के लिए कोई विशेष योजना बनाई हो तो ऐसी ग्रांट / सबसीडी/सीडमनी की मात्रा तक यथोचित मार्जिन निर्धारित की जानी चाहिए।

(iv) छोटी /अतिलघु इकाइयों को उनके पुनर्वास के लिए ऋण देने में बैंकों की प्राथमिक सोच पुनर्वास कार्यक्रम के कार्यान्वयन के बाद इकाई का अर्थक्षम होना है।

20. शर्तें और निबंधन

राहत ऋणों को संचालित करने वाली शर्तें और निबंधन जमानत और मार्जिन के बारे में लचीली होनी चाहिए। निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम की गारंटी से संरक्षित छोटे ऋणों के मामलों में वैयक्तिक गारंटी के लिए आग्रह नहीं किया जाना चाहिए। किसी भी हालत में वैयक्तिक गारंटी के अभाव में ऋण नकारा नहीं जाना चाहिए।

21. प्रतिभूति

जहां बाढ़ के कारण क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण बैंक की मौजूदा जमानत का क्षय हुआ है, वहां मात्र अतिरिक्त नई जमानत के अभाव में वित्तीय सहायता नकारी नहीं जानी चाहिए। जमानत का मूल्य (मौजूदा के साथ-साथ नए ऋण से प्राप्त की जानेवाली आस्ति) भले ही ऋण राशि से कम हो, फिर भी नए ऋण दिए जाने चाहिए।

(क) जहां पहले फसल ऋण (जिसे मीयादी ऋण के रूप में संपरिवर्तित किया गया है) वैयक्तिक प्रतिभूति / फसल के बंधक रखने, पर जो 5000/- रूपये तक फसल ऋण का मामला होगा, दिया गया था और उधारकर्ता संपरिवर्तित ऋण के लिए भूमि को प्रतिभूति के रूप में प्रभारित / बंधक रखने की स्थिति में नहीं है, वहां केवल इस आधार पर कि वह भूमि को जमानत के रूप में प्रस्तुत नहीं कर सकता है, उसे संपरिवर्तन की सुविधा नकारी नहीं जानी चाहिए।

(ख) यदि उधारकर्ता ने पहले ही भूमि को बंधक / प्रभारित रख कर मीयादी ऋण ले लिया हो तो बैंक को संपरिवर्तित मीयादी ऋण के लिए दूसरे प्रभार पर सहमत हो जाना चाहिए।

(ग) संपरिवर्तन सुविधा प्रदान करने के लिए बैंक को तीसरी पार्टी की गारंटियों के लिए आग्रह नहीं करना चाहिए।

(घ) उपकरण को बदलने, मरम्मत करने आदि के लिए मीयादी ऋणों और कारीगरों और स्व-नियोजित व्यक्तियों के लिए कार्यशील पूंजी वित्त या फसल ऋणों के मामले में हमेशा की तरह जमानत प्राप्त की जाए। मूल स्वत्वाधिकार अभिलेखों के अभाव में जहां भूमि को जमानत के रूप में स्वीकार किया गया हो वहां उन किसानों को वित्तपोषण प्रदान करने के लिए जिन्होंने अपने स्वत्वाधिकार के प्रमाण खो दिए

हैं, राजस्व विभाग के अधिकारियों द्वारा विलेखों के रूप में जारी प्रमाणपत्र के साथ-साथ पंजीकृत बटाइदारों को जारी पंजीकरण प्रमाणपत्र प्राप्त करने चाहिए।

(च) ग्राहक सेवा पर भारतीय रिज़र्व बैंक की रिपोर्ट की सिफरिशों के अनुसार बैंक उधारकर्ताओं को किसी भी आर्थिक कार्यकलाप के लिए संपार्श्विक जमानता या गारंटी का आग्रह किए बिना 500/- रूपये तक का वित्तपोषण प्रदान करेंगे।

22. **मार्जिन**

मार्जिन की आवश्यकता को माफ कर दिया जाए या संबंधित राज्य सरकार द्वारा दी गई ग्रांट / सबसीडी को मार्जिन समझ लिया जाए।

23. **ब्याज**

ब्याज की दरें भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्देशों के अनुसार होंगी। तथापि, अपने विवेकाधिकार क्षेत्र के अतर्गत, बैंकों से अपेक्षित है कि वे उधारकर्ताओं की परेशानियों के प्रति सहानुभूतिपूर्ण रवैया अपनाए और प्रभावित लोगों को रियायत दें।

(i) विभेदक ब्याज दर योजना के अंतर्गत पात्रता संबंधी मानदंडों को पूरा करनेवाले व्यक्तियों को योजना के उपबंधों के अनुसार ऋण दिया जाना चाहिए।

(ii) वर्तमान देय राशियों के चूक के मामले में, कोई दंडात्मक ब्याज नहीं लगाया जाएगा। बैंकों को चक्रवृध्दि ब्याज लगाना भी समुचित रूप से आस्थिगत कर देना चाहिए।

24. **अन्य मामले**

(i) **कारोबार निरन्तरता योजना (बीसीपी)**

बैंकिंग प्रणाली में तकनीक के बढ़ते हुए परिदृश्य में कारोबार निरन्तरता योजना (बीपीसी) कारोबार में रुकावट और प्रणाली असफलता को कम करने के लिए पहली प्रमुख पूर्वापेक्षा है। कारोबार निरन्तरता योजना प्रणाली के रुप में, बैंक प्राकृतिक आपदा के घेरे में आने वाली संभावित शाखाओं के लिए विकल्प के रूप में अन्य शाखाओं की पहचान करें। इसलिए बैंकों को केवल आपदा वसूली व्यवस्था के साथ-साथ पूर्णरूपेण एक विस्तृत कारोबार निरन्तरता योजना (बीसीपी) तैयार करनी चाहिए। बैंकों को अपनी डीआर साइट को अद्यतन बनाए रखने पर भी ध्यान देना चाहिए ताकि वे उनकी विस्तृत जाँच कर सकें और प्राथमिक और द्वितीयक साइटों के बीच आँकड़ों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित रख सकें।

(ii) **ग्राहकों को उनके बैंक खाते तक पहुंच**

(क) ऐसे क्षेत्र जहां बैंक शाखाएँ प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित हुए हैं तथा सामान्य रुप से कार्य नहीं कर पा रहे हैं वहां बैंक भारतीय रिज़र्व बैंक को सूचित करते हुए अस्थायी परिसर से परिचालन कर सकते हैं। अस्थायी परिसर में 30 दिन से अधिक समय बने रहने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय से विशेष अनुमोदन प्राप्त किया जाना चाहिए। बैंक यह भी सुनिश्चित करें कि भारतीय रिज़र्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय को सूचना देते हुए अनुषंगी कार्यालय, विस्तार काउंटर गठित करके या मोबाइल बैंकिंग सुविधाओं द्वारा प्रभावित क्षेत्रों को बैंकिंग सेवाएं प्रदान की जाती है।

(ख) ग्राहकों की तत्काल नकदी आवश्यकताओं को संतुष्ट करने हेतु बैंक सावधि जमा जैसे खातों को सुलभ बनाने संबंधी दंड में छूट देने पर विचार कर सकता है।

(ग) एटीएम के कार्य को फिर से शीघ्र चालू करने या ऐसी सुविधाएं उपलब्ध करवाने हेतु अन्य व्यवस्था को उचित महत्व दिया जाए। बैंक ऐसी व्यवस्था पर विचार कर सकते हैं जिससे ग्राहक अन्य एटीएम नेटवर्क, मोबाइल एटीएम आदि तक पहुँच सकें।

(iii) **मुद्रा प्रबंधन**

प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित बैंक/शाखा, यदि आवश्यक हो तो अन्य बैंकों से जिनमें उनके खाते हों अथवा मुद्रा तिजोरी शाखा से संपर्क कर सकता है जिसके साथ वह संलग्न है ताकि उसके ग्राहकों को नकदी की आपूर्ति की जा सके।

(iv) **केवाइसी मानदंड**

प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित व्यक्तियों को नए खाते खुलवाने हेतु विशेषतः सरकार / अन्य एजेंसियों द्वारा दिये जानेवाले विभिन्न राहतों का उपभोग करने हेतु बैंक निम्नलिखित आधार पर खाता खोल सकते हैं -

क) अन्य खाता धारक जो संपूर्ण केवाइसी प्रक्रिया से गुज़रा हो, से परिचय या

ख) पहचान के दस्तावेज़ जैसे वोटर पहचान पत्र या ड्राइविंग लाइसेंस, किसी कार्यालय, कंपनी, विद्यालय, महाविद्यालय द्वारा जारी पहचान पत्र के साथ पता दर्शाता हुआ दस्तावेज़ जैसे बिजली का बिल, राशन कार्ड आदि, या

ग) दो पड़ोसियों का परिचय जिनके पास उपर्युक्त पैरा 5 (ख) में दर्शाये दस्तावेज हों, या

घ)उपर्युक्त न होने पर अन्य कोई सबूत जिससे बैंक संतुष्ट हो।

च) उपर्युक्त अनुदेश उन मामलों पर लागू होंगे जहां खाते में शेष 50,000/- रु. से अधिक न हो या प्रदान की गई राहत की राशि (यदि अधिक हो) और खाते में कुल जमा 1,00,000/- रु. या एक वर्ष में प्रदान राहत की राशि (यदि अधिक हो) से अधिक न हो।

(v) **समाशोधन एवं निपटान प्रणाली**

समाशोधन सेवा में निरन्तरता सुनिश्चित करने हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों को 20 बड़े शहरों में "ऑन-सिटी बैक-अप केन्द्र" तथा शेष शहरों के लिए प्रभावी अल्प लागत निपटान समाधान के संबंध में सूचित किया। समाशोधन क्षेत्र में जहां सामान्य समाशोधन सेवाओं में बाधाएं आती हों वहां बैंक लचीली समाशोधन सेवाएं उपलब्ध करा सकता है। तथापि, इन व्यवस्थाओं के बावजूद बैंक ग्राहकों की निधि अपेक्षाओं की पूर्ति के लिए बड़ी राशि के लिए चेक भुनाने हेतु विचार कर सकता है। बैंक इएफटी, इसीएस या डाक सेवाओं के शुल्क में छूट देने पर विचार कर सकता है ताकि प्राकृतिक आपदा से प्रभावित व्यक्तियों के खातों में निधि अंतरण हो सके।

25. व्यापार और उद्योग के मामले में दिशा-निर्देशों की प्रयोज्यता

पुनर्व्यवस्थित ऋणों के लिए अधिस्थगन, अधिकतम चुकौती अवधि, अतिरिक्त संपार्श्विक संबंधी अनुदेश तथा नए वित्त के संबंध में आस्ति वर्गीकरण संबंधी मानदंड सभी प्रभावित एवं पुनर्व्यवस्थित उधार खातों पर लागू होंगे जिनमें कृषि के अलावा उद्योग एवं व्यापार के खाते शामिल हैं।

26. दंगों और उपद्रवों के मामले में दिशा-निर्देशों की प्रयोज्यता

भारतीय रिज़र्व बैंक जब कभी भी बैंकों को दंगों / उपद्रवों से प्रभावित लोगों को पुनर्वास सहायता देने के लिए सूचित करता हैं तो बैंक को स्थूल रूप से उक्त दिशा-निर्देशों को पालन करना चाहिए। तथापि, यह सुनिश्चित किया जाए कि राज्य सरकार की एजेंसी दंगों आदि से प्रभावित के रूप में विधिवत पता लगाए गए व्यक्तियों को ही पुनर्वास सहायता प्रदान की जाती है।

(i) प्रभावित लोगों को तुरंत राहत सुनिश्चित करने के लिए, दंगा / उपद्रव होने पर जिला कलेक्टर अग्रणी बैंक अधिकारी को, यदि आवश्यक हो तो, डीसीसी की बैठक बुलाने और दंगों / उपद्रव के क्षेत्र में जान-माल की हानि की मात्रा पर डीसीसी को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कह सकता है। डीसीसी यदि इस बात से संतुष्ट हो जाती है कि जान और माल की काफी हानि हुई हैं, तो दंगों / उपद्रवों से प्रभावित लोगों को ऊपर बताए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार राहत सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। कुछ केंद्रों पर जहां डीसीसी नहीं हैं, जिला कलेक्टर राज्य की एसएलबीसी के आयोजकों से प्रभावित व्यक्तियों को राहत देने पर विचार करने के लिए बैंठक का आयोजन करने के लिए कह सकता है। कलेक्टर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट और उस पर डीसीसी/एसएलबीपी के निर्णय को दर्ज किया जाना चाहिए और उसे बैठक के कार्यविवरण में शामिल किया जाना चाहिए। बैठक के कार्य विवरण की एक प्रति भारतीय रिज़र्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय के भेजी जानी चाहिए।

(ii) यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि जिला प्रशासन द्वारा दंगों / उपद्रव से प्रभावित के रूप में पता लगाए गए वास्तविक व्यक्तियों को हो सहायता दी जाती है।

अनुबंध – 3

प्रारूप - बकाया (निधिक और गैर-निधि दोनों के तहत) कुल ₹1.00 करोड़ और उससे अधिक के उन उधार खातों का विवरण जिन्हें संदिग्ध,हानि या वाद के रूप में वर्गीकृत किया गया है
[पैराग्राफ 5.3.1 देखें]

बैंक का नाम:

1. कंपनी / फर्म का नाम

2. कंपनी/फर्म का पंजीकृत पता:

3. चूककर्ता कंपनी/फर्म के निदेशकों/भागीदारों के नाम

4. शाखा का नाम:

5. प्रत्येक सुविधा के तहत स्वीकृत सुविधाओं के प्रकार और सीमाएं:

6. बकाया राशि:

7. प्रत्येक श्रेणी में धारित प्रतिभूतियों की प्रकृति और मूल्य:

8. चूककर्ता खाते का आस्ति वर्गीकरण (संदिग्ध,हानि या दाखिल वाद का उल्लेख करें):

9. खाते को संदिग्ध / हानि / दायर किए गए वाद के रूप में वर्गीकृत करने की तिथि

इरादतन चूक करने पर डेटा की रिपोर्टिंग के लिए प्रारूप

[पैराग्राफ 5.4.1 देखें]

ए) इनपुट मीडिया: 3.5" फ्लॉपी डिस्क फ़ाइल

बी) फ़ाइल विशेषताएँ: ASCII या dbf फ़ाइल

विभिन्न मदों का क्षेत्रवार विवरण इस प्रकार है:

1) क्रम संख्या : 9 (4) प्रत्येक रिकॉर्ड को दिया जाने वाला अद्वितीय नंबर

2) बैंक-शाखा का नाम: x 14) जैसा कि मूल सांख्यिकीय विवरणी के मामले में है

3) पार्टी का नाम: x(45) कानूनी नाम

4) पंजीकृत पता: x(96) पंजीकृत कार्यालय का पता

5) बकाया राशि: 9(6) कुल बकाया राशि ₹लाख

6) निदेशकों का नाम: x(336) 24 बाइट्स के 14 उप-क्षेत्रों में विभाजित किया जाना है

7) स्थिति: मुकदमा दायर किया गया या नही किया गया

अनुबंध - 4

सूक्ष्म,लघु और मध्यम उद्यमों की परिभाषा

(पैराग्राफ 6 देखें)

भारत सरकार (जीओआई), राजपत्र अधिसूचना एस.ओ. 2119 (ई) दिनांक 26 जून, 2020 ने उद्यमों को सूक्ष्म,लघु और मध्यम उद्यमों के रूप में वर्गीकृत करने के लिए नए मानदंड अधिसूचित किए हैं। विवरण के लिए कृपया 2 जुलाई, 2020 का परिपत्र एफआईडीडी.एमएसएमई और एनएफएस.बीसी.सं.3/06.02.31/2020-21 देखें। नए मानदंड 1 जुलाई, 2020 से लागू होंगे और किसी उद्यम को निम्नलिखित मानदंडों के आधार पर सूक्ष्म,लघु या मध्यम उद्यम प्रकार में वर्गीकृत किया जाएगा:

i. सूक्ष्म उद्यम, जहां संयंत्र और मशीनरी या उपकरण में निवेश एक करोड़ रुपये से अधिक नहीं है और कारोबार पांच करोड़ रुपये से अधिक नहीं है;

ii.लघु उद्यम, जहां संयंत्र और मशीनरी या उपकरण में निवेश दस करोड़ रुपये से अधिक नहीं है और कारोबार पचास करोड़ रुपये से अधिक नहीं है; तथा

iii.मध्यम उद्यम, जहां संयंत्र और मशीनरी या उपकरण में निवेश पचास करोड़ रुपये से अधिक नहीं है और कारोबार दो सौ पचास करोड़ रुपये से अधिक नहीं है।

अनुबंध - 5

सुरक्षा उपाय - स्वर्ण / चांदी के आभूषण गिरवी रखने के बदले में अग्रिम

(पैरा 7.5.1 देखें)

(i) गहनों का स्वामित्व

यह आवश्यक है कि बैंक के पास जिन व्यक्तियों की बाकायदा पहचान है उन्हीं को अग्रिम दिया जाए। गहनों को गिरवी के रूपमें स्वीकार करने से पहले बैंक गहनों के स्वामित्व के संबंध में खुद को संतुष्ट करें। बैंक उधारकर्ता से यह घोषणपत्र प्राप्त करें कि गहने उसकी संपत्ति हैं तथा बैंक के पास उन्हें गिरवी रखने का उसे पूर्ण अधिकार है। गिरवी रूप में के लिए गहने स्वीकार करना तथा बैंक की बकाया राशि चुकता करने के बाद संबंधित पार्टी को गहने लौटाने का कार्य प्राधिकृत कार्यालयीन कक्ष में ही किया जाना चाहिए ताकि किसी भी प्रकार के जोखिम से बचा जा सके।

(ii) मूल्यांक

गिरवी रखने के लिए प्रस्तावित स्वर्णभूषणों का मूल्यांकन करने के लिए बैंक को अनुमोदित ज्वेलर्स या श्रॉफ की मूल्यांकनकर्ता के रूप में नियुक्ति करनी चाहिए तथा क्षतिपूर्ति बांड और नकद के रूप में पर्याप्त प्रतिभूति रखनी चाहिए। गहनों का मूल्यांकन एवं समीक्षा बैंक परिसर में ही करना उचित होगा परंतु जब यह संभव न हो तब मार्ग में होनेवाली हानि से बचने के लिए बैंक उचित सावधानी बरते। बैंक के पास तालाबंद बक्से में गहने भेजे जिसकी एक चाबी के पास तथा दूसरी बैंक के पास रखी जाए। बक्से को बैंक के जिम्मेदार स्टाफ के जरिए तथा भावी उधारकर्ता के साथ भेजा जाए। हर बार बक्से में गहने रखने का कार्य बाक्स को मूल्यांकनकर्ता के पास ले जाने वाले कर्मचारी तथा उधारकर्ता की उपस्थिति में किया जाए। मार्ग में गहनों की हानि के लिए बैंक आवश्यक बीमा करवाएं।

(iii) मूल्यांकन रिपोर्ट

(क) मूल्यांकन प्रमाणपत्र में गहनों का वर्णन, उनकी सूक्ष्मता, गहनों का सकल वजन, सोने की मात्रा का निवल वजन जिसमें नग, लाख, मिश्र धातु, तार, झूलन आदि का वजन शामिल नहीं है तथा सोने का मौजूदा बाजार मूल्य आदि स्पष्ट रूप से दर्शाया जाना चाहिए। द्वारा मूल्यांकन रिपोर्ट विधिवत हस्ताक्षरित होनी चाहिए जो ऋण दस्तोवेजों के साथ बैंक के पास रखा जाना चाहिए।

(ख) मूल्य निर्धारण को मानकीकृत करने तथा उधारकर्ता के लिए इसे और पारदर्शी बनाने के लिए यह निर्णय लिया गया है कि जमानत/संपार्श्विक के रूप में स्वीकृत स्वर्ण आभूषण का मूल्य निर्धारण पूर्ववर्ती 30 दिनों के लिए 22 कैरेट सोने के उस बंद भाव के औसत पर किया जाएगा जो इंडिया बुलियन और ज्वेलर्स एसोसिएशन लि. [जिसे पहले बॉबे बुलियन एसोसिएशन लिमिटेड (बीबीए) के रूप में जाना जाता था] द्वारा उद्धृत किया गया हो। यदि स्वर्ण की शुद्धता 22 कैरेट से कम हो तो बैंकों को संपार्श्विक को 22 कैरेट में परिवर्तित कर संपार्शिवक के सटीक भार का मूल्यांकन करना चाहिए। दूसरे शब्दों में कम शुद्धता वाले स्वर्ण के आभूषणों का मूल्य निर्धारण आनुपातिक रूप से किया जाएगा।

(iv) प्रतिभूति का रिकार्ड

उधारकर्ता का पूर्ण नाम, उसका आवासीय पता, अग्रिम की तारीख, राशि तथा गहनों का विस्तृत वर्णन 'सोने के गहने' नामक रजिस्टर में दर्ज किया जाए तथा प्रबंधक द्वारा इसकी जांच की जानी चाहिए और उस पर अपने आद्याक्षर दर्ज़ किए जाने चाहिए।

(v) गहनों की अभिरक्षा

प्रत्येक उधारकर्ता के गहने (या प्रत्येक ऋण की वस्तुएं) गहनों के वर्णन, स्वर्ण ऋण खाता सं., पार्टी का नाम आदि की सूची के साथकपडे की छोटी थैलियों में अलग-अलग रखा जाए। ऋण खाता सं, तथा पार्टी के नाम का एक टैग बैग के साथ बांधा जाए ताकि उनकी पहचान करने में सुविधा हो। ऋण खाता संख्या के क्रमानुसार थैलियां ट्रे में रखी जाएं तथा स्ट्राँग रूम या अग्निरोधी आलमारियों (फायर प्रुफ सेफ) में संयुक्त अभिरक्षा में रखी जाएं।

(vi) अवधि

स्वर्णाभूषणों के बदले में अग्रिम की अवधि सामान्यत: 6 महीनों से 1 साल तक ही सीमित रखनी चाहिए।

(vii) मार्जिन

एक विवेकपूर्ण उपाय के रूप में यह निर्धारित करने का निर्णय लिया गया है कि स्वर्ण आभूषणों की जमानत पर बैंक ऋण के लिए स्वर्ण आभूषणों की जमानत पर बुलेट चुकौती ऋण) समेत मूल्य के प्रति ऋण अनुपात (एलटीवी((75% से अधिक न हो। बैंक को अग्रिम पर ब्याज की वसूली शीघ्रतापूर्वक करनी चाहिए। किसी भी परिस्थिति में उपचित ब्याज ऋण खाते से नामे कर निर्धारित मार्जिन कम नहीं करना चाहिए।

(viii) आभूषण लौटाना

खाते के ब्याज के साथ ऋण चुकाने पर उधारकर्ता को आभूषण लौटाने चाहिए तथा उससे आभूषण प्राप्ति की रसीद प्राप्त करनी चाहिए।

(ix) आंशिक रूप से आभूषण लौटाना

ऋण की आंशिक चुकौती के बदले में कुछ आभूषण लौटाते समय यह सावधानी बरती जाए कि शेष आभूषणों का मूल्य खाते में निर्धारित मार्जिन के साथ बकाया राशि को कवर करने के लिए पर्याप्त हो।

(x) तीसरे पक्ष को सुपुर्दगी

जब आभूषण तीसरे पक्ष की सुपुर्द किए जाते हैं, तो उधारकर्ता से प्राधिकार पत्र तथा बाद में उधारकर्ता से सुपुर्दगी की पुष्टि प्राप्त करें। प्राधिकार पत्र में उधारकर्ता द्वारा इस आशय का वचन दिया जाना चाहिए कि पत्र में उल्लिखित तीसरे पक्ष को आभूषणों की सुपुर्दगी से उत्पन्न, विवाद या हानि की जिम्मेदारी बैंक की नहीं होगी। प्राधिकार पत्र तथा गोल्ड लोन लेजर पर तीसरे पक्ष की रसीद प्राप्त करें।

(xi) चूक

जब उधारकर्ता नियत तारीख को चुकौती करने से चुक जाता है तो उसे यह सूचना दी जाए की निर्धारित समयावधि में वह ऋण की चुकौती करे तथा यदि कोई उत्तर ने मिलने की स्थिति में पंजीकृत डाक द्वारा उसे यह कहते हुए अनुस्मारक भेजा जाए कि आभूषणों की नीलामी की जाएगी और बकाया राशि का बिक्री राशि से समायोजन करने के बाद यदि कोई राशि बचती है तो उधारकर्ता को वह अदा की जाएगी तथा उसकी रसीद ली जाएगी।

(xii) आभूषणों को पुन: गिरवी रखना

आभूषणों को पुन: गिरवी रखना अग्रिम देना शहरी सकारी बैंको के लिए उचित नहीं है क्योंकि इस सुविधा का वित्तपोषण किए जाने की संभावना है जो अनुचित कार्यकलाप है।

(xiii) बीमा

बैंक के पास गिरवी रखें गए रत्नों की चोरी की जोखिम के लिए बीमा करना चाहिए। यदि बैंक गिरवी रखे रत्नों को अग्निरोधक स्टाग रुम में रखता है तो आगजनी के लिए उनका बीमा करने की आवश्यकता नहीं है। नकद, रत्नाभूषण तथा अन्य मौल्यवान वस्तूँ और सभी प्रकार की जोखिम के लिए बीमा करावाएँ।

(xiv) सत्यापन

संयुक्त अभिरक्षक से अन्य अधिकारी द्वारा सोना / चांदी के आभूषण रखें गए पैकेटों का आकस्मिक सत्यापन किया जाए तथा इसे अलग रजिस्टर में आवश्यक ब्यौरों के साथ दर्ज किया जाए।

अनुबंध – 6

[पैराग्राफ 5.1.2 के अनुसार]

i. **ऋण देने संबंधी सभी निर्णयों में तथा खाता खोलने के लिए ऋण सूचना रिपोर्ट (सीआईआर)/साख ब्यूरो का उपयोग:** शहरी सहकारी बैंक अपनी ऋण मूल्यांकन प्रक्रिया/ऋण नीतियों में एक या एक से अधिक साख सूचना कंपनियों से सीआईआर मंगवाए जाने संबंधी उचित प्रावधानों को शामिल करें ताकि सिस्टम में उपलब्ध सूचना के आधार पर ऋण सबंधी निर्णय लिए जा सकें।

ii. **सभी साख सूचना कंपनियों के डेटाबेस को वाणिज्यिक उधारकर्ताओं के डेटा से परिपूर्ण बनाया जाना**: साख सूचना कंपनियां अपने डेटाबेस में वाणिज्यिक उधारकर्ताओं के संबंध में पर्याप्त रूप से डेटा शामिल करने हेतु एक कार्ययोजना लागू किए जाने की आवश्यकता है। इस उद्देश्य से शहरी सहकारी बैंकों को सूचित किया जाता है कि वे तत्काल प्रभाव से अपने कार्पोरेट उधारकर्ताओं के संबंध में डेटा की रिर्पोटिंग साख सूचना कंपनियों को समयबद्ध रूप से करें। छह महीने की अवधि के बाद, शहरी सहकारी बैंक को भी बोर्ड अनुमोदित नीति के तहत वाणिज्यिक/कॉर्पोरेट उधारकर्ताओं के संबंध में साख सूचना कंपनियों के पास उपलब्ध डेटा का उपयोग शुरू करें।

iii. **डेटा फार्मेट का मानकीकरण**: शहरी सहकारी बैंकों द्वारा साख सूचना कंपनियों को डेटा प्रस्तुत करने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित बनाए जाने की दृष्टि से, शहरी सहकारी बैंकों द्वारा साख सूचना कंपनियों को डेटा प्रस्तुत किए जाने संबंधी फार्मेटों को मानकीकृत किए जाने का निर्णय लिया गया है। उपभोक्ता और वाणिज्यिक उधारकर्ताओं के लिए डेटा फार्मेट को मानकीकृत किए जाने के संबंध में अनुबंध-क में बताए गए फार्मेट को आधार मानें। ये डेटा फार्मेट अविशिष्ट रिपोर्टिंग फार्मेट होंगे और अब से ये “समरूप क्रेडिट रिपोर्टिंग फार्मेट” के नाम से जाने जाएंगे। विभिन्न खंड यथा- उपभोक्ता और वाणिज्यिक को कोष्ठकों में उचित प्रकार से चिह्नित किया जाएगा, उदाहरण के लिए –“समरूप क्रेडिट रिपोर्टिंग फार्मेट (उपभोक्ता)”। इनको शहरी सहकारी बैंकों द्वारा समान रूप से अपनाया जाना चाहिए।

iv. **तकनीकी कार्यदल**: डेटा फार्मेट की निरंतर रूप से समीक्षा करने तथा जरूरी होने पर संशोधन किए जाने की प्रणाली स्थापित करने के लिए अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, (सरकारी क्षेत्र के बैंक, निजी क्षेत्र बैंक और विदेशी बैंक प्रत्येक से एक सदस्य), शहरी सहकारी बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी), अखिल भारतीय अधिसूचित वित्तीय संस्थाओं, साख सूचना कंपनियों, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों, आवास वित्त कंपनियों, भारतीय बैंक संघ तथा माइक्रो वित्तीय संस्था नेटवर्क के प्रतिनिधियों को शामिल करते हुए एक तकनीकी कार्य दल का गठन करने का निर्णय लिया गया है। दल द्वारा डेटा फार्मेट को अंतिम रूप दिए जाने के बाद इसको भारतीय रिजर्व बैंक को अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जाएगा। कार्यदल अनुबंध ख में दिए गए अतिरिक्त फ़ील्ड्स भी शामिल करेगा।

v. **अस्वीकृत डेटा में सुधार किया जाना**: साख सूचना कंपनियों को डेटा स्वीकृति में शामिल आधार और मान्यकरण प्रक्रियाओं को शहरी सहकारी बैंकों के साथ साझा करना चाहिए ताकि डेटा अस्वीकृति के अवसरों को न्यूनतम किया जा सके। अस्वीकृति के कारणों को मानकीकृत किए जाने और शहरी सहकारी बैंकों के बीच परिचालित किए जाने की आवश्यकता है। अस्वीकृति रिपोर्टें आसान और सरल बनाई जानी चाहिए ताकि इनका प्रयोग रिपोर्टिंग और डेटा स्तरीय मुद्दों के समाधान हेतु किया जा सके। शहरी सहकारी बैंकों को चाहिए कि वे अस्वीकृति रिपोर्ट प्राप्त होने के सात दिनों के भीतर अस्वीकृत डेटा में सुधार करें और इसे साख सूचना कंपनियों को पुन: प्रस्तुत (अपलोड) करें।

vi. **डेटा गुणवत्ता सूचकांक:** एक सामान्य डेटा गुणवत्ता सूचकांक शहरी सहकारी बैंकों को उनके डेटा में कमियों को पहचानने और समय के साथ-साथ उनके निष्पादन में सुधार लाने में सहायक होगा। इसके अलावा, वे अपने समकक्षों की तुलना में अपने निष्पादन के स्तर को मापने और अपनी सापेक्ष स्थिति का निर्धारण करने में भी समर्थ

हो सकेंगे। शहरी सहकारी बैंक अपने डेटा प्रस्तुतीकरण की गुणवत्ता का मूल्यांकन करने के लिए इस डेटा गुणवत्ता सूचकांक को अपना सकते हैं और डेटा गुणवत्ता में सुधार के प्रयास करते हुए छह महीने की अवधि के भीतर डेटा अस्वीकृति में कमी ला सकते हैं।

vii. **शहरी सहकारी बैंकों के लिए सर्वोत्तम प्रथाएं**: प्रत्येक शहरी सहकारी बैंक को साख सूचना कंपनी (विनियमन) अधिनियम, 2005 (सीआईसीआरए) के तहत अपने संचालक मंडल के अनुमोदन से नीतियों और प्रक्रियाविधि का निर्धारण या समीक्षा करते समय अनुबंध-ग में दी गई सर्वोत्तम प्रथाओं को ध्यान में रखना चाहिए।

परिशिष्ट क

उपभोक्ता और वाणिज्यिक उधारकर्ताओं के लिए समरूप क्रेडिट रिपोर्टिंग फार्मेट

(क) उपभोक्ता ब्यूरो

घटक	**फील्ड्स**							
शीर्ष	रिपोर्टिंग सदस्य /प्रोसेसर की यूज़र आईडी	रिपोर्टिंग सदस्य / प्रोसेसर का लघु नाम	चक्रीय पहचान	रिपोर्ट करने तथा प्रमाणन की तारीख	रिपोर्टिंग पासवर्ड		अधिप्रमाणन का तरीका	सदस्य डेटा
नाम	ग्राहक का नाम	जन्म तारीख	लिंग					
पहचान	पहचान का प्रकार	पहचान संख्या	जारी किए जाने की तारीख	समाप्ति की तारीख				
टेलीफोन	टेलीफोन संख्या	टेलीफोन विस्तार संख्या	टेलीफोन का प्रकार					
ईमेल	ईमेल आईडी							
पता	ग्राहक का पता	राज्य कूट	पिनकोड	पते की श्रेणी	आवास कोड			
खाता	मौजूदा/नए रिपोर्टिंग सदस्य का कूट		मौजूदा/नए सदस्य का लघु नाम	मौजूदा/नए खाते की संख्या	खाते का प्रकार	स्वामित्व सूचक	खोले जाने/ वितरित किए जाने की तारीख	अंतिम भुगतान की तारीख
	बंद किए जाने की तारीख		रिपोर्ट करने तथा प्रमाणन की तारीख	अधिकतम ऋण/ मंजूर राशि	मौजूदा शेष	अतिदेय राशि	देय होने के बाद के दिनों की संख्या	पुराना रिपोर्टिंग सदस्य कूट
	पुराना सदस्य का लघु नाम		पुरानी खाता संख्या	पुराने खाते का प्रकार	पुराना स्वामित्व सूचक	वाद दाखिल / इरादतन चूककर्ता	अपलिखित / निपटान स्थिति	आस्ति वर्गीकरण
	संपार्श्विक की कीमत		संपार्श्विक का प्रकार	ऋण सीमा	नकदी सीमा	ब्याज दर	चुकौती अवधि	ईएमआई की रकम
	निवल/सकल आय सूचक		मासिक/वार्षिक आय सूचक					

(ख) **वाणिज्यिक ब्यूरो**

घटक	**फील्ड्स**						
शीर्ष	सदस्य की पहचान	पिछली सदस्य पहचान	इनपुट फाईल के बनने तथा प्रमाणीकरण की तारीख	रिपोर्टिंग/ चक्र(साईकिल) की तारीख	सूचना का प्रकार	फिलर	
उधारकर्ता	सदस्य शाखा कूट	पिछला सदस्य शाखा कूट	उधारकर्ता का नाम	उधारकर्ता का लघु नाम	कंपनी पंजीकरण संख्या	निगमन की तारीख	
	पीएएन	सीआईएन	टीआईएन	सेवा कर #	अन्य पहचान	उधारकर्ता का विधिक संघटन	कारोबारी श्रेणी
	कारोबार/ उद्योग प्रकार	कार्य की श्रेणी 1	कार्य की श्रेणी 2	कार्य की श्रेणी 3	एसआईसी कूट	बिक्री के आंकडे	वित्तीय वर्ष
	कर्मचारियों की संख्या	क्रेडिट रेटिंग	निर्धारण एजेंसी/ प्राधिकारी	मौजूदा क्रेडिट रेटिंग	क्रेडिट रेटिंग समाप्ति तारीख	फिलर	
पता	उधारकर्ता का कार्यालय स्थान का प्रकार	उधारकर्ता कार्यालय डीयूएनएस संख्या	पता लाईन1	पता लाईन2	पतालाईन3	शहर/कस्बा	जिला
	राज्य/ संघ शासित प्रदेश	पिनकोड	देश	मोबाइल संख्या(एं)	टेलीफोन एरिया कोड	टेलीफोन संख्या(एं)	फैक्स एरिया कोड
	फैक्स संख्या(एं)	फिलर					
रिश्ता	रिश्ता डीयूएनएस संख्या	रिश्ते का प्रकार	रिश्ता	कारोबारी संस्था का नाम	कारोबारी श्रेणी	कारोबार/ उद्योग का प्रकार	व्यक्ति के नाम का उपसर्ग
	पूरा नाम	लिंग	कंपनी की पंजीकरण संख्या	निगमन की तारीख	जन्म तारीख	पीएएन	मतदाता पहचान संख्या
	पासपोर्ट संख्या	वाहन चालक लाईसेंस पहचान संख्या	यूआईडी	राशन कार्ड संख्या	सीआईएनए	डीआईएन	टीआईएन
	सेवाकर #	अन्य पहचान	नियंत्रण का प्रतिशत	पता लाईन1	पता लाईन2	पतालाईन3	शहर/ कस्बा
	जिला	राज्य/ संघ शासित प्रदेश	पिनकोड	देश	मोबाइल संख्या	टेलीफोन संख्या(एं)	टेलीफोन एरिया कोड
	फैक्स एरिया कोड	फैक्स संख्या(एं)	फिलर				
ऋण सुविधा	खाता संख्या	पिछली खाता संख्या	सुविधा/ ऋण शुरू किए जाने/	स्वीकृत राशि/संविदा	करेंसी कूट	ऋण का प्रकार	अवधि/ संविदाओं

			स्वीकृति किए जाने की तारीख	का कल्पित मूल्य			की औसत भारित परिपक्वता अवधि
	चुकौती बारंबारता	आहरण अधिकार	मौजूदा शेष/ प्रयुक्त सीमा/ बही में लिया गया बाजार भाव	बकाया पुनर्रचित संविदाओं की कल्पित राशि	ऋण समाप्ति/ परिपक्ता की तारीख	ऋण के नवीकरण की तारीख	आस्ति वर्गीकरण
	आस्ति वर्गीकरण की तारीख	अतिदेय राशि/ अतिदेय सीमा	अतिदेय खंड 01 (1-30दिन)	अतिदेय खंड 02(31-60 दिन)	अतिदेय खंड 03 (61-90 दिन)	अतिदेय खंड 04 (91-180 दिन)	अतिदेय खंड 05 (180 दिन से अधिक)
	अधिकतम ऋण	किस्त की रकम	पिछली चुकौती राशि	खाते की स्थिति	खाते की स्थिति की तारीख	अपलिखित राशि	निपटान राशि
	पुनर्रचना के मुख्य कारण	एनपीए के रूप में वर्गीकृत संविदाओं की राशि	आस्ति आधारित सिक्यूरिटी कवरेज	गांरटी कवरेज	बैंक रिमार्क कोड	इरादतन चूक स्थिति	इरादतन चूक के रूप में वर्गीकृत किए जाने की तारीख
	वाद दाखिल स्थिति	वाद संदर्भ संख्या	वाद की राशि रुपयों में	वाद की तारीख	विवाद आईडी संख्या	लेनदेन का प्रकार कूट	फिलर
गारंटीकर्ता	गारंटीकर्ता का डीयूएनएस	गारंटीकर्ता का प्रकार	कारोबारी श्रेणी	कारोबार/उद्योग का प्रकार	गारंटीकर्ता संस्था का नाम	व्यक्ति के नाम का उपसर्ग	पूरा नाम
	लिंग	कंपनी पंजीकरण संख्या	निगमन की तारीख	जन्म तिथि	पीएएन	मतदाता पहचान संख्या	पासपोर्ट संख्या
	वाहन चालक लाईसेंस संख्या	यूआईडी	राशन कार्ड संख्या	सीआईएनए	डीआईएन	टीआईएन	सेवा कर#
	अन्य पहचान	पता लाईन1	पता लाईन2	पता लाईन3	शहर/कस्बा	जिला	राज्य/ संघशासित प्रदेश
	पिनकोड	देश	मोबाइल संख्या(एं)	टेलीफोन संख्या(एं)	टेलीफोन एरिया कोड	फैक्स एरिया कोड	फैक्स संख्या(एं)
	फिलर						
जमानत	जमानत का मूल्य	करेंसी का प्रकार	जमानत का प्रकार	जमानत का वर्गीकरण	मूल्यांकन की तारीख	फिलर	
चेक वापसी	घटक पहचान	चेक वापसी की तारीख	राशि	लिखत/ चेक संख्या	कितनी बार वापस हुए	चेक जारी करने की	वापसी का कारण

	सूचक					तारीख	
फाईल बंद किया जाना	उधारकर्ता घटकों की संख्या	ऋण सुविधा घटकों की संख्या	फिलर				

परिशिष्ट ख
डेटा फार्मेट में परिवर्तन

बैंकों, अखिल भारतीय अधिसूचित वित्तीय संस्थाओं, साख सूचना कंपनियों, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों, आवास वित्त कंपनियों का एक तकनीकी कार्य दल (कृपया परिपत्र का पैरा 2 (iv) देखें) भारतीय बैंक संघ / माइक्रो वित्तीय संस्था नेटवर्क के साथ मिलकर डेटा फार्मेट की आवधिक रूप से, जैसे कि वर्ष में एक बार समीक्षा करेगा और इसमें संशोधन हेतु सुझाव देगा। सबसे पहले, कार्यदल प्राथमिकता के आधार पर वाणिज्यिक घटक के डेटा फार्मेट में परिवर्तन किए जाने की आवश्यकता के साथ साथ निम्नलिखित क्षेत्रों पर विचार करेगा:

i. **डेटा फार्मेट में अतिरिक्त फ़ील्ड्स :** रिपोर्ट के अनुबंध 5 में डेटा फार्मेट में शामिल किए जाने के लिए कुछ अतिरिक्त फ़ील्ड्स दिए गए हैं (फ़ील्ड के नाम और उनके लाभ)। तदनुसार, प्रथामिकता प्राप्त क्षेत्र संकेतक फील्ड को छोडकर, उपभोक्ता डेटा फार्मेट में अन्य फ़ील्ड्स शामिल किए जा सकते हैं। वाहनों के लिए, केवल वाहन का प्रकार और पंजीकरण संख्या अनिवार्य होगी न कि चेसिस संख्या। भारतीय केंद्रीय प्रतिभूतीकरण आस्ति पुनर्गठन और प्रतिभूति हित रजिस्ट्री (सीईआरएसएआई) के पास पंजीकृत सम्पत्ति की पंजीकरण संख्या को साख सूचना कंपनियों द्वारा शामिल किए जाने की आवश्यकता है। [सिफरिश 8.10 (ख)]

ii. **समझौता निपटान:** डेटा फार्मेट में उन मामलों को जहां आपसी समझौते से निपटान हुआ है तथा ऐसे समझौता निपटान के कारणों को भी शामिल किया जाना चाहिए। [सिफारिश 8.10 (ग)]

iii. **विस्तृत उत्पाद वर्गीकरण :** बैंकों/वित्तीय संस्थाओं द्वारा साख सूचना कंपनियों को उत्पाद वर्गीकरण के विस्तृत ब्यौरे रिपोर्ट किए जाने चाहिए, जैसे कि वाहन ऋण के अंतर्गत कार ऋण, वाणिज्यिक वाहन ऋण और निर्माण कार्य उपकरण वाले वाहन ऋण। साख सूचना कंपनियों द्वारा बैंकों/वित्तीय संस्थाओं को दी जाने वाली रिपोर्ट में भी इसे शामिल किया जाना चाहिए। [सिफारिश 8.10 (घ)]

iv. **संबंध / गारंटीकर्ता के बारे में जानकारी:** बैंकों/वित्तीय संस्थाओं को चाहिए कि वे अपने कोर बैंकिंग सोल्यूशन्स/ सिस्टम में कंपनी फील्ड्स के अंतर्गत संबंध/गारंटीकर्ता के संबंध में कुछ सूचनाएं संकलित करें जैसे कि कारोबार की श्रेणी/प्रकार, मोबाइल/टेलीफोन नंबर, राज्य/ पिन कोड/देश और इसे साख सूचना कंपनियों के वाणिज्यिक ब्यूरो को रिपोर्ट करें। [सिफारिश 8.10 (ङ)]

v. **स्वयं सहायता समूह के सदस्य (एसएचजी):** एसएचजी के वैयक्तिक सदस्यों की ऋण सूचना उनके क्रेडिट पूर्ववृत का पता लगाने में अत्यधिक महत्वपूर्ण होती है क्योंकि इसके परिणामस्वरूप इस क्षेत्र को ऋण वृद्धि तथा वित्तीय समावेशन को बढावा मिलता है। इसलिए, बैंकों/वित्तीय संस्थाओं को चाहिए कि वे एसएचजी के वैयक्तिक सदस्यों का डेटा प्राप्त करें और इसे छह माह की अवधि में साख सूचना कंपनियों को प्रस्तुत करना शुरू करें। [सिफारिश 8.10 (च)]

vi. **क्रास रिपोर्टिंग**: साख सूचना कंपनियों द्वारा क्रास रिपोर्टिंग, उदाहरण के लिए- जहां व्यक्ति उधारकर्ता है और कंपनी सह-उधारकर्ता है या ठीक इसके विपरीत स्थिति है, पर स्पष्ट रूप से दिशानिर्देशों की सूचना दी जानी चाहिए। फार्मेट में ऐसे डेटा को शामिल किए जाने हेतु फील्डस दिए गए हैं, जहां उपभोक्ता संबंधी डेटा उपभोक्ता ब्यूरो में तथा सह- उधारकर्ता संबंधी डेटा वाणिज्यिक ब्यूरो में रिपोर्ट किया जाएगा। [सिफारिश 8.10 (ज)]

vii. **देय होने के बाद के दिनों की रिपोर्टिंग :** बैंक/वित्तीय संस्थाएं साख सूचना कंपनियों को रिपोर्ट करते समय उनके द्वारा उपभोक्ताओं और कारोबारियों को दी गई ऋण सुविधाओं के लिए देय होने के बाद के दिनों (डीपीडी) को अनिवार्य रूप से रिपोर्ट करें। [सिफारिश 8.10 (झ)]

viii. **आंशिक रूप से देय किस्त का वर्णन :** बैंक/वित्तीय संस्थाओं को डेटा यथावत रूप में प्रस्तुत करना चाहिए जबकि

गुणवत्तापूर्ण सूचना पर राशि और अवधि पर आधारित किसी प्रकार के फिल्टर के प्रयोग का निर्णय विशिष्ट प्रयोगकर्ताओं और अन्य द्वारा, जो ऐसे डेटा का प्रयोग करते हैं, किया जा सकता है। [सिफारिश 8.10 (ञ)]

ix. **आय डेटा:** बैंक/वित्तीय संस्थाएं उपभोक्ता ब्यूरो के अंतर्गत उधारकर्ताओं के आय संबंधी आंकड़े साख सूचना कंपनियों को रिपोर्ट करना जारी रखेंगे। [सिफारिश 8.10 (ट)]

x. **पहचान संख्या:** बैंकों/वित्तीय संस्थाओं द्वारा वाणिज्यिक खंड में कंपनी पहचान संख्या (सीआईएन) और कंपनी के निदेशकों के क्रेडिट पूर्ववृत (डीआईएन संख्या पर आधारित) साख सूचना कंपनियों को रिपोर्ट किए जाने चाहिए और इसे साख सूचना कंपनियों द्वारा अपनी रिपोर्टों में शामिल किया जाए। [सिफारिश 8.10 (ठ)]

xi. **रिपोर्टिंग के लिए साफ्टवेयर :** भारतीय रिज़र्व बैंक सामान्यतया इस बात से सहमत है कि साख सूचना कंपनियों के साथ अपलोडिंग और अमान्य डेटा की वापसी हेतु एक ही फार्मेट होना चाहिए क्योंकि डेटा प्रस्तुतीकरण की प्रक्रिया के दौरान एक्सेल/टीयूडीएफ/नोटपैड इत्यादि जैसे फार्मेट्स के बीच परिवर्तन/ पुन:परिवर्तन में वैलिडेशन संबंधी मुद्दे पैदा हो सकते हैं। तथापि, बैंकों, साख सूचना कंपनियों, एनबीएफसी आदि का तकनीकी समूह इस मुद्दे पर आगे भी विचार-विमर्श कर और जरूरी समझे जाने पर इस संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक को उपयुक्त सुझाव दे सकता है। [सिफारिश 8.10 (ड)]

xii. **अपलिखित और निपटान किए गए खातों की स्थिति :** इस संबंध में क्रेडिट डेटा रिपोर्ट करते समय बैंकों/ वित्तीय संस्थाओं को केवल विशिष्ट परिस्थितियों जहां मूल नियम और शर्तों के अनुसार चुकौती में वित्तीय रूप से असमर्थ रहने के कारण ग्राहक को मूलधन या ब्याज में छूट अथवा दोनों प्रदान की गई है, को व्यक्त करने के लिए 'निपटान' स्थिति का उल्लेख करना चाहिए। बैंकों/ वित्तीय संस्थाओं को ऐसे ग्राहकों को फिर से ऋण उपलब्ध कराए जाने से पूर्व इस प्रकार की स्थिति की जानकारी रहनी चाहिए। बैंकों/ वित्तीय संस्थाओं द्वारा गलत डेबिट किए जाने अथवा विवादग्रस्त शुल्क संबंधी मामलों को 'निपटान' के रूप में रिपोर्ट न कर रिपोर्ट के अनुबंध 5 पर दिए गए डेटा फार्मेट में नए फील्ड के रूप में शामिल किए जाने हेतु दिए गए सुझाए के अनुसार 'विवादग्रस्त' रिपोर्ट किया जाना चाहिए। [सिफारिश 8.12 (ख)]

xiii. **पुनर्रचना के प्रमुख कारण**: वाणिज्यिक डेटा फार्मेट के इस फील्ड से यह समझने में मदद मिलती है कि उधारकर्ता के ऋण का पुनर्रचना बाह्य / असंगत कारणों जैसे कि बाह्य पर्यावरण, अर्तव्यवस्था में सामान्य मंदी आदि के चलते किया गया है या कंपनी/उधारकर्ता से जुडे विशिष्ट कारणों जैसे कि प्रबंध में बदलाव, प्रवर्तकों के कार्यनिष्पादन आदि के कारण। [सिफारिश 8.13 (ग)]

xiv. **डेटा में कम से कम एक पहचान संकेतक फील्ड**: बैंकों/ वित्तीय संस्थाओं द्वारा प्रस्तुत किए गए डेटा में कम से कम एक पहचान संकेतक फील्ड अवश्य शामिल किया जाना चाहिए, यथा., पैन कार्ड संख्या, पासपोर्ट संख्या., वाहन चालन लाइसेंस संख्या., मतदाता पहचानपत्र संख्या., आधार संख्या., टेलीफोन नंबर, आदि. [सिफारिश 8.15]

अनुबंध- ग

शहरी सहकारी बैंकों के लिए सर्वोत्तम प्रथाएं

प्रत्येक शहरी सहकारी बैंक को सीआईसीआरए के अंतर्गत नीति और क्रियाविधि का निर्माण और समीक्षा करते समय अपने निदेशक मंडल के अनुमोदन से निम्नलिखित सर्वोत्तम प्रथाओं पर विचार करना चाहिए :

i. शहरी सहकारी बैंकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सीआईसी को प्रस्तुत अभिलेखों को नियमित रूप से अद्यतन किया जाता है तथा अंतिम किस्त सहित चुकौती के किसी भी अवसर को रिपोर्ट किए बगैर नहीं छोड़ा गया है।

ii. अनापत्ति प्रमाणपत्र जारी करने तथा सीआईसी को सूचना उपलब्ध कराने के कार्य को केंद्रीकृत करके चुकौती सूचना को अद्यतन नहीं करने के अवसरों से बचा जा सकता है।

iii. सभी शहरी सहकारी बैंकों को साख सूचना कंपनियों के साथ कार्य करने हेतु नोडल अधिकारी रखने चाहिए।

iv. ग्राहक शिकायत निवारण को शीर्ष प्राथमिकता दी जानी चाहिए, विशेषतः साख सूचना के अद्यतनीकरण/परिवर्तन से संबंधित शिकायतों को।

v. साख सूचना से संबंधित शिकायतों को शिकायत निवारण की विद्यमान प्रणाली के साथ एकीकृत किया जाना चाहिए। साख सूचना संबंधी ग्राहक शिकायतों से संबंधित पहलुओं को भी शहरी सहकारी बैंकों की ग्राहक सेवा नीति का अविभाज्य अंग होना चाहिए।

vi. शहरी सहकारी बैंकों को सीआईसीआरए के तहत निर्धारित अवधि तथा साख सूचना के अद्यतनीकरण, परिवर्तन, विवाद सुलझाने आदि के लिए उसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों का पालन करना चाहिए। इस संबंध में साख सूचना कंपनी नियमावली, 2006 के नियम 20 और 21 के अंतर्गत निर्धारित क्रियाविधि का पालन किया जाना चाहिए। निर्धारित समय-सीमा से विचलन पर निगरानी रखी जानी चाहिए तथा बोर्ड/ग्राहक सेवा पर बोर्ड की समिति को आवधिक रिपोर्टों/समीक्षाओं में इस पर टिप्पणी की जानी चाहिए।

vii. साख सूचना का अद्यतनीकरण मासिक आधार पर या ऐसे और कम अंतराल पर किया जाना चाहिए, जिसका निर्धारण शहरी सहकारी बैंकों और साख सूचना कंपनियों के बीच परस्पर सहमति से हुआ हो।

viii. सभी शहरी सहकारी बैंकों को साख सूचना कंपनियों को पूर्ण ग्राहक सूचना देनी चाहिए। उदाहरणार्थ, शहरी सहकारी बैंकों द्वारा सभी अभिलेखों के संबंध में पहचान संबंधी सूचना, जैसे – पैन संख्या, आधार संख्या, मतदान पहचान कार्ड संख्या आदि उपलब्ध नहीं कराई जाती है।

ix. शहरी सहकारी बैंकों द्वारा अपनी ऋण मूल्यांकन प्रक्रिया में सीआईआर के प्रयोग को अनिवार्य बनाया जाना चाहिए।

x. पहली बार उधार लेने वालों के ऋण आवेदन को केवल इसलिए अस्वीकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनका कोई ऋण पूर्ववृत्त नहीं है।

xi. शहरी सहकारी बैंकों और साख सूचना कंपनियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बैंकों/वित्तीय संस्थाओं द्वारा उधारकर्ताओं के ऋण अभिलेख लगातार अद्यतन किए जाते हैं तथा ऋण की अंतिम किस्त की चुकौती को रिपोर्ट नहीं करने जैसे मुद्दे उत्पन्न नहीं होने चाहिए। [सिफारिश 8.31]

xii. ऐसे न्यायालयीन मामलों जिनमें बैंक/वित्तीय संस्थाएं और साख सूचना कंपनियां शामिल हैं, कम हों इस दृष्टि से उनके द्वारा शिकायतों का समाधान त्वरित आधार पर किया जाना चाहिए। बैंकों/वित्तीय संस्थाओं और साख सूचना कंपनियों के पास शिकायत निवारण की एक संरचित प्रक्रिया होनी चाहिए, जिसके लिए बोर्ड के अंतर्गत एक ग्राहक संरक्षण समिति का गठन किया जाना चाहिए। [सिफारिश 8.34]

अनुबंध - 7

[पैरा 5.1.3 देखें]

स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) के सदस्यों के संबंध में क्रेडिट सूचना रिपोर्टिंग

I. क्रेडिट सूचना संग्रह और रिपोर्टिंग की संरचना

1. बैंकों द्वारा सीआईसी को एकत्रित और रिपोर्ट किए जाने वाले एसएचजी सदस्यों के संबंध में क्रेडिट जानकारी की संरचना नीचे दी गई है:

1	व्यक्तिगत एसएचजी सदस्यों से बैंकों द्वारा एकत्र की जाने वाली जानकारी जहां एसएचजी सदस्य को दिए जाने वाले या लिए जाने वाले ऋण की कुल राशि 30,000/- रुपये से अधिक है	सारणी 1
2	बैंकों द्वारा व्यक्तिगत एसएचजी सदस्यों से एकत्रित की जाने वाली जानकारी जहां एसएचजी सदस्य को दिए जाने वाले या लिए जाने वाले ऋण की कुल राशि रु.30,000/- तक है	सारणी 2
3	बैंकों द्वारा सीआईसी को रिपोर्ट की जाने वाली सभी व्यक्तिगत एसएचजी सदस्यों की जानकारी	सारणी 3
4	एसएचजी के नए बचत बैंक खाते खोलते समय बैंकों द्वारा एकत्र किए जाने वाले व्यक्तिगत एसएचजी सदस्यों के बारे में जानकारी	सारणी 4

2. डेटा सारणी परिशिष्ट घ में दिए गए हैं। जैसा कि ऊपर बताया गया है, बैंक सभी एसएचजी सदस्यों से सारणी 1 और 2 में जानकारी एकत्र करेंगे और जैसा कि सारणी 3 में निर्धारित किया गया है इसको सीआईसी को रिपोर्ट करेंगे। सारणियों को निम्नलिखित उद्देश्यों के आधार पर डिजाइन किया गया है:

(i) कुछ जानकारी (सारणी 1 और 2 की मद संख्या 17) एसएचजी सदस्यों के मौजूदा एक्सपोजर से संबंधित है, जिसमें एसएचजी समूह भी शामिल हैं जिनके साथ वे पहले जुड़े रहे होंगे। इसका उद्देश्य एसएचजी सदस्यों के संबंध में बैंकों को सूचित ऋण निर्णय लेने में मदद करना है। यह जानकारी एसएचजी सदस्यों द्वारा प्रदान की गई लीड जानकारी के आधार पर बैंकों द्वारा सीधे सीआईसी से एकत्र की जा सकती है। इसलिए, बैंकों को इस जानकारी को सारणी 3 के अनुसार सीआईसी को रिपोर्ट किए गए डेटासेट में शामिल करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी।

(ii) सूचना आवश्यकताओं को दो चरणों में लागू किया जाएगा। पहला चरण 1 जुलाई 2016 से शुरू होगा और एक साल तक चलेगा। 1 जुलाई 2017 से लागू किए जाने वाले चरण II में एकत्रित की जाने वाली ऋण संबंधी जानकारी की सघनता बढ़ जाएगी। चरण II के दौरान प्रभावी होने वाले परिवर्धन/संशोधन तालिका 1 और 2 के अंतिम कॉलम में दर्शाए गए हैं।

(iii) एसएचजी सदस्यों के संबंध में क्रेडिट जानकारी का संग्रह और रिपोर्टिंग उन एसएचजी के सदस्यों तक ही सीमित होगी जो 1,00,000/- रुपये से अधिक का बैंक ऋण लेते हैं। हालांकि, सभी एसएचजी के सदस्य, समूह ऋण की राशि की परवाह किए बिना, गैर-क्रेडिट जानकारी एसएचजी समूह के माध्यम से बैंकों को उस समय रिपोर्ट करेंगे जब एसएचजी ऋण के लिए बैंक से संपर्क करेगा।

(iv) उपरोक्त (iii) के अधीन, रु. 30,000 रुपये या उससे अधिक के एसएचजी ऋण रुपये तक के ऋण की तुलना में 30,000 अधिक विस्तृत है। अंतर कम हो जाएगा, हालांकि पूरी तरह से समाप्त नही, क्योंकि कुछ और विवरण बाद में चरण II में जोड़े गए हैं।

(v) गैर-ऋण सूचना आवश्यकताओं को व्यक्तिगत उधारकर्ताओं की पहचान और बैंकों, विनियामक और सरकारी विकास एजेंसियों की सूचना आवश्यकताओं को पूरा करने के दृष्टिकोण से तैयार किया गया है ताकि एसएचजी सदस्यों और उप-खंडों के सामाजिक-आर्थिक प्रोफाइल को ध्यान में रखते हुए उपयुक्त क्रेडिट प्रवेश कार्यनीतियों को तैयार करने हेतु विभिन्न उप-खंडों में ऋण के प्रवाह का मूल्यांकन किया जा सके। बैंकों द्वारा सीआईसी को इस तरह से सूचना दी जानी चाहिए जिससे सीआईसी को एक विशेष एसएचजी से जुड़े सभी सदस्यों और एक विशेष व्यक्ति की पहचान उन सभी एसएचजी के साथ करने की अनुमति मिलती है जिनके साथ वह जुड़ा है।

3. बैंक अपने सिस्टम सॉफ़्टवेयर में आवश्यक परिवर्तन करने सहित आवश्यक सिस्टम और प्रक्रियाएं स्थापित करेंगे ताकि 1 जुलाई 2016 (चरण I) और 1 जुलाई 2017 (द्वितीय चरण) से एसएचजी सदस्यों से संबंधित जानकारी का संग्रह शुरू करने और सीआईसी को आवश्यक जानकारी की रिपोर्ट करने में सक्षम हो सकें।

4. बैंकों के पास एसएचजी सदस्य स्तर के डेटा को स्वयं या अन्य संस्थाओं को आउटसोर्स करके एकत्र करने और रिपोर्ट करने का विकल्प होता है। तथापि, बैंक समय-समय पर यथा संशोधित 3 नवंबर 2006 के डीबीआर परिपत्र सं.बीपी.40/21.04.158/2006-07 में निर्धारित आउटसोर्सिंग पर लागू सभी सामान्य निर्देशों का पालन करेंगे और आउटसोर्स एजेंसियों द्वारा सीआईसी को प्रस्तुत किए गए डेटा की शुद्धता के लिए जिम्मेदार बने रहेंगे। जिन संस्थाओं को यह आउटसोर्स किया गया है, उनके द्वारा प्रस्तुत डेटा की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए बैंकों को उचित नियंत्रण रखना चाहिए।

5. यदि पहले से नहीं किया जा रहा है, तो बैंक यदि एसएचजी खंड में सकल एनपीए 10% से अधिक है या बैंक के कुल सकल एनपीए से 5 प्रतिशत अंक अधिक है तो एसएचजी सेगमेंट में एनपीए स्तरों की निरंतर निगरानी करना शुरू कर देंगे और 20,000, रुपये की निचली सीमा से अधिक ऋण लेने वाले एसएचजी सदस्यों से विस्तृत जानकारी एकत्र करेंगे

6. शहरी सहकारी बैंकों द्वारा उपरोक्त अनुदेशों का पालन न करने के परिणामस्वरूप गैर-अनुपालन वाले एसएचजी ऋण खातों को प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र ऋण (पीएसएल) लक्ष्यों के अनुपालन के प्रयोजन के लिए गणना किए जाने वाले ऋण पोर्टफोलियो से बाहर रखा जाएगा। पीएसएल लाभ के लिए अर्हता प्राप्त ऋणों के संबंध में निर्धारण प्रत्येक चरण के अंत में किया जाएगा, जो उस चरण के लिए लागू क्रेडिट और गैर-क्रेडिट सूचना आवश्यकताओं के अनुपालन की समीक्षा के आधार पर किया जाएगा।

II. अन्य परिचालन अनुदेश

7. इस स्तर पर, केवल एसएचजी सदस्य द्वारा बैंकों और एमएफआई से प्राप्त ऋण सुविधाओं का विवरण प्राप्त करने की परिकल्पना की गई है। इसलिए, एसएचजी सदस्यों के बीच अपनी स्वयं की बचत से अंतर-ऋण से संबंधित कोई भी जानकारी शामिल नहीं की जाएगी। हालांकि, एक एसएचजी सदस्य की समग्र ऋणग्रस्तता को जानने के लिए यह आवश्यक हो सकता है कि अंतर-ऋण के संबंध में एसएचजी के प्रति उनके एक्सपोजर को भी जानें। एसएचजी सदस्य की सूचना की गुणवत्ता में सुधार के निरंतर प्रयास के हिस्से के रूप में, दूसरे चरण के स्थिरीकरण के बाद अंतर-ऋण प्राप्त

करने करने की आवश्यकता की समीक्षा की जाएगी।

8. बैंकों द्वारा एसएचजी को दी गई राशि में से एसएचजी सदस्यों द्वारा लिए गए व्यक्तिगत ऋणों के प्रदर्शन की निगरानी और रिपोर्टिंग में महत्वपूर्ण चुनौतियों को देखते हुए, इन ऋण के पुनर्भुगतान और वसूली की निगरानी के लिए क्रेडिट रिपोर्टिंग प्रणाली का विस्तार करने की भी परिकल्पना नहीं की गई है। हालांकि, दूसरे चरण के शुरू होने के बाद इस पर भी विचार किया जाएगा।

9. संभावित एसएचजी सदस्य उधारकर्ताओं के लिए पर्याप्त सूचना आधार तैयार करने और एसएचजी के सदस्यों से संबंधित केवाईसी अनुपालन सूचना के संग्रह और रिपोर्टिंग की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए, जब एसएचजी क्रेडिट से जुड़े होते हैं, बैंकों को प्रोत्साहित किया जाता है कि जब कोई एसएचजी अपना बचत खाता खोलने के लिए उनसे संपर्क करता है तो एसएचजी सदस्यों को छोटे खाते/बुनियादी बचत बैंक जमा खाते की पेशकश करता है। ऐसे मामलों में जहां एसएचजी सदस्य ऐसे खाते खोलने के लिए सहमत होते हैं, सारणी 4 में दी गई जानकारी एकत्र की जानी चाहिए और उस समय उपयोग किए जाने के लिए रिकॉर्ड में रखी जानी चाहिए जब एसएचजी ऋण के लिए बैंक से संपर्क करता है। तथापि, एसएचजी का बचत खाता खोलने के लिए इसे पूर्व शर्त नहीं बनाया जाना चाहिए।

10. इस परिपत्र में निर्दिष्ट किसी भी डेटा आवश्यकता को एसएचजी को ऋण देने के लिए पूर्व शर्त नहीं बनाया जाना चाहिए, हालांकि बैंकों को इन आवश्यकताओं का पालन करने के लिए ईमानदारी से प्रयास करना चाहिए।

11. बैंक एसएचजी को प्रोत्साहित कर सकते हैं कि वे अपने सदस्यों को बैंक ऋण से वितरित ऋणों का लिखित रिकॉर्ड रखें, जिसमें नाबार्ड के एसएचजी के लिए डिजिटलीकरण योजना भी शामिल है, जहां लागू हो, और इस संबंध में उचित प्रोत्साहन शुरू करने पर विचार कर सकते हैं।

12. बैंक उन एसएचजी/एसएचजी के सदस्यों से ऋण सुविधाओं के लिए आवेदनों के निस्तारण के लिए उपयुक्त नीतियां विकसित करेंगे, जिन पर सीआईसी द्वारा चूक की सूचना दी जाती है। इस बात का ध्यान रखने की आवश्यकता है कि एसएचजी/व्यक्तिगत सदस्यों को केवल ऐसी चूकों के कारण ऋण से वंचित नहीं किया जाता है और बैंकों को सदस्यों के क्रेडिट इतिहास का उचित मूल्यांकन स्वयं करना चाहिए और उनके ऋण आवेदनों पर विचार करने के लिए प्रस्तावित ऋण की अदायगी उनकी गतिविधियों की आर्थिक व्यवहार्यता और समूहों की क्षमता को ध्यान में रखना चाहिए।

13. क्रेडिट सूचना कंपनी (विनियम) अधिनियम, 2005 के प्रावधानों और बैंकों और एमएफआई द्वारा क्रेडिट सूचना रिपोर्टिंग पर आरबीआई के मौजूदा निर्देशों के अनुसार व्यक्तिगत एसएचजी सदस्यों से संबंधित क्रेडिट जानकारी एकत्र, रिपोर्ट और प्रसारित की जाएगी।

III. सीआईसी को विशेष अनुदेश

14. सीआईसी उपरोक्त निर्देशों को लागू करने के लिए ऊपर दी गई समय-सीमा के अनुसार अपनी प्रणालियों और प्रक्रियाओं में आवश्यक परिवर्तन करेंगे।

15. सीआईसी क्रेडिट योजना और अनुसंधान के उद्देश्य से सरकारी एजेंसियों, नाबार्ड, बैंकों और एमएफआई के साथ एसएचजी या एसएचजी सदस्यों से संबंधित क्रेडिट जानकारी साझा करने के लिए अपने बोर्ड के अनुमोदन से उपयुक्त नीतियां तैयार करेंगे। अपने बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीतियों के अनुसार, सीआईसी अनुसंधान करने के उद्देश्य से अन्य पार्टियों के साथ समग्र जानकारी साझा कर सकते हैं जो एसएचजी खंड को संभावित रूप से लाभान्वित कर सकते हैं। समग्र जानकारी को ऐसे तरीके से साझा किया जाएगा जो गैर-भेदभावपूर्ण हो और देश के प्रासंगिक कानूनों के अनुसार व्यक्तिगत एसएचजी समूहों और एसएचजी सदस्यों की गोपनीयता का सम्मान करता हो।

परिशिष्ट घ[2]

बैंकों द्वारा एकत्रित की जाने वाली जानकारी

सारणी 1: व्यक्तिगत एसएचजी सदस्यों से एकत्र की जाने वाली जानकारी जहां एसएचजी सदस्य को दिए जाने वाले या लिए जाने वाले ऋण की कुल राशि 30, 000[3] रुपये से अधिक है।

आवश्यक विवरण	प्रदत्त विवरण	आधार	चरण II के दौरान संशोधन
I. गैर-क्रेडिट जानकारी			
1. एसएचजी का नाम		एसएचजी सदस्य द्वारा उपलब्ध कराया जाना	
2. एसएचजी का बचत बैंक खाता संख्या		एसएचजी सदस्य द्वारा उपलब्ध कराया जाना	
3. एसएचजी का ऋण खाता संख्या		बैंक द्वारा सौंपा जाना	
4. एसएचजी सदस्य का नाम		जैसा कि बैंक या बैंक के रिकॉर्ड द्वारा स्वीकार किए गए पहचान दस्तावेज पर प्रदर्शित है	
5. बैंक द्वारा स्वीकार किया जाने वाला पहचान दस्तावेज		आधार कार्ड नं. /वोटर आईडी/पैन /ड्राइविंग लाइसेंस/नरेगा कार्ड /पासपोर्ट[4]	
6. बैंक द्वारा स्वीकार किए गए पहचान दस्तावेज की विशिष्ट संख्या, यदि उपलब्ध हो		दस्तावेजी साक्ष्य आवश्यक	

[2] इस परिशिष्ट में निर्धारित प्रपत्र सूचना आवश्यकताओं को इंगित करने के लिए हैं और इसे किसी भी प्रारूप में डिजिटाइज़ किया जा सकता है, बशर्ते कि सभी विवरण और विवरण एकत्र किए जा रहे हों।

[3] नए एसएचजी को ऋण स्वीकृत करते समय या मौजूदा ऋणों के नवीनीकरण के समय या मौजूदा एसएचजी को अतिरिक्त ऋण देते समय एकत्र किया जाना है। अपने बोर्ड के अनुमोदन से, एसएचजी ऋण खंड में सकल एनपीए अनुपात 10% से अधिक वाले बैंक इस सारणी और अगले सारणी में दर्शाई गई जानकारी/डेटा एकत्र करने के लिए एक निचली सीमा तय कर सकते हैं। इस राशि में सदस्य की अपनी बचत में से कोई भी सब्सिडी या मार्जिन शामिल नहीं होगा जोकि ऐसी गतिविधि के निधीयन या जिस उद्देश्य के लिए ऋण लिया गया है (दोनों बैक एंड या फ्रंट एंड) के वित्तपोषण के लिए है।

[4] बैंक विशेष रूप से देख सकते हैं कि क्या कोई एसएचजी सदस्य दिनांक 1 जुलाई 2015 के डीबीआर परिपत्र डीबीआर एएमएल.बीसी.सं .15/14.01.001/2015-16 के दायरे में आता है,जोकि आरबीआई द्वारा पहचान के प्रमाण के लिए सरल उपायों की शुरूआत से संबंधित है और लघु जमा खाते/बुनियादी बचत बैंक जमा खाता प्रदान करने के बारे में है। जहां भी कोई एसएचजी सदस्य ऐसा खाता खोलने का इच्छुक है, केवाईसी आरबीआई परिपत्र के अनुसार किया जाना चाहिए और केंद्रीय केवाईसी रजिस्ट्री और सीआईसी को सूचित किया जाना चाहिए। यदि एसएचजी सदस्य का बचत बैंक खाता खोलते समय या अन्यथा केवाईसी पहले ही किया जा चुका है, तो कोई दस्तावेज एकत्र नहीं किया जाएगा।

7. पिता/पति का नाम		जैसा कि बैंक द्वारा स्वीकार किए गए पहचान दस्तावेज में उल्लेख किया गया है	
8. पुरुष या महिला		जैसा कि एसएचजी सदस्य द्वारा घोषित किया गया है	
9. जन्म तिथि (यदि पहचान दस्तावेज पर मुद्रित है)		दिन/माह/वर्ष	
10. पता (पूरा राज्य कोड और पिन कोड के साथ पता)		घोषणा आधार[5]	
11. अन्य मौजूदा बैंक खातों के बारे में जानकारी		घोषणा आधार	
12. शैक्षिक स्तर	प्रयोज्य कोड निरक्षर: 1 5 वीं उतीर्ण: 2 8 वीं उतीर्ण:3 10 वीं उतीर्ण:4 10 वीं से ऊपर: 5	घोषणा आधार	
13. पेशा	प्रयोज्य कोड गृहिणी: 1 भूमिहीन मजदूर: 2 सीमांत किसान: 3 छोटे किसान: 4	घोषणा आधार	
14. सालाना आय हजार रुपये में		घोषणा आधार	
15. सामाजिक स्तर	प्रयोज्य कोड	घोषणा आधार	

[5] केंद्रीय केवाईसी रजिस्ट्री से जानकारी हासिल करने के लिए बैंक जब और जब इसे स्थापित करता है।

	अनुसूचित जाति: 1 एसटी: 2 ओबीसी: 3 सामान्य: 4		
16. मोबाइल नंबर (यदि उपलब्ध हो)		घोषणा आधार	

II. ऋण संबंधी जानकारी[6]			
17. अन्य एसएचजी के माध्यम से जहां व्यक्ति सदस्य है, मौजूदा ऋणों के बारे में जानकारी एसएचजी खाते की स्थिति एसएचजी का नाम एसएचजी का ऋण खाता संख्या ऋण देने वाले बैंक का नाम ऋण ली गई राशि बकाया राशि खाते की स्थिति नियमित चूक अदायगी विचाराधीन		बैंक द्वारा प्राप्त सीआईसी रिपोर्ट या बैंक रिपोर्ट के आधार पर (सीआईसी रिपोर्ट के अभाव में) बैंक द्वारा प्राप्त सीआईसी रिपोर्ट के आधार पर, यदि उपलब्ध हो	

[6] लागू नहीं है, यदि समूह ऋण रु. 1, 00, 000/-.तक है।

चूक होने पर, एसएचजी सदस्य के ऋण खाते की स्थिति, यदि एसएचजी ऋण उसे[7] वितरित किया गया था एसएचजी का नाम ऋण देने वाले बैंक का नाम ऋण ली गई राशि बकाया राशि			चरण । में, एसएचजी सदस्य के ऋण खाते की स्थिति के बारे में केवल तभी जांच की जानी है जब एसएचजी खाता चूक में रहा हो। दूसरे चरण में, एसएचजी सदस्य के ऋण खाते की स्थिति के बारे में जांच की जाएगी यदि एसएचजी ऋण खाते की स्थिति की परवाह किए बिना उसे एसएचजी ऋण वितरित किया गया था। [सीआईसी रिपोर्ट के आधार पर, यदि उपलब्ध हो; अन्य मामलों में एसएचजी के पत्र पर भरोसा किया जाना चाहिए]
18. बैंक द्वारा दिए गए सामूहिक ऋण से लिए जाने हेतु एसएचजी[8] कोप्रस्तावित ऋण की राशि		एसएचजी के अध्यक्ष/सचिव का पत्र। बाद में बैंक द्वारा सत्यापित किया जाना।	

[7] जब तक व्यक्तिगत एसएचजी सदस्यों का डेटा बेस सीआईसी में जमा नहीं हो जाता, तब तक संबंधित एसएचजी द्वारा उपलब्ध कराए गए पत्र के आधार पर यह जानकारी एकत्र की जा सकती है और उस पर भरोसा किया जा सकता है। यदि एसएचजी खाता नियमित है तो 17.2 लागू नहीं होगा।

[8] सभी एसएचजी को पहले ही तय करना होगा कि वे एसएचजी ऋण का उपयोग कैसे करना चाहते हैं। व्यक्तिगत सदस्यों को ऋण का वास्तविक वितरण जहां कहीं भी रुपये 30,000 से ऊपर होने पर सहमति हुई थी या जहां वितरित की गई वास्तविक राशि 30,000 रुपये से अधिक है,किन्तु बैंक से ऋण लेने के समय सहमति नहीं थी,ऐसे मामले एसएचजी पदाधिकारियों द्वारा बैंक को सूचित किया जाना चाहिए। एसएचजी को और ऋण देते समय या अगली बार इसकी नकद ऋण सीमा का नवीनीकरण करते समय इस शर्त का पालन न करने को ध्यान में रखा जा सकता है। समूह ऋणों से लिए गए ऋणों की राशि के संबंध में गलत जानकारी प्रदान करने के लिए बैंकों को दंड प्रावधानों से संबंधित ऋण समझौतों में उपयुक्त खंड शामिल करने की आवश्यकता है। अपने अनुभव के आधार पर, बैंक उन मामलों में बैंक ऋणों से वितरित राशियों के सत्यापन योग्य रिकॉर्ड के रखरखाव पर जोर दे सकते हैं, जहां प्रति सदस्य एसएचजी द्वारा लिए गए ऋण की औसत राशि 20,000/- रुपये से अधिक है।

19. सदस्य द्वारा व्यक्तिगत हैसियत से अन्य स्रोतों से लिया गया ऋण		चरण। के दौरान, यह जानकारी उपलब्ध होने पर सीआईसी रिपोर्टों के आधार पर एकत्र की जा सकती है।	दूसरे चरण के दौरान, यह जानकारी अधिक ठोस आधार पर एकत्र की जा सकती है, अर्थात, यदि सीआईसी के पास उपलब्ध नहीं है, तो सदस्य द्वारा उसके पिछले ऋण को घोषित किए जाने के बाद अलग-अलग बैंक/एमएफआई की रिपोर्ट मांगी जा सकती है।

सारणी 2: व्यक्तिगत एसएचजी सदस्यों से एकत्र की जाने वाली जानकारी जहां एसएचजी सदस्य को दिए जाने वाले या लिए जाने वाले ऋण की कुल राशि 30,000[9] रुपये तक है।

आवश्यक विवरण	प्रदान किया गया विवरण	आधार	चरण II के दौरान आधार संशोधन
I. गैर-क्रेडिट जानकारी			
1. एसएचजी का नाम		एसएचजी सदस्य द्वारा उपलब्ध कराया जाना	
2. एसएचजी का बचत बैंक खाता संख्या		एसएचजी सदस्य द्वारा उपलब्ध कराया जाना	
3. एसएचजी का ऋण खाता संख्या		बैंक द्वारा दिया जाना	
4. एसएचजी सदस्य का नाम		जैसा कि बैंक द्वारा स्वीकार किए गए पहचान दस्तावेज या बैंक के रिकॉर्ड पर प्रदर्शित है	
5. बैंक द्वारा स्वीकार किया गया पहचान दस्तावेज		आधार कार्ड नंबर/वोटर आईडी/पैन/ड्राइविंग लाइसेंस/नरेगा कार्ड/पासपोर्ट[10]	
6. बैंक द्वारा स्वीकार किए गए पहचान दस्तावेज की विशिष्ट संख्या, यदि उपलब्ध हो		दस्तावेजी साक्ष्य आवश्यक	
7. पिता/पति का नाम		जैसा कि बैंक द्वारा स्वीकार किए गए पहचान दस्तावेज में उल्लेख किया गया है	

---

[9] नए एसएचजी को ऋण स्वीकृत करते समय या मौजूदा ऋणों के नवीनीकरण के समय या मौजूदा एसएचजी को अतिरिक्त ऋण प्रदान करते समय एकत्र किया जाना है। अपने बोर्ड के अनुमोदन से, एसएचजी ऋण खंड में सकल एनपीए अनुपात 10% से अधिक वाले बैंक इस सारणी में दर्शाई गई जानकारी/डेटा एकत्र करने के लिए एक निचली सीमा निर्धारित कर सकते हैं। इस राशि में सदस्य की अपनी बचत में से कोई सब्सिडी या मार्जिन शामिल नहीं होगा जो गतिविधि के वित्तपोषण के लिए या जिस उद्देश्य के लिए ऋण लिया जाता है (दोनों बैक एंड या फ्रंट एंड)

[10] बैंक विशेष रूप से देख सकते हैं कि क्या कोई एसएचजी सदस्य दिनांक 1 जुलाई 2015 के डीबीआर परिपत्र डीबीआर एएमएल.बीसी.सं. 15/14.01.001/2015-16 के दायरे में आता है। आरबीआई द्वारा पहचान के प्रमाण के लिए सरल उपायों की शुरूआत से संबंधित है और उन्हें लघु जमा खाते/बुनियादी बचत बैंक जमा खाता प्रदान करता है। जहां भी कोई एसएचजी सदस्य ऐसा खाता खोलने का इच्छुक है, केवाईसी आरबीआई परिपत्र के अनुसार किया जाना चाहिए और केंद्रीय केवाईसी रजिस्ट्री और सीआईसी को सूचित किया जाना चाहिए। यदि एसएचजी सदस्य का बचत बैंक खाता खोलते समय या अन्यथा केवाईसी पहले ही किया जा चुका है, तो कोई दस्तावेज नहीं लिया जाएगा।

8. पुरुष या महिला		जैसा कि एसएचजी सदस्य द्वारा घोषित किया गया है	
9. जन्म तिथि (यदि पहचान दस्तावेज पर मुद्रित है)		दिन/माह/वर्ष	
10. पता (पूरा राज्य कोड और पिन कोड के साथ पता)		घोषणा आधार[11]	
11. अन्य मौजूदा बैंक खातों के बारे में जानकारी		घोषणा आधार	
12. शैक्षिक स्तर	प्रयोज्य कोड निरक्षर: 1 5 वीं उतीर्ण: 2 8 वीं उतीर्ण: 3 10 वीं उतीर्ण: 4 10 वीं से ऊपर: 5	घोषणा आधार	
13. पेशा	प्रयोज्य कोड गृहिणी: 1 भूमिहीन मजदूर: 2 सीमांत किसान: 3 छोटे किसान: 4	घोषणा आधार	
14. सालाना आय हजार रुपये में		घोषणा आधार	
15. सामाजिक स्तर	प्रयोज्य कोड अनुसूचित जाति: 1 एसटी: 2 ओबीसी: 3 सामान्य: 4	घोषणा आधार	

[11] केंद्रीय केवाईसी रजिस्ट्री से जानकारी हासिल करने के लिए बैंक जब और जब इसे स्थापित करता है।

16. मोबाइल नंबर (यदि उपलब्ध हो)		घोषणा आधार	
II. ऋण संबंधी जानकारी[12]			
17. अन्य एसएचजी के माध्यम से जहां व्यक्ति सदस्य है, मौजूदा ऋणों के बारे में जानकारी 17.1 एसएचजी खाते की स्थिति एसएचजी का नाम एसएचजी का ऋण खाता संख्या ऋण देने वाले बैंक का नाम ऋण ली गई राशि बकाया राशि खाते की स्थिति नियमित चूक अदायगी विचाराधीन	चरण I के दौरान एकत्र नहीं किया जाना है	बैंक द्वारा प्राप्त सीआईसी रिपोर्ट या बैंक रिपोर्ट के आधार पर (सीआईसी रिपोर्ट के अभाव में) बैंक द्वारा प्राप्त सीआईसी रिपोर्ट के आधार पर, यदि उपलब्ध हो	बैंक द्वारा प्राप्त सीआईसी रिपोर्ट के आधार पर केवल चरण II के दौरान एकत्र किया जाना है।
18. सदस्य द्वारा व्यक्तिगत हैसियत से अन्य स्रोतों से लिया गया ऋण	चरण I के दौरान एकत्र नहीं किया जाना है		चरण II के दौरान एकत्र किया जाना; सीआईसी रिपोर्ट के आधार पर, यदि उपलब्ध
19. एसएचजी को बैंक द्वारा दिए गए समूह ऋण के अलावा लिए जाने वाले प्रस्तावित ऋण की राशि		चरण I के दौरान: एसएचजी के अध्यक्ष/सचिव से पत्र के आधार पर दर्ज की जाने वाली राशि	दूसरे चरण के दौरान: एसएचजी रिकॉर्ड से बैंक द्वारा सत्यापित किए जाने वाले ऋण की राशि।

[12] लागू नहीं है, यदि समूह ऋण रु. 1,00,000/-. तक है।

सीआईसी को अपलोड/प्रस्तुत की जाने वाली जानकारी

तालिका 3[13]: बैंकों द्वारा सीआईसी को रिपोर्ट किए जाने वाले सभी व्यक्तिगत एसएचजी सदस्यों की जानकारी

I. गैर-ऋण संबंधी जानकारी		चरण के दौरान संशोधन II
1. नाम (जैसा कि यह पहचान दस्तावेज पर दिखाई देता है)		
2. बैंक द्वारा स्वीकार किए गए पहचान दस्तावेज की प्रकृति		
3. बैंक द्वारा स्वीकार किए गए पहचान दस्तावेज की विशिष्ट संख्या, यदि उपलब्ध है		
4. जन्म की तिथि (दिनांक / महीना / बर्ष) (DD/MM/YYYY)		
5. पिता/पति का नाम		
6. पता (राज्य कोड और पिन कोड के साथ पूरा पता)		
7. पुरुष या महिला		
8. एसएचजी का नाम जिसका व्यक्ति सदस्य है		
9. एसएचजी की बचत खाता संख्या		
10. ऋण खाता संख्या एसएचजी		
11. किसी अन्य पहचान दस्तावेज की संदर्भ संख्या जिस पर बैंक ने भरोसा किया है		

[13] RBI has set up a Standing Technical Working Group comprising representatives from various credit institutions and CICs to institutionalise a continuing mechanism for reviewing and making changes where necessary to the data formats. This Group shall suitably adapt Table 3 for the purpose of reporting of data by banks to the CICs electronically

12. एसएचजी सदस्य का शैक्षणिक स्तर	प्रयोग किए जाने वाले कोड निरक्षर: 1 5वीं कक्षा उत्तीर्ण: 2 8वीं कक्षा उत्तीर्ण: 3 10 वीं कक्षा उत्तीर्ण : 4 10वीं से ऊपर: 5	
13. वार्षिक आय	ग्राहिणी के लिए प्रयोग किए जाने वाले कोड: 1 भूमिहीन श्रमिक: 2 सीमांत किसान: 3 छोटे किसान : 4	
14. व्यवसाय		
15. सामाजिक स्तर	प्रयोग किए जाने वाले कोड एससी: 1 एसटी: 2 ओबीसी: 3 सामान्य: 4	
16. मोबाइल सं.		
II. ऋण संबंधी जानकारी[14]		
17. सदस्य द्वारा एसएचजी ऋण से लिए गए ऋण की राशि यदि 30,000 रुपये से अधिक है।		एसएचजी ऋण से सदस्य द्वारा लिए गए ऋण की राशि

[14] यदि समूह ऋण रु. 1,00,000/- तक है तो लागू नहीं है।

तालिका 4: एसएचजी के नए एसएचजी बचत बैंक खाते खोलते समय एकत्र किए जाने वाले व्यक्तिगत एसएचजी सदस्यों की जानकारी

विवरण आवश्यक	विवरण प्रदान किए गए	आधार
1. एसएचजी का नाम		एसएचजी सदस्य द्वारा भरा जाना
2. एसएचजी की बचत बैंक खाता संख्या		बैंक द्वारा सौंपा जाना
3. एसएचजी सदस्य का नाम		जैसा कि बैंक द्वारा स्वीकार किए गए पहचान दस्तावेज पर दिखाई देता है
4. बैंक द्वारा स्वीकार किए गए पहचान दस्तावेज		आधार कार्ड सं. /वोटर आईडी/पैन/ड्राइविंग लाइसेंस/नरेगा कार्ड /पासपोर्ट.[15]
5. बैंक द्वारा स्वीकार किए गए पहचान दस्तावेज की विशिष्ट संख्या, यदि उपलब्ध हो		दस्तावेजी सबूत की जरूरत
6. पिता/पति का नाम		जैसा कि बैंक द्वारा स्वीकृत पहचान दस्तावेज में उल्लेख किया गया है
7. पुरुष या महिला		जैसा कि एसएचजी सदस्य द्वारा घोषित किया गया है
8. जन्म तिथि (यदि पर छपी हो) पहचान दस्तावेज़)		दिनांक/माह/वर्ष (DD/MM/YYYY)

[15] बैंक विशेष रूप से देख सकते हैं कि क्या कोई एसएचजी सदस्य डीबीआर परिपत्र डीबीआर के दायरे में आते हैं। आरबीआई द्वारा पहचान के प्रमाण के लिए सरल उपायों की शुरूआत और उन्हें लघु जमा खाते/बुनियादी बचत बैंक जमा खाता प्रदान करने से संबंधित दिनांक 1 जुलाई 2015 के एएमएल.बीसी.सं.15/14.01.001/2015-16। जब भी कोई एसएचजी सदस्य ऐसा खाता खोलने के लिए इच्छुक हो, तो केवाईसी आरबीआई के परिपत्र के अनुसार किया जाना चाहिए और केंद्रीय केवाईसी रजिस्ट्री और सीआईसी को सूचित किया जाना चाहिए।

9. पता (राज्य कोड और पिन कोड के साथ पूरा पता)		घोषणा आधार[16]
10. अन्य मौजूदा के बारे में जानकारी बैंक खाते		घोषणा आधार
11. शैक्षणिक स्तर	प्रयोग किए जाने वाले कोड निरक्षर: 1 5वीं कक्षा उत्तीर्ण: 2 8वीं कक्षा उत्तीर्ण: 3 10 वीं कक्षा उत्तीर्ण: 4 10वीं से ऊपर: 5	घोषणा आधार
12. व्यवसाय	ग्राहिणी के लिए प्रयोग किए जाने वाले कोड: 1 भूमिहीन श्रमिक: 2 सीमांत किसान: 3 छोटे किसान: 4	घोषणा आधार
13. सालाना आय हजारों रुपये में		घोषणा आधार
14. सामाजिक स्तर	प्रयोग किए जाने वाले कोड एससी: 1 एसटी: 2 ओबीसी: 3 सामान्य: 4	घोषणा आधार

[16] बैंक जब भी केंद्रीय केवाईसी रजिस्ट्री की स्थापना करेंगे, उससे जानकारी निकाल लेंगे

15. मोबाइल नंबर (यदि उपलब्ध हो)		घोषणा आधार

परिशिष्ट

क. मास्टर परिपत्र में समेकित परिपत्रों की सूची

क्रम सं	परिपत्र सं.	दिनांक	विषय
1	विवि.एफआईएन.आरईसी.46/20.16.056/2020-21	12.03.2021	साख सूचना कंपनियों और अन्य विनियामक उपायों को ऋण जानकारी प्रस्तुत करने के लिए डेटा प्रारूप
2	डीओएस.केका.पीपीजी.बीसी.1/11.01.005/2020-21	21.08.2020	ऋण सुविधाओं की तदर्थ/लघु समीक्षा/नवीकरण
3	एफआईआईडीडी.एमएसएमई & एनएफएस.बीसी.सं.3/06.02.31/2020-21	02.07.2020	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र को ऋण प्रवाह
4	डीबीआर.एलईजी.सं.बीसी.15/09.08.020/2018-19	27.12.2018	सरसई में अचल (साम्यिक बंधक के अलावा), चल और अमूर्त आस्ति से संबंधित सुरक्षा ब्याज दाखिल करना
5	डीसीबीआर.बीपीडी.परि.सं.17/16.74.000/2015-16	26.05.2016	स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) के सदस्यों के संबंध में साख सूचना रिपोर्टिंग
6	डीसीबीआर.बीपीडी. (पीसीबी/आरसीबी). परि. सं. 3/13.05.001/2015-16	15.10.2015	सोने के गहनों/आभूषणों को गिरवी रखने पर अग्रिम
7	डीसीबीआर.बीपीडी.(पीसीबी/आरसीबी). परि सं.13/16.74.000/2014-15	29.01.2015	शहरी सहकारी बैंकों द्वारा साख सूचना कंपनियों (सीआईसी) की सदस्यता लिया जाना
8	शबैंवि.केंका.बीपीडी.(पीसीबी).परि.सं25/13.05.001/2014-15	30.10.2014	आभूषण ऋण – एकमुश्त चुकौती – शहरी सहकारी बैंक
9	शबैवि.केंका.बीपीडी(पीसीबी).परि.	28.05.2014	सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए उधार.

	सं.66/13.05.000/2013-14		
10	शबैवि.केंका.बीपीडी(पीसीबी).परि.सं.64/12.05.001/2013-14	26.05.2014	अस्थिर दर वाले मीयादी ऋणों पर फोरक्लोजर प्रभार की वसूली/ अवधिपूर्व भुगतान पर अर्थदंड का लगाया जाना
11	शबैवि.केंका.बीपीडी(पीसीबी).परि.सं.60/13.05.001/2013-14	09.05.2014	सोना / चांदी आभूषणों की गिरवी पर अग्रिम दिया जाना
12	शबैवि.बीपीडी.(पीसीबी).परि.सं.56/13.04.00/2013-14	05.05.2014	ब्याज कर अधिनियम 1974 - उधारकर्ताओं से संग्रह
13	शबैवि.केंका.बीपीडी(पीसीबी).एमसी.सं.18/09.001.00/2013-14	08.10.2013	शहरी सहकारी बैंकों के लिए प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को उधार देने से संबधित संशोधित दिशानिर्देश
14	शबैवि.बीपीडी(पीसीबी).परि.सं.27/13.04.002/2012-13	14.12.2012	वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्रचना एवं प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत केंद्रीय इलिक्ट्रानिक रजिस्ट्री की स्थपाना
15	शबैंवि.बीपीडी.(पीसीबी).परि.सं.29/13.05.00/2011-12	30.03.2012	शहरी सहकारी बैकों द्वारा बिलों की भुनाई – प्रतिबंधित साखपत्र (एलसी)
16	शबैंवि.केंका.बीपीडी.परि.सं.19/09.11.200/2011-12	13.02.2012	साख सूचना कंपनियों को ऋण आसूचना प्रस्तुत करना - 1 करोड़ रुपये तथा उससे अधिक राशि के चूककर्ता और 25 लाख रुपये तथा उससे अधिक राशि के इरादतन चूककर्ता - वाद दायर खातों से संबंधित ऋण आसूचनाओं का प्रसार

17	शबैंवि.पीसीबी.बीपीडी.परि. 50 /13.05.000(बी)/2010-11	02.06.2011	प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों द्वारा स्वयं सहायता समूह (एसएचजी)तथा संयुक्त देयता समूह (जेएलजी) का वित्तपोषण
18	शबैंवि.पीसीबी.बीपीडी.परि. 69 /09.22.010/2009-10	09.06.2010	स्थावर संपदा और वाणिज्यिक स्थावर संपदा क्षेत्र को एक्सपोजर - शहरी सहकारी बैंक
19	शबैंवि.पीसीबी.बीपीडी.परि.25 तथा 60/09.11.200/2009-10 और शबैंवि.बीपीडी.(पीसीबी)परि.सं.30/ 09.11.2000/2008-09	03.12.2009 29.04.2010 22.12.2010	साख सूचना कंपनिया (विनियमन) अधिनियम, 2005
20	शबैंवि.पीसीबी.बीपीडी.परि.16/ 09.22.010/2009-10	26.10.2009	भवन निर्माता द्वारा बंधक आस्ति प्रकट करना
21	शबैंवि.पीसीबी.परि.53,60 /13.05.000/2008-09	06/03/09 20/04/09	शहरी सहकारी बैंकों द्वारा अग्रिमों की पुनर्रचना से संबंधित दिशानिर्देश
22	शबैंवि.पीसीबी.परि.36,59 /13.05.000/2008-09	21/01/09 09/04/09	सहायता संघीय व्यवस्था/ बहु बैंकिंग व्यवस्था के अंतर्गत ऋण देना
23	शबैंवि.पीसीबी.परि. 24 /13.05.001/2008-09	10/11/08	सोना /चांदी के आभूषणों को गिरवी रखने के बदले में अग्रिम
24	शबैंवि.पीसीबी.परि. 18 /13.04.00/2008-09	22.09.08	ब्याज कर अधिनियम 1974 का पुन: प्रवर्तन - उधार कर्ताओंसे संग्रहण
25	शबैंवि.पीसीबी.परि.12,13 /12.05.001/2008-09	17.10.08	एएलएम दिशानिर्देश
26	शबैंवि.पीसीबी.परि.57/16.74.00/	24.06.2008	इरादतन चूककर्ता तथा उनके विरूद्ध कार्रवाई

	2008-09		
27	शबैंवि.पीसीबी.परि.33/13.05.00/07-08	29.02.2008	भवननिर्माता /ठेकेदारों को अग्रिम
28	शबैंवि.पीसीबी.परि.22/13.05.00/07-08	26.11.2007	स्वर्ण ऋण भुगतान
29	शबैंवि.पीसीबी.परि.13/13.05.0000/07-08	13.09.2007	अग्रिमों की निगरानी- बरती जाने वाली सावधानियां - शहरी सहकारी बैंक
30	शबैंवि.पीसीबी.परि.44/13.04.0000/06-07	18.05.2007	बैंकों द्वारा लगाए गए अत्यधिक ब्याज के बारे में शिकायत
31	शबैंवि.पीसीबी.परि.35/09.09.01/06-07	18.04.2007	माइक्रो,लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र को ऋण उपलब्ध कराना
32	शबैंवि.पीसीबी.बीपीडी.परि.33/13.05.000/06-07	16.03.2007	किसान विकास पत्र खरीदने के लिए ऋणों की मंज़ूरी (केवीपी)
33	शबैंवि.पीसीबी.परि.26/13.05.000/06-07	09.01.2007	आस्ति का मूल्यन - मूल्यनकर्ताओं का पैनल
34	शबैंवि.पीसीबी.परि.10/13.05.000/06-07	04.09.2006	प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों में बैंकों द्वारा किए जाने वाले राहत उपायों संबंधी दिशानिर्देश
35	शबैंवि.पीसीबी.परि.8/13.05.000/06-07	21.08.2006	प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों में बैंकों द्वारा किए जाने वाले राहत उपायों संबंधी दिशानिर्देश
36	शबैंवि.पीसीबी.परि.58/09.09.01/05-06	19.06.2006	राष्ट्रीय भवन निर्माण संहिता (एनबीसी) का पालन-उधारदात्री संस्थानों के लिए आवश्यक निर्धारण
37	शबैंवि.पीसीबी.बीपीडी.परि.सं.	19.04.2006	साख पत्र के अंतर्गत भुनाए गए बिल-जोखिम-

	46/13.05.000/05-06		भार तथा ऋण सीमा संबंधी मानदंड
38	शबैंवि.पीसीबी.परि.सं.36 /09.09.001/05-06	09.03.2006	लघु एवं मध्यम उद्यम के लिए ऋण पुनर्संरचना तंत्र- संघ के वित्त मंत्री द्वारा की गई घोषणा
39	शबैंवि.पीसीबी.परि.सं.34/13.05. 000/05-06	02.03.2006	स्वर्णाभूषणों तथा गहनों पर अग्रिम
40	शबैंवि.पीसीबी.परि.सं.8/09.116. 00/05-06	09.08.2005	पूंजी पर्याप्तता संबंधी विवेकपूर्ण मानदंड- आवास वित्त/वाणिज्यिक स्थावर संपदा को ऋण पर जोखिम-भार
41	शबैंवि.पीसीबी.परि.सं.14/09.11. 01/2004-05	24.08.2004	बैंकों द्वारा चालू खाते खोलना-अनुशासन की आवश्यकता
42	शबैंवि.पीसीबी.परि.सं.7/09.11.0 1/2004-05	29.07.2004	बैंकों द्वारा चालू खाते खोलना-अनुशासन की आवश्यकता
43	शबैंवि.बीपीडी.पीसीबी.परि.37/13 .05. 00/2003-04	16.3.2004	बैंकों द्वारा बिलों की भुनाई / पुनर्भुनाई
44	शबैवि.सं.डीएस.पीसीबी.परि. 34/13.05.00/2001-02	28.3.2002	बैंक ऋण की सुपुर्दगी के लिए ऋण प्रणाली
45	शबैवि.बीएसडी.1.सं.8/12.05.00/ 2001-02	31.8.2001	बैंकर चेक/भुगतान आदेश / मांग ड्राफ्ट जारी करना
46	शबैवि.सं.पॉट.सं.33/09.17.03/20 00-01	20.2.2001	गुजरात में भूकंप से प्रभावित व्यक्तियों / व्यवसाय के लिए राहत उपाय
47	शबैवि.डीएस.32/13.04.00/2000 -01	12.02.2001	भूकंप से प्रभावित निर्यातकों के लिए राहत/रियायतें
48	शबैवि.सं.पॉट.परि.30/	1.2.2001	शाखा सलाहकार समितियां

	09.20.00/2000-01		
49	शबैवि.संबीआर.11/16. 74.00/1998-99	30.6.1999	25.00 लाख रू. तथा उससे अधिक की इरादतन चूक के मामलों पर सूचना का संग्रह और उसका प्रसारण
50	शबैवि.सं.डीएस.एसयूबी.परि. 4/13.05.00/1998-99	5.10.1998	सूचना प्रौद्योगिक (आईटी) तथा सॉफ्टवेअर उद्योग को कार्यशील पूँजी वित्त मंजूर करने के लिए दिशा-निर्देश
51	शबैवि.सं.डीएस.पीसीबी.8 /13.04.00/1998-99	30.9.1998	गुजरात में चक्रवात से प्रभावित निर्यातकों के लिए राहत / रियायतें
52	शबैवि.सं.बीआर.3/16.74.00/199 8-99	29.7.1998	बैंक के चूककर्ता उधारकर्ताओं के संबंध में सूचना का प्रसारण वित्तीय संस्थाएं
53	शबैवि.सं.डीएस.एसयूबी. 19/13.05.00/1997-98	12.2.1998	ऋण मंजूरियों की सूचना
54	शबैवि.सं.डीएस.पीसीबी.परि. 28/13.05.00/1997-98	16.12.1997	बैंकों द्वारा उधार के लिए दिशा-निर्देश - कार्यशील पूँजी का आकलन
55	शबैवि.सं.डीएस.पीसीबी. परि.25/13.05.00/97-98	4.12.1997	लघु औद्योगिक इकाइयों के आपूर्तिकर्ताओं के बकायों के निपटान के लिए ‘बिल’ वित्त
56	शबैवि.सं.डीएस.पीसीबी.परि. 15/13.05.00/97-98	21.10.1997	बैंक ऋण की सुपूर्दगी के लिए ऋण प्रणाली
57	शबैवि.सं.डीएस.पीसीबी.परि.47/1 3.05.00/1996-97	23.4.1997	बैंकों द्वारा उधार देने के लिए दिशा-निर्देश - कार्यशील पूंजी का आकलन - अधिकतम स्वीकार्य बैंक वित्त की अवधारणा - नीति की समीक्षा
58	शबैवि.सं.डीएस.पीसीबी.परि.48/1 3.05.00/1996-97	23.4.1997	बैंक ऋण देने के लिए ऋण प्रणाली

59	शबैवि.सं.डीएस.पीसीबी.परि.31/13.05.00/1996-97	29.11.1996	बैंक ऋण देने के लिए ऋण प्रणाली
60	शबैवि.सं.प्लान.पीसीबी.5/ 09.08.00/1996-97	16.7.1996	अग्रिम संविभाग का प्रबंधन और अग्रिमों पर नियंत्रण
61	शबैवि.सं.डीएस.पीसीबी.परि 64/13.05.00/1995-96	31.5.1996	बैंक ऋण प्रदान करने के लिए ऋण प्रणाली
62	शबैवि.सं.डीएस.पीसीबी.परि. 63/13.05.00/1995-96	24.5.1996	गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को उधार
63	शबैवि.सं.बीआर.6/16.24. 00/1995-96	6.5.1996	बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के चूककर्ताओं की जानकारी का प्रकटीकरण
64	शबैवि.सं.प्लान.पीसीबी.60/09.78.00/1995-96	8.4.1996	उपकरण पट्टेदारी और किराया खरीद वित्तीय कार्यकलाप
65	शबैवि.सं.डीएस.पीसीबी.परि. 54/13.05.00/1995-96	23.3.1996	ऋण आवश्यकताओं का वास्तविक मूल्यांकन निधियों के विशाखन को रोकने के उपाय
66	शबैवि.सं.डीसी.23/ 13.05.00/95-96	19.10.1995	ऋण निगरानी प्रणाली – बैंकों में उधारखातों के लिए ऋण स्थिति कूट
67	शबैवि.सं.डीएस.पीसीबी.परि. 22/13.05.00/1995-96	13.10.1995	बैंक ऋण प्रदान करने के लिए ऋण प्रणाली
68	शबैवि.सं.डीएस.पीसीबी.परि. 14/13.05.00/1995-96	28.9.1995	बैंक ऋण प्रदान करने के लिए एक ऋण प्रणाली आरंभ करना
69	शबैवि.सं.डीएस.परि.पीसीबी. 62/13.05.00/1994-95	12.6.1995	एक करोड़ रूपये से कम की कार्यशील पूंजीगत सीमा का मूल्यांकन – स्पष्टीकरण
70	शबैवि.सं.डीएस.पीसीबी.परि.	31.5.1995	गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं को उधार, कार्यशील पूंजी के प्रयोजन के लिए बैंक उधार

	59/13.06.00/1994-95		संबंधी मानदंड – परिशोधित दिशा-निर्देश
71	शबैवि.सं.डीएस.(पीसीबी). परि.60/13.05.00/94-95	30.5.1995	गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं को उधार
72	शबैवि.सं.डीएस.(पीसीबी). परि.58/13.05.00/94-95	17.5.1995	तात्कालिक ऋण / अंतरिम वित्त
73	शबैवि.सं.डीएस.पीसीबी. परि. 41/13.05.00/1994-95	04.2.1995	उधार व्यवस्था का अनुपालन, (क) सहायता संघ व्यवस्था के अंतर्गत ब्याज की एक समान दर लगाना (ख) अनुदेशों का पालन न करने पर दंडात्मक ब्याज लगाना
74	शबैवि.सं.डीएस.परि.पीसीबी. 43/13.05.00/1994-95	10.2.1995	सहायता संघ व्यवस्था के अंतर्गत उधार संबंधी दिशा-निर्देश
75	शबैवि.सं.डी.एस.परि.पीसीबी.39/ 13.05.00/1994-95	14.1.1995	ऋण सीमाके उपयोग न किए गए अंश पर वायदा प्रभार लगाना
76	शबैवि.सं.डीएस.परि.25/13. 05.00/1994-95	21.10.1994	गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को उधार
77	शबैवि.सं.डीएस.परि.पीसीबी.19/1 3.04.00/1994-95	5.10.1994	विभिन्न उद्योगों के लिए स्टॉक/प्राप्यराशि संबंधी मानदंड
78	शबैवि.सं.डीएस.परि.पीसीबी.18/1 3.05.00/1994-95	19.9.1994	कार्यशील पूंजी के प्रयोजन के लिए बैंक ऋण संबंधी मानदंड तय करने के लिए रिज़र्व बैंक की भूमिका की समीक्षा करने के लिए गठित इन हाऊस ग्रुप की रिपोर्ट – परिशाधित दिशा-निर्देश
79	शबैवि.सं.डीएस.परि.पीसीबी.3/13 .05.00/1994-95	6.7.1994	सहायता संघ व्यवस्था के अंतर्गत उधार संबंधी दिशा-निर्देश
80	शबैवि.सं.पीसीबी.परि.80/13.05.	1.6.1994	ऋण प्राधिकरण योजना – मीयादी ऋण प्रदान करने में बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के

	00/1993-94		बीच तालमेल
81	शबैवि.सं.(पीसीबी)50/13.05.00/93-94	14.1.1994	कतिपय क्षेत्रों को ऋण देने पर प्रतिबंध-स्थावर आस्ति ऋण
82	शबैवि.सं.पॉट.47/09.51.00/1993-94	6.1.1994	निक्षेप बीमा और प्रक्षेप गारंटी निगम को देय गारंटी प्रिमीयम की घटना
83	शबैवि.सं.(पीसीबी).डीसी.40/13.05.00/1993-94	13.12.1993	ऋण प्रधिकारण योजना – कार्यशील पूँजी आवश्यकता के मूल्यांकन के लिए मीयादी ऋण किस्तों का निरुपण
84	शबैवि.सं.प्लान.22/09.11.00/1993-94	28.9.1993	निधियों के प्रवाह की निगरानी
85	शबैवि.(पीसीबी)5/13.06.00/1993-94	14.8.1993	ऋण प्रधिकरण योजना – मीयादी ऋण प्रदान करने में बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के बीच तालमेल
86	शबैंवि.सं.(पीसीबी)1/13.06.00/1993-94	12.7.1993	वनस्पति और हाइड्रोजनेटेड उद्योग के वित्तपोषण के लिए स्टॉक / प्राप्य राशि संबंधी मानदंडों की समीक्षा
87	शबैवि.सं.डीसी.(पीसीबी)99/13.06.00/1992-93	30.6.1993	बिस्कुट और बेकरी उत्पादन उद्योग के वित्तपोषण के लिए स्टॉक / प्राप्य राशि संबंधी मानदंडों की समीक्षा
88	शबैवि.(एसयूसी)डीसी.124/13.06.00/1992-93	30.6.1993	स्टॉक / प्राप्य राशि संबंधी मानदंड, बासमती चावल
89	शबैवि.सं.(पीसीबी).54/डीसी (आर-1)1992-93	7.4.1993	कतिपय क्षेत्रों के लिए ऋण पर प्रतिबंध
90	शबैवि.सं.(पीसीबी)डीसी.45/आर.1/1992-93	25.2.1993	ऋण प्रधिकारण योजना – कार्यशील पूँजी आवश्यकता के मूल्यांकन के लिए मीयादी ऋण किस्तों का निरुपण

91	शबैवि.सं.41/यूबी.17(सी)/1992-93	10.2.1993	हाल ही में दंगों से प्रभावित इलाकों में शहरी सहकारी बैंकों द्वारा किए जानेवाले राहत उपयों के बारे में दिशा-निर्देश
92	शबैवि.सं.आईएण्डएल.40.जे.1992-93	9.2.1993	कार्यशील पूँजीगत निधियों का विशाखन
93	शबैवि.सं.पीसीबी.29/सी.(आर.1)/1992-93	26.12.1992	तत्कालीक ऋण / अंतरिम वित्त
94	शबैवि.(पीसीबी)5/डीसीआर/1ए/1992-93	24.07.1992	बिजली पैदा / वितरण करनेवाले उद्योग के लिए स्टॉक / प्राप्य राशि संबंधी मानदंड
95	शबैंवि.(पीसीबी)3/डीसी.आर/1/1992-93	14.7.1992	रासायनिक उद्योग अनिवार्य तेल आधारित रासायनों के कतिपय क्षेत्रों के लिए स्टॉक/ प्राप्य राशि संबंधी मानदंड
96	शबैवि.(पीसीबी)38/डीसी.(आर.1)/91-92	13.11.1991	कतिपय क्षेत्रों के लिए ऋण पर प्रतिबंध
97	शबैवि.(एसयूसी)36/डीसी.आर.1(ए)/1990-91	31.5.1991	बड़ी नकदी ऋण सीमाओं के अंतर्गत आहरणों पर प्रतिबंध
98	शबैवि.(पीसीबी)42/डीसी.एचसी(पॉलिसी)/1990-91	11.2.1991	ऋण निगरानी प्रणाली-शहरी सहकारी बैंकों में उधार खातों के ऋण स्थिति कूट
99	शबैवि.पीसीबी.2/डीसी.(आर1) 1990-91	20.7.1990	पट्टेदारी / किराया खरीद कंपनियों को वित्तपोषण प्रदान करना
100	शबैवि.(एसयूसी)22.डीसी.आर.1990/91	7.7.1990	ऋण निगरानी व्यवस्था – ऋण अनुशासन - तिमाही सूचना प्रणाली
101	शबैवि.सं.डीसी.113/आर.1.ए-1988-89	24.4.1989	कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं का मूल्यांकन – कागज उद्योग और उपभोग्य छुट्टे भागों के लिए स्टॉक / प्राप्य राशि संबंधी मानदंड

102	शबैवि.सं.डीसी.27/आर.1.ए-1988-89	23.8.1988	अभियांत्रिकी उद्योग के लिए स्टॉक / प्राप्य राशि संबंधी दिशा-निर्देश
103	शबैवि.सं.(डीसी)2.आर.1ए-1988-89	8.7.1988	रासायनिक उद्योग के कतिपय क्षेत्रों के लिए स्टॉक / प्राप्य राशि संबंधी मानदंड
104	शबैवि.सं.(डीसी)123/आर.1/1987-88	31.5.1988	ऋण निगरानी प्रणाली - बैंकों में उधार खातों के लिए ऋण स्थिति कूट आरंभ करना
105	शबैवि.सं.(डीसी)101/आर.1ए.1987-88	15.2.1998	विविध उद्योगों के लिए स्टॉक / प्राप्य राशि संबंधी दिशा-निर्देश
106	शबैवि.सं.आईएण्डएल.67/जे.1/1987-88	21.11.1987	बिल्डरों / ठेकेदारों को अग्रिम
107	शबैवि.(डीसी)104/आर.1/1986-87	25.6.1987	कार्यशील पूँजी आवश्यकताओं के मूल्यांकन के लिए दिशा-निर्देश, साख-पत्र खोलना और गारंटियां जारी करना
108	शबैवि.डीसी.84/आर.1/1986-87	3.6.1987	ऋण निगरानी प्रणाली - बैंकों में उधार खातों के लिए ऋण स्थिति कूट आरंभ करना
109	शबैवि.(डीसी)57/आर.1/1986-87	19.2.1987	उधारकर्ताओं द्वारा सांविधिक देय राशियों का भुगतान करने में चूक
110	शबैवि.सं.डीसी.41/आर.1/1986-87	7.11.1986	वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करने के लिए उधारकर्ताओं की दी जानेवाली ऋण सुविधाएं रोक देना
111	शबैवि.(डीसी)83/आर.1/1985-86	24.3.1986	सनदी लेखापालों द्वारा गैरकंपनी उधारकर्ताओं के खातों का प्रमाणन
112	शबैवि.सं.आईएण्डएल.38/जे.1-85/86	11.10.1985	शहरी सहकारी बैंकों को दिए गए अग्रिम निधियों का विशाखन
113	शबैवि.पीएण्डओ.1383/यूबी.17 (सी)/1984-85	22.5.1985	प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों में शहरी बैंकों द्वारा किए जानेवाले राहत उपाय

114	शबैवि.पॉट.654/यूबी.17(सी)/1984-85	23.11.1984	हाल ही की विपत्तियों से प्रभावित व्यक्तियों को बैंक सहायता
115	एसीडी.ओपीआर.1569/ए.35-79/80	2.10.1979	आगे ऋण विस्तार को रोकने के उपाय
116	एसीडी.ओपीआर.2697/ए.75/1974-75	24.12.1974	सहकारी बैंकों के लिए ऋण प्रधिकरण योजना
117	एसीडी.ओपीआर.1222/ए-75/1974-75	7.9.1974	सहकारी बैंकों के लिए ऋण प्राधिकरण योजना
118	एसीडी.प्लान.3109/पीआर.414 (9)/1968-69	18.6.1969	सहकारी बैंको के माध्यम से औद्योगिक वित्त पर कार्यकारी दल - शहरी सहकारी बैंकों से संबंधित सिफारिशें - अपेक्षित कार्रवाई

ख. **अन्य परिपत्रों की सूची जिन से अग्रिमों के प्रबंधन से संबंधित अनुदेशों को मास्टर परिपत्र में समेकित किया गया है**

क्र.सं.	परिपत्र सं.	तारीख	विषय
1.	शबैवि.सं.आईएण्डएल/69/12.05.00/1993-94	13.5.1994	बैंकों में धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार से संबंधित विभिन्न पहलुओं की जांच समिति - (घोष समिति)
2.	शबैवि.21/12.15.00/1993-94	21.9.1993	बैंकों को धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार से संबंधित विभिन्न पहलुओं की जांच समिति - प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक
3.	शबैवि.सं.2420-जे.20/1983-84	2.4.1984	प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों में धोखाधड़ियां, निधियों का दुर्विनियोजन, गबन, हड़पना